बुधवार,
२६ अगस्त, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

चौथा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

बुधवार, २६ अगस्त १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पदपर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

आय-कर (निर्धारण)

*८२५. **डा० एम० एम० दास:** क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत सरकार के अधीन कितने राज्य व्यापार आर्यों और निगमों ने १९५२-५३ में आय-कर दिया है या उन का आय-कर निर्धारित किया गया है ;

(ख) जिन समवायों का १९५२-५३ के लिए आय-कर निर्धारित किया गया है उन में सरकार ने कुल कितनी पूंजी लगाई हुई है ; और

(ग) इस प्रकार के समवायों में जो पूंजी लगाई हुई है उस पर कोई व्याज लिया जाता है और दिया जाता है और यदि हां, तो उस प्रकार के व्याज की दर क्या है ?

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह): (क) इस प्रकार के निगमों की संख्या जिन का कि १९५२-५३ के लिये कर निर्धारण वस्तुतः पूरा हो चुका है केवल दो हैं।

(ख) इन दो निगमों में भारत सरकार ने २,४६,७०,००० रुपये की कुल पूंजी लगाई हुई है।

(ग) अंश पूंजी पर कोई व्याज नहीं दिया जाता और उपरोक्त दोनों निगमों से उन में विनियोजित पूंजी पर कोई व्याज नहीं लिया गया है।

डा० एम० एम दास : क्या मैं उन निगमों के नाम जान सकता हूं जिन का आय-कर निर्धारित किया गया है ?

श्री एम० सी० शाह : इंडियन रेयर अर्थ्स और भारत का औद्योगिक वित्त निगम।

डा० एम० एम० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या इन निगमों के शत प्रतिशत अंश सरकार ने खरीदे हुए हैं, अथवा इन में कोई निजी अंशधारी भी है ?

श्री एम० सी० शाह : इंडियन रेयर अर्थ्स, लिमिटेड की पूंजी ८० लाख रुपये है और इस में भारत सरकार के अंश ४४ लाख रुपये के, अर्थात् ५५ प्रति शत हैं। पैंतालीस प्रतिशत अंश त्रावन्कोर कोचीन सरकार के हैं।

औद्योगिक वित्त निगम में भारत सरकार और रिज़र्व बैंक के मिला कर कुल २,०२,७०,०००रुपये की पूंजी के अंश हैं।

डा० एम० एम० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या इन दोनों निगमों ने अपने अंश

धारियों को कोई लाभांश देने की घोषणा की है ?

श्री एम० सी० शाह : मुझे खेद है कि इस समय मेरे पास यह जानकारी नहीं है ।

श्री हेडा : कितने निगमों का कर निर्धारण किया जा रहा है और कितने राज्य निगमों का कर निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं, क्यों कि उन्हों ने कुछ नहीं कमाया है ?

श्री एम० सी० शाह : मेरे पास यह जानकारी नहीं है । सम्भव है कुछ कर निर्धारित करने के योग्य न हों ; कुछ ने कोई आय न दिखाई हो और कुछ ने अपनी आय पूर्ति कर दी हो, किन्तु उन का कर-निर्धारण अभी पूरा न हुआ हो ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या उन निगमों की आय पर भी आय-कर लिया जाता है जिन का सम्पूर्ण अंश धन सरकार का होता है ?

श्री एम० सी० शाह : हां, श्रीमान् । स्थिति इस प्रकार है । यदि किसी समवाय को सरकारी विभाग के रूप में चलाया जाता हो, तो उस से कर नहीं लिया जाता, किन्तु यदि वे समवायों के निगम हों तो चाहे उन में सरकार के शत प्रति शत अंश हों उन से कर लिया जाता है ।

कुमारी एनी मस्करीन : मैं जान सकती हूं कि क्या त्रावन्कोर-कोचीन के टिटेनियम (रंजातु) के उद्योग ने कोई आय-कर दिया है और यदि हां, तो कितना ?

श्री एम० सी० शाह : मेरे पास इस समय इस के आंकड़े नहीं हैं ।

कुमारी एनी मस्करीन : यह एक अर्ध-सरकारी समवाय है ।

श्री दामोदर मेनन : क्या उन निगमों से भी कर लिया जाता है जो विभिन्न राज्य सरकारों के अधीन न हों ?

श्री एम० सी० शाह : जैसा कि मैं पहिले ही बतला चुका हूं यदि उन्हें राज्य के एक विभाग के रूप में चलाया जाता है तब तो उन से कर नहीं लिया जाता ; किन्तु यदि उन्हें निगम या समवायों का रूप दे दिया जाता है, तो चाहे उन में राज्यों के शत प्रति शत अंश हों, उन से कर लिया जाता है ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या वे हमें ऐसे समवायों के उदाहरण बतला सकते हैं जो विभागों के रूप में चलाये जाते हैं और जिन से कर नहीं लिया जाता ?

श्री एम० सी० शाह : इस समय मेरे पास यह जानकारी नहीं है । मेरे पास वे आंकड़े हैं जिन से कर लिया जा सकता है ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : उदाहरण के लिये, क्या हिन्दुस्तान एयरक्राफट फैक्टरी से आय-कर लिया जाता है ?

श्री एम० सी० शाह : हिन्दुस्तान एयरक्राफट फैक्टरी से आय-कर लिया जायेगा ।

डा० एम० एम० दास : क्या मैं राज्य व्यापार निगमों की कुल संख्या जान सकता हूं ?

श्री एम० सी० शाह : मुझे कुल संख्या तो ज्ञात नहीं है ; किन्तु ये सम्भवत: दस से अधिक नहीं हैं । मेरे पास कुछ की सूची है ; क्या मैं उन्हें पढ़कर सुनाऊं ?

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं ।

भाग 'ग' राज्यों में सेवा की सामान्य श्रेणी

*८२६. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सभी भाग 'ग' राज्यों के लिये सेवा की एक सामान्य श्रेणी बनाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या यह सत्य है कि भाग 'ग' राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने जिन का सम्मेलन अजमेर में हुआ था इस प्रश्न पर विचार किया था और इस सम्बन्ध में उन की चर्चा के फल-स्वरूप जो परिणाम निकला था उस की सूचना राज्यों के मंत्रालय को भेज दी थी ;

(ग) क्या भारत सरकार ने इस विषय में कोई निश्चय किया है ;

(घ) यदि हां, तो क्या इस विषय में कोई योजना बनाई गई है और इस के कब तक क्रियान्वित होने की सम्भावना है ; और

(ङ) भाग 'ग' राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने इस विषय में क्या सिफारिशें की हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क), (ख) और (ङ). कुछ भाग 'ग' राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने सामान्य हित के विषयों पर चर्चा की थी, इन में भाग 'ग' राज्यों की सेवाओं में भर्ती का प्रश्न और गजेटेड पदाधिकारियों की एक सामान्य श्रेणी का प्रश्न भी सम्मिलित था। उन्हों ने यह अनुभव किया कि क्रियात्मक दृष्टि से इस प्रश्न में कुछ प्रशासन सम्बन्धी कठिनाइयां हैं और उन्हों ने इस के प्रथम पग के रूप में हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और अजमेर के लिये एक लोक सेवा आयोग बनाने की सिफारिश की। उन्होंने यह भी सिफारिश की कि अन्य भाग 'ग' राज्यों के एक सामान्य लोक सेवा आयोग और पदाधिकारियों की एक सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत आने के प्रश्न पर बाद में कभी विचार किया जा सकता है।

(ग) और (घ). संघ लोक सेवा आयोग की सलाह से इस विषय पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। निकट भविष्य में ही कोई अन्तिम निश्चय किये जाने की सम्भावना है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूं कि कितने राज्यों में सेवाओं का पुनर्गठन किया गया है, और क्या इस प्रकार का पुनर्गठन करते समय राज्य के कर्मचारियों की श्रेणी, वेतन स्तर इत्यादि को सुरक्षित रखने का ध्यान रखा गया है ?

श्री दातार : सामान्य श्रेणी का प्रश्न विचाराधीन है। जहां तक बम्बई और सौराष्ट्र का सम्बन्ध है यह विषय अन्तिम अवस्था तक पहुंच गया है। अन्य राज्यों के मामले में यह विषय अभी प्राथमिक अवस्था में है।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि इन राज्यों में हिन्दी जानने वाले कर्मचारियों को बहुत हानि हुई है और इस बात का भी ध्यान नहीं रखा गया कि पिछले शासकों के समय में उन्होंने बड़ी कुशलता से सेवा की है ?

श्री दातार : हमारे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री एन० सोमना : मैं जान सकता हूं कि कुर्ग के सम्बन्ध में क्या प्रस्ताव किये गये हैं ?

श्री दातार : जहां तक कुर्ग का सम्बन्ध है, उस के लिये भाग 'ग' राज्यों के साथ एक सामान्य श्रेणी बनाने का कोई प्रश्न ही नहीं है ; किन्तु कतिपय सेवाओं के सम्बन्ध में मैसूर के साथ एक सामान्य श्रेणी बनाने का कुछ प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री एन० एम० लिंगम : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस विषय में यह समझ कर कार्य कर रही है कि देश में भाग 'ग' राज्य स्थायी रूप से रहेंगे ?

श्री दातार : हम यह समझ कर कार्य कर रहे हैं कि इस समय वे भारतीय संविधान का एक अंग हैं।

श्री हेडा : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लोगों का बहुमत इस बात के पक्ष में होता जा रहा है कि इन भाग ग' राज्यों को

पड़ौसी राज्यों में विलीन कर दिया जाये, क्या सरकार उसी भाषा को बोलने वाले पड़ौसी राज्यों के साथ उन के लिये एक सामान्य श्रेणी और लोक सेवा आयोग बनाने की सम्भाव्यता पर विचार कर रही है ?

श्री दातार : इस प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है और यह इन में से कुछ एक भाग 'ग' राज्यों से पूछा भी गया है ।

केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड

***८२७. श्री एम०. एल० द्विवेदी:** क्या **शिक्षा** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कितने और किन किन भाग 'ग' राज्यों को शिक्षा के विषय में एक करके प्रस्तावित केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड के क्षेत्राधिकार में रखा जायेगा ;

(ख) क्या प्रस्तावित केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड की योजना भाग 'ग' राज्यों को स्वीकृति के लिये भेज दी गई है ;

(ग) कौन कौन से राज्य इस केन्द्रीय बोर्ड से लाभ उठाना नहीं चाहते ; और

(घ) इस केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड के कब से कार्य आरम्भ करने की सम्भावना है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) से (घ) . एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३०]**

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं पूछना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री क० डी० मालवीय : जो कुछ इस में काम हुआ है वह इस बयान में दिया जा चुका है । बोर्ड बन चुका है और उसका हैडक्वार्टर अजमेर है और काम हो रहा है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जैसा कि इस स्टेटमैंट में लिखा हुआ है दिल्ली राज्य भी इस बोर्ड में अभी शामिल नहीं हुआ है । जब कि एजूकेशन का केन्द्रीय बोर्ड तैयार हुआ है तो कौन से कारण हैं कि उस के अन्दर दिल्ली राज्य शामिल नहीं हुआ है, और क्या अब कोशिश की जा रही है कि दिल्ली राज्य इस में शामिल हो जाए ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आजाद) : इस का सबब तो दिल्ली सरकार से पूछना चाहिये ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : उन्हों ने कुछ लिखा तो होगा ?

मौलाना आजाद : उन्हों ने सिर्फ यह कहा है कि हम शरीक नहीं होना चाहते । और हमारी तरफ से कोई खास कोशिश भी नहीं की गई कि किसी स्टेट को उसकी मरज़ी के खिलाफ शामिल किया जाए ।

कुमारी एनी मस्करीन : श्रीमान्, मैं जान सकती हूं कि भाग 'ग' राज्यों में कितने प्रतिशत शिक्षित हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री पी० एन० राजभोज : क्या आप पार्ट 'बी' और पार्ट 'सी' को मिलाकर एक प्रकार की शिक्षा करना चाहते हैं और आप इस बोर्ड का अध्यक्ष किस को बनाना चाहते हैं ? आप ने जो स्कीम बनाई है वह सिर्फपार्ट 'सी' स्टेट्स के लिए है या कि उस में 'सी' और 'बी' दोनों स्टेटों को शामिल किया जाएगा ?

श्री के० डी० मालवीय : जी नहीं यह बोर्ड 'की' तजवीज़ तो पार्ट 'सी' और 'डी' स्टेटों के शिक्षाक्रम और इम्तिहानों का एकीकरण करने के लिए और उन में कोआरडीनेशन लाने के लिए लायी गयी है और इस से ज्यादा इस का काम नहीं है ।

पंडित सी० एन० मालवीय : क्या रियासत भोपाल ने इस बोर्ड में शामिल होने के लिए मंजूरी दे दी है ?

श्री के० डी० मालवीय: जी हां भोपाल उन स्टेट्स में है जिन्हों ने मंजूरी दे दी है ।

श्री पुन्नूस: विवरण में बताया गया है कि कुछ राज्यों ने बोर्ड का लाभ नहीं उठाया । ऐसा क्यों है ?

श्री के० डी० मालवीय: मार्च १९५१ में एक सम्मेलन हुआ था जिस में भाग 'ग' तथा 'घ' राज्यों के सब प्रतिनिधि केन्द्रीय बोर्ड बनाने के लिए बुलाए गए थे परन्तु प्रतिनिधियों में मतभेद होने के कारण अन्त में यह निर्णय किया गया कि सदस्यता स्वेच्छा से होनी चाहिये, और किसी को बाध्य नहीं किया जाना चाहिये ।

श्री पुन्नूस : मेरा प्रश्न यह था । ये राज्य इस बोर्ड में सम्मिलित होने में क्या हानि अनुभव कर रहे हैं ?

श्री के० डी० मालवीय: राज्यों में भाषाओं की भिन्नता होने के कारण और इन राज्यों के पड़ौसी भाग 'क' तथा 'ख' राज्यों के साथ सम्बंधित होने के कारण उन्हें जैसा वे चाहते हैं वैसे छोड़ देना अच्छा समझा है ।

श्री गिडवानी : हम इन राज्यों के शिक्षा सम्बंधी अनुदानों में और विशेषत: दिल्ली राज्य को क्या देते हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे.....

उपाध्यक्ष महोदय: यह प्रस्तावना क्यों? माननीय सदस्य बार बार क्यों "कृपा करेंगे" कहते हैं ?

श्री एम० एल० द्विवेदी : जिन भाग 'ग' राज्यों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, क्या उन के लिए इस बोर्ड में इस बात का प्रबंध किया गया है कि वहां पर उनकी भाषाओं में शिक्षा दी जाए, और क्या कुछ राज्यों ने इसी आधार पर इस में शामिल न होने की कोशिश की है ?

मौलाना आज़ाद : जहां तक ज़बान का ताल्लुक है उस का इस बोर्ड में ख्याल रखा गया है, जो स्टेट्स शरीक नहीं हुई हैं उन के लिए मुखतलिफ बजूह हो सकती हैं । जैसा कि अभी मेरे दोस्त ने कहा उन के हमसाए में जो स्टेट्स हैं उनसे उनका ताल्लुक हो चुका है । या वे यह समझते हैं कि हमारे लिए यही बेहतर है कि अपना इंतज़ाम खुद करें ।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए—

उपाध्यक्ष महोदय : काफी हो गया । काफी प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं । और की अनुज्ञा देने के कोई अर्थ नहीं है ।

उत्तर प्रदेश में शिक्षा ग्रहण करने वाले विदेशी छात्र

*८२९. **श्री पुन्नूस** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में शिक्षा ग्रहण करने वाले विदेशी छात्रों की संख्या तथा राष्ट्रीयता क्या है और वे किन संस्थाओं में पढ़ रहे हैं ; तथा

(ख) वे किस प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रखी जाएगी ।

श्री पुन्नूस : क्या सरकार को विदित है कि एक प्रोफैसर के नेतृत्व में उसी राष्ट्रीयता

के कुछ छात्र भारत तिब्बत सीमा पर घूमते रहे हैं और कुछ तथ्य एकत्र करते रहे हैं ?

श्री दातार : हमारे पास कोई जानकारी नहीं है ।

श्री पुन्नूस : क्या सरकार ने समाचार-पत्रों में यह समाचार देखा है कि ये तथ्य न तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय को दिये गये हैं और न ही भारत सरकार को वरन अन्य किसी विदेशी शक्ति को भेजे गये हैं ?

श्री दातार : सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर नहीं दिलाया गया ।

बन्दूक की अनुज्ञप्ति

*८३१. **सरदार ए० एस० सहगल** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष राज्य सरकारों द्वारा जारी की गई शिकार और रक्षा के लिये बन्दूक की अनुज्ञप्तियां सारे भारत संघ के लिये मान्य हैं ; तथा

(ख) यदि नहीं तो इस के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) नहीं श्रीमान् । नियमित रूप से नहीं ।

(ख) सारे भारत के लिये अनुज्ञप्ति तभी जारी की जाती है जब उस के लिये प्रार्थना की जाती है और जब अनुज्ञप्ति प्राधिकारी को यह सन्तोष हो कि प्रार्थी के लिये सारे भारत में शस्त्र सहित जाना आवश्यक है ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मैं यह जान सकता हूं कि प्रोटैक्शन तथा शूटिंग के वास्ते लाइसेन्सेज़ जिन को दिये जाते हैं उन के सुभीते के लिये क्या सरकार यह इजाजत देगी कि वे दूसरी स्टेट्स में भी शिकार खेल सकते हैं ?

श्री दातार : मेरा विचार है कि नहीं ।

सरदार ए० एस० सहगल : यदि नहीं तो क्या सरकार शूटिंग लायसैंस में जरूरी रद्दोबदल करने पर विचार करेगी ?

श्री दातार : श्रीमान्, सरकार वर्तमान नियमों के अधीन इस पर विचार करेगी और यदि यह पता लगा कि नियमों में परिवर्तन आवश्यक है तो सरकार उस पर भी विचार करेगी ।

श्री सी० भट्ट : मैं जान सकता हूं कि क्या राज्यों को अनुदेश दिये गये हैं कि वे किसे अनुज्ञप्ति दें ?

श्री दातार : वर्तमान अनुदेश काफी स्पष्ट हैं और अनुदेशों की आवश्यकता नहीं ।

श्री जांगड़े : क्या मैं जान सकता हूं कि संसद् के सदस्यों को बन्दूक का लाइसेंस लेने के लिये कोई फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्या सरकार का कोई ऐसा हुक्म है ?

श्री दातार : संसद् तथा विधानों के सदस्य एक ही स्तर पर हैं । वे गुणों अनुसार अनुज्ञप्तियों के अधिकारी हैं ।

श्री जयपाल सिंह : हम जान सकते हैं कि शिकार के लिये कितनी तथा रक्षा के लिये कितनी अनुज्ञप्तियां दी गई हैं ?

श्री दातार : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं ।

श्री जयपाल सिंह : इस तथ्य के विचार से कि रक्षा बहुत महत्वपूर्ण बात है मैं जान सकता हूं कि क्या हैदराबाद में पुलिस कार्यवाही में, विशेषत: आदिवासी क्षेत्रों में जो बन्दूकें ली गई थीं वे लोगों को वापस दी गई हैं ?

श्री दातार: जानकारी ठीक है । इस प्रश्न को हैदराबाद सरकार करेगी न कि भारत सरकार ।

पंडित सो०एन० मालवीय : जबकि हर रियासत का निवासी पूरे भारत का नागरिक है तो क्या कारण है कि जब रियासत में लाइसेंस मिल जाये तो सारे देश में उस को न माना जाये ?

श्री दातार: श्रीमान्, यह आवेदनपत्र की प्रकृति पर निर्भर है, यह विशेष ज़िले राज्य अथवा सारे भारत के लिये हो सकता है ।

पंडित सो०एन० मालवीय: क्या रियासत पूरे भारत के लिये लाइसेंस दे सकती है ?

उपाध्यक्ष महोदय: जी नहीं ।

श्री फ्रैंक एन्थनी: मैं जान सकता हूं कि क्या अनुज्ञप्ति देने के सम्बन्ध में शर्तें राज्य प्रतिराज्य भिन्न भिन्न हैं और यदि ऐसा है तो सरकार इस सम्बन्ध में एकरूपता लाने के लिये कुछ कर रही है ?

श्री दातार: कोई भिन्नता नहीं है । भारत सरकार नियम बनाती है और उन का अनुसरण किया जाता है ।

श्री मुनिस्वामी: मैं जान सकता हूं कि क्या राज्यों द्वारा शिकार के लिये जारी की गई अनुज्ञप्तियां सारे भारत में मान्य हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (डा० काटजू): मेरी राय में ऐसा नहीं है । किन्तु पूर्ण प्रश्न की प्रात: सदन में हुई वार्ता के अनुसार मैं जांच कराऊंगा । अवश्य ही कठिनाई यह होनी चाहिये । यदि एक राज्य किसी व्यक्ति को लाईसेन्स देता है और वह देश में भ्रमण करता है तो, मैं नहीं जानता, कदाचित यह नियमबद्ध होना आवश्यक हो सकता है कि उसके विषय में किसी प्रकार सूचना अवश्य मिलनी चाहिये । मैं पूर्ण प्रश्न की जांच कराऊंगा ।

सरदार ए० एस० सहगल : मैं आप से अर्ज़ करूं कि इस प्रकार की डिफिकल्टीज़ होती हैं कि यदि हम किसी स्टट में . . . "

डा० काटजू: आप इत्तला दे रहे हैं कि सवाल कर रहे हैं?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई): प्राइवेटली कह दीजिये ।

श्री फ्रैंक एन्थनी: मन्त्री महोदय ने कहा कि नियम एकरूप हैं । क्या यह सत्य नहीं है कि बम्बई में, उदाहरण के लिये, शिकार के लाइसेंस के लिये लिया जाने वाला शुल्क, अन्य राज्यों की अपेक्षा, अत्यधिक है क्या यह सत्य नहीं है कि दिल्ली में जितनी मात्रा की अनुमति दी जाती है बम्बई में मात्रा उससे अधिक है ?

डा० काटजू : मेरे पास यह जानकारी नहीं है । मैं इन सब प्रश्नों की जांच कराऊंगा ताकि अधिक से अधिक एकरूपता लाई जा सके । यह राजस्व का प्रश्न भी हो सकता है ।

श्री दाभी: क्या यह सत्य है कि संसत्सदस्यों को लाईसेंस-शुल्क के बिना ही लाईसेंस दिये जायेंगे ?

डा० काटजू: वास्तव में मैं नहीं जानता ।

अलमोड़ा छावनी

*८३५. **सरदार ए० एस० सहगल**: (क) क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सत्य है कि अलमोड़ा छावनी की जनसंख्या ५०० से कम है ?

(ख) इसके क्षेत्र में कितने निजी मकान हैं ?

(ग) क्या ये मकान अब सरकारी कार्यालय बना लिये गये हैं?

(घ) क्या यह सत्य है कि छावनी-क्षेत्र में रात्रि-काल में घोर अन्धकार रहता है ?

(ङ) क्या छावनी-क्षेत्र में पानी की स्थिति शोचनीय है ?

(च) क्या यह सत्य है कि इस क्षेत्र में, इस सुन्दर पहाड़ी स्थान की ओर यात्रियों को आकर्षित करने के लिये, अत्यधिक सम्भावनायें हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) छावनी की वर्तमान जनसंख्या लगभग ७०० है ।

(ख) १४ बंगले और कुछ छोटे मकान ।

(ग) उनमें से छः ।

(घ) छावनी को मिट्टी के तेल पर निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि वहां बिजली नहीं है ।

(ङ) नहीं, श्रीमान् ।

(च) इस स्थिति में छावनी क्षेत्र में, इस सम्बन्ध में बहुत ही बड़ी सम्भावनायें हैं ।

सरदार ए० एस० सहगल: भाग (ग) के उत्तर में, क्या मैं जान सकता हूं कि इन मकानों को छोड़ने के लिये सरकार क्या शीघ्र कार्यवाही करना चाहती है ?

सरदार मजीठिया: सरकार सदैव ही विचार करती रहती है कि क्या अमुक मकानों की आवश्यकता है, और यदि उसे उनकी आवश्यकता नहीं होती तो वे वापस दे दिये जाते हैं ।

सरदार ए० एस० सहगल : मैं जान सकता हूं कि निकट भविष्य में बिजली लाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

सरदार मजीठिया: माननीय सदस्य की सूचनार्थ मैं यह बता दूं कि पड़ौस की नगरपालिका के पास बिजली है और उनसे इस छावनी को अपनी योजना के अन्तर्गत लाने के लिये अपनी योजना को बढ़ाने के लिये पहिले ही प्रार्थना की जा चुकी है ।

श्री सी० डी० पाण्डे: मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार की ऐसी कोई इच्छा है कि एक टुकड़ी वहां रख दी जाये ताकि छावनी समृद्ध हो सके ।

सरदार मजीठिया: यह सम्भव नहीं है क्योंकि वहां रहने के लिये स्थान नहीं है । परन्तु यदि हमें यह विदित होता है कि हम इस स्थान का किस टुकड़ी को वहां भेजने के लिये, जो वहां रह सकती है, प्रयोग कर सकते हैं, सरकार सदैव ही इस पर विचार करने के लिये तैयार है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या मन्त्री महोदय इस बात पर विचार कर रहे हैं कि इस छावनी की आबादी कम होने के कारण इसे नज़दीक की म्युनिसिपैलिटी में मिला दिया जाये ?

सरदार मजीठिया : यह अलग करने के पूर्ण प्रश्न से सम्बद्ध है । इस समय मैं नहीं समझता कि यह विचाराधीन है ।

कुमारी एनी मस्करीन: छावनी में बिजली नहीं है, इस दृष्टि से, क्या सरकार ने रात्रि में रक्षा के लिये कोई प्रबन्ध किया है ?

सरदार मजीठिया : मैं समझता हूं कि सेना अपनी देखभाल स्वयं कर सकती है ।

श्री एन० एम० लिंगम : यदि सरकार वहां फ़ौजी-टुकड़ी रखने का कोई विचार नहीं रखती तो, क्या छावनी को पड़ौसी नगरपालिका में मिलाने का उसका कोई विचार है ?

सरदार मजीठिया: श्रीमान्, इस प्रश्न का उत्तर मैं पहिले ही दे चुका हूं ।

सिकन्दराबाद छावनी बोर्ड के लिये निर्वाचन

. *८३६. **श्री एम० आर० कृष्ण:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिकन्दराबाद छावनी बोर्ड के लिये निर्वाचन होंगे; तथा

(ख) यदि हां, तो कब ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) तथा (ख). इस वर्ष के अन्त तक निर्वाचन करने का विचार है ।

श्री एम० आर० कृष्ण : नामनिर्देशन पत्र देने के पश्चात् सिकन्दराबाद छावनी बोर्ड के लिये निर्वाचनों को आकस्मिक रूप में स्थगित करने के क्या कारण थे ?

सरदार मजीठिया: इस साधारण कारण से कि निर्वाचक नामावली का पूर्णत: पुनरावलोकन नहीं हुआ था तथा यह तैयार नहीं थी ।

श्री एम० आर० कृष्ण: मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार छावनी बोर्ड में नामनिर्देशित सदस्यों का अनुपात्र निर्वाचित सदस्यों की अपेक्षा अधिक रख कर जनतन्त्र वाद का कोई नया नमूना बनाना चाहती है ?

सरदार मजीठिया: सरकार ने जनतन्त्रवाद बना लिया है जो संविधान में है । इस समय इस में कुछ अधिक वृद्धि करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

श्री पुन्नूस: यह बताया गया था कि प्रस्तावित निर्वाचन भंग कर दिया गया और दिनांक स्थगित कर दिया गया क्योंकि निर्वाचक-नामावली तैयार नहीं थी । क्या मैं जान सकता हूं कि निर्वाचक नामावली तैयार किये बिना किसने निर्वाचन-दिनांक अधिसूचित किया था ?

सरदार मजीठिया: मुझे इसके लिये पूर्वसूचना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : "कौन" इतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि "क्यों" है । निर्वाचन स्थगित क्यों किया गया था ? सदन को माननीय मंत्री से विस्तृत उत्तर मांगने का अधिकार है । यदि निर्वाचक-नामावली तैयार नहीं थी तो, इतना समय तथा शक्ति क्यों नष्ट की गई ?

सरदार मजीठिया: श्रीमान्, मुझे खेद है कि मैं सूचना के इस भाग की ओर ध्यान नहीं दे सका । अवश्य ही मैं माननीय सदस्य को इस के विषय में सूचना दूंगा ।

सेठ गोविन्द दास: मंत्री जी ने अभी यह कहा कि जहां तक डिमाक्रेसी का मामला है वहां तक वह संविधान में रख दी गई । क्या मंत्री जी को यह बात मालूम है कि जहां तक कैंटोनमेंट का मामला है वहां तक संविधान की डिमाक्रेसी का कोई असर नहीं होता है और अभी भी वहां पर कैंटोनमेंट्स में जो फौजें हैं उन के अतिरिक्त जो आबादी है उसको जिस तरह के हक़ मिलने चाहियें उस तरह के हक़ नहीं मिल सके हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह कहना चाहूंगा । एक व्यंगात्मक प्रश्न का उत्तर अधिक व्यंगात्मक होता है । दोनों को ही रोका जा सकता है । एक सीधा प्रश्न "नामनिर्देशन का यह प्रश्न कब तक चलेगा" निश्चय ही जनतंत्रवाद के अनुकूल है । इसका उत्तर अवश्य देना चाहिये । मैं केवल यह सुझाव दूंगा कि यद्यपि सदस्य अत्यधिक भावुक होकर कोई व्यंगात्मक प्रश्न कर सकते हैं, परन्तु मन्त्री महोदय को चाहिये कि उत्तर उचित ढंग से दें । उन्हें व्यंगात्मक उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक सदस्य को किसी भी प्रकार का प्रश्न करने का अधिकार है और

मन्त्री को उसका उत्तर अवश्य ही देना चाहिये । यहां स्वभावतः ही प्रश्न उत्पन्न होता है कि इसमें नामनिर्देशन क्यों होना चाहिये । यह कब बदला जायेगा ? मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री प्रश्न के अभिप्राय को पसन्द करेंगे यद्यपि उसका रूप ऐसा नहीं है ।

सरदार मजीठिया : सदन की सूचनार्थ मैं यह कह सकता हूं कि यह नीति का विषय है और सैनिकों को जो उस क्षेत्र में रहते हैं निश्चय ही अपने प्रतिनिधित्व का अधिकार है, मुख्यकर, जब कि छावनी है ही उनके लाभ के लिये । उनका स्वास्थ्य तथा चरित्र देश के लिये सर्वप्रथम ध्यान देने योग्य है । यह प्रश्न इतना जटिल है कि इसकी जांच पड़ताल हो रही है जैसा कि मैं ने बताया कि हम पहिले ही इस प्रश्न की जांच कर रहे हैं ।

स्टर्लिंग क्षेत्र को पूंजी का स्थानान्तरण

*८३७. **डा० एम० एम० दास** : क्या **वित्त मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या विदेश विनिमय विनियमन अधिनियम, १९४७ लागू होने के बाद से भारत से पूंजी का स्थानान्तरण हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी पूंजी स्टर्लिंग क्षेत्र को भेजी गई ;

(ग) ऐसी कितनी पूंजी ग़ैर-स्टर्लिंग क्षेत्र को भेजी गई ; और

(घ) पूंजी के ऐसे स्थानान्तरण के क्या कारण थे ?

वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) जुलाई, १९४७ से दिसम्बर, १९५२ तक स्टर्लिंग क्षेत्र तथा ग़ैर-स्टर्लिंग क्षेत्र को क्रमानुसार १२५·२८ करोड़ तथा १३·०८ करोड़ रुपये की पूंजी स्थानान्तरित की गई ।

(घ) स्टर्लिंग क्षेत्र के देशों को पूंजी के स्थानान्तरण मुख्यतः निम्न कारणों से हुए :

(१) स्टर्लिंग क्षेत्र के नागरिकों द्वारा इस देश में रिटायर होने पर बैंकों में अपने हिसाब तथा अन्य प्रकार की बचत का स्थानान्तरण ।

(२) स्टर्लिंग क्षेत्र के निवासियों द्वारा अपने पूंजीगत परिसम्पत् वापिस ले जाना ।

(३) देश छोड़ कर जाने वालों के स्थानान्तरण ।

(४) स्टर्लिंग क्षेत्र के अस्थायी रूप से भारत में रहने वाले नागरिकों द्वारा अपनी बचत के धन का विनियोग के लिये स्थानान्तरण ।

(५) व्यापार संस्थाओं की बिक्री या परिसमापन ।

ग़ैर-स्टर्लिंग क्षेत्रों को पूंजी के स्थानान्तरण के कारण ये थे :

(१) दामों के अधीन पूंजी का बंटवारा ।

(२) ग़ैर-स्टर्लिंग क्षेत्रों के भारत में अस्थायी रूप से रहने वाले नागरिकों द्वारा अपनी बचत के धन का स्थानान्तरण।

(३) रिटायर होने पर या देश से जाते समय परिसम्पतों का स्थानान्तरण ।

(४) ऋणों का चुकाया जाना या जमा की गई राशि से अधिक निकलवाये गये धन का लौटाना ।

डा० एम० एम० दास : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या भारत के रिज़र्व बैंक का स्टर्लिंग क्षेत्र को धन भेजने पर कोई नियंत्रण है जिससे कि पूंजी का स्थानान्तरण रोका जा सके ?

श्री बी० आर० भगत : जी हां, रिजर्व बैंक का एक काम यह भी है ।

डा० एम० एम० दास : क्या मैं यह जान सकता हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत को विदेशों को धन भेजने पर, विदेश विनिमय नियंत्रण कितने समय तक रखने की अनुमति दी है ?

श्री बी० आर० भगत : श्रीमान्, मैं प्रश्न को ठीक से समझा नहीं हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह नियंत्रण लगाने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अनुमति आवश्यक होती है ?

डा० एम० एम० दास : जी, हां ।

श्री बी० आर० भगत : अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है ।

डा० एम० एम० दास : मैं इस पर प्रकाश डालता हूं .....

उपाध्यक्ष महोदय : इस की कोई आवश्यकता नहीं । यह तो सीधा सा प्रश्न है ।

श्री दामोदर मेनन : प्रश्न के भाग (ख) तथा (ग) के सम्बन्ध में क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि माननीय मंत्री ने जो आंकड़े दिये हैं, उन में पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा प्रतिभूतियों के रूप में पाकिस्तान को भेजी गई पूंजी भी शामिल है ?

श्री बी० आर० भगत : श्रीमान्, पाकिस्तान स्टर्लिंग क्षेत्र में है । मेरे पास पाकिस्तान के सम्बन्ध में अलग आंकड़े नहीं हैं परन्तु क्योंकि पाकिस्तान स्टर्लिंग क्षेत्र में है, मेरा विचार है कि इन आंकड़ों में पाकिस्तान सम्बन्धी आंकड़े भी शामिल हैं ।

श्री दामोदर मेनन : मैं तो यह जानना चाहता था कि इस में भारत में पाकिस्तानी नागरिकों की प्रतिभूतियां भी शामिल हैं या नहीं ।

श्री बी० आर० भगत : इस प्रश्न के लिये मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री सारंगधर दास : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या इन आंकड़ों में भारतीय नागरिकों द्वारा स्टर्लिंग तथा ग़ैर-स्टर्लिंग क्षेत्रों को किये गये स्थानान्तरण भी शामिल हैं या नहीं ?

श्री बी० आर० भगत : जी, नहीं । मैं ने विभिन्न प्रकार के स्थानान्तरणों का उल्लेख किया है और उन में मुख्यतः ऐसी विनियोजित पूंजी है जो भारत में अस्थायी रूप से रहने वाले विदेशी नागरिकों ने भारत से बाहर भेजी है ।

श्री पुन्नूस : प्रश्न के भाग (ख) तथा (ग) के सम्बन्ध में क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि इस समय में उन क्षेत्रों को भारत से भेजी गई पूंजी की तुलना में उन क्षेत्रों से भारत में कितनी पूंजी आई ?

श्री बी० आर० भगत : मेरे पास भारत से बाहर भेजी गई पूंजी के ही आंकड़े हैं भारत में आने वाली पूंजी के नहीं । उस के आंकड़े बताने के लिये मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

डा० एम० एम० दास : क्या सरकार को मालूम है कि मैसर्स कैटलवेल एण्ड बुलेन, कलकत्ता ने अपने साधारण अंश बेच कर अपनी एक करोड़ रुपये से अधिक की पूंजी स्थानान्तरित कर ली है जिस से वरीय अंश के मालिक भारतियों को हानि पहुंची है और क्या सरकार का इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री बी० आर० भगत : यह प्रश्न विचाराधीन है ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि स्टर्लिंग क्षेत्र को भारत से स्थानान्तरित की गई पूंजी के आंकड़े किस

हद तक इस बात के प्रतीक हैं कि औद्योगिक विनियोगों का स्वामित्व भारतीयों के हाथ में आ रहा है ?

श्री बी० आर० भगत : अलग अलग आंकड़े नहीं मिलते ।

श्री बंसल : क्या माननीय मंत्री यह बतला सकते हैं कि कुल मिला कर, इस अवधि में, भारत में विदेशी पूंजी निकाली गई है या लगाई गई है ?

श्री बी० आर० भगत : यह प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक विकास छात्रवृत्तियां

*८३८. **श्री एस० सी० सामन्त :** (क) क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक विकास छात्रवृत्तियों या पारिषद्यताओं का उपयोग किया गया है ?

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने टेकनीकल व्यक्तियों को सड़क तथा पुलों की इंजनीयरी के आधुनिक तरीकों की ऊंची व्यावहारिक ट्रेनिंग लेने के लिए विदेश भेजा गया है ?

(ग) वे व्यक्ति किन स्थानों पर अध्ययन कर चुके हैं या कर रहे हैं ?

वित्त मंत्री के सभा-सचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) जी हां ।

(ख) दो ।

(ग) आस्ट्रेलिया और अमरीका ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं उन योजनाओं के नाम पूछ सकता हूं जिन के अधीन सड़क तथा पुल सम्बन्धी इंजनीयरी की ऊंची व्यावहारिक ट्रेनिंग विदेशों में प्राप्त करने की सुविधाएं मिलती हैं ?

श्री बी० आर० भगत : मैं योजनाओं के नाम तो नहीं बता सकता परन्तु ब्योरा दे सकता हूं । पिछले तीन वर्षों में सयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक विकास छात्रवृत्तियों, तथा पारिषद्यताओं की संख्या इस प्रकार थी :—

१९५० — ८
१९५१ — ३२
१९५२ — ३४

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान् क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि छात्रवृत्तियां पाने वालों को सम्बद्ध देशों की ये सुविधायें पाने के लिए किसी शर्त का पालन करना पड़ता है ?

श्री बी० आर० भगत : कोई शर्त नहीं लगाई जाती । बात केवल यह है कि ट्रेनिंग पाने वाले सरकार द्वारा भेजे जाते हैं और उन देशों में सुविधाएं उपलब्ध हैं । और कोई शर्त नहीं ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजे गए व्यक्तियों में सरकारी कर्मचारी भी हैं और क्या उन्हें लौटने पर निश्चित पदों पर लगाया जायगा ?

श्री बी० आर० भगत : केवल दो को भेजा गया है और दोनों सरकारी कर्मचारी हैं ।

कुमारी एनी मस्करीन : क्या मैं यह पूछ सकती हूं कि छात्रवृत्ति की राशि कितनी है और कितने समय तक ट्रेनिंग दी जाती है ?

श्री बी० आर० भगत : मैं छात्रवृत्ति की राशि अभी नहीं बता सकता परन्तु पारिषद्यता का काल ४ से ६ महीने तक है और छात्रवृत्ति का एक से दो वर्ष तक ।

श्री नानादास : क्या मैं अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के उम्मीदवारों की संख्या जान सकता हूं जिन्होंने यह छात्र-वृत्तियां ली हैं ?

श्री बी० आर० भगत : उन में से एक का नाम श्री बी० पी० पटेल है और दूसरे का श्री के० एस० कृष्णन। मैं यह नहीं जानता कि वे अनुसूचित जातियों के हैं या नहीं।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न राष्ट्रों को ये छात्रवृत्तियां देते समय किन किन बातों का ध्यान रखता है ?

श्री बी० आर० भगत : हम उन्हें अपनी आवश्यकताएं बता देते हैं और वह अन्य देशों से बात कर लेता है। संघ यह देख लेता है कि ट्रेनिंग की कितनी सुविधाएं मिल सकती हैं और उन में कहां तक गुंजाइश है और इस प्रकार उन के साथ हमारी आवश्यकताओं का समायोजन हो जाता है।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि इन उम्मीदवारों को कौन सा प्राधिकारी चुनता है। और क्या उम्मीदवारों को चुनने से पहले केन्द्रीय सड़क संस्था से सलाह ली जाती है ?

श्री बी० आर० भगत : इस चुनाव की प्रक्रिया यह है कि किसी विशेष विषय में ट्रेनिंग के उम्मीदवारों को अपना मामला अधिकारियों के सामने रखना पड़ता है। वे प्रशासन व्यवस्था के प्रति जिम्मेदार होते हैं और सम्बद्ध मंत्रालय विशेष से सलाह अवश्य ही ली गई होगी।

श्री के० सी० सोधिया : क्या ये वृत्तियां पाने वाले लोग वापस आकर नौकरी पाते हैं ?

श्री बी० आर० भगत : हां, ये दोनों वापस आ गए हैं, और नौकरी में लग गए हैं।

आय-कर अपील न्यायाधिकरण

*८४१. **श्री गिडवानी :** (क) क्या विधि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सरकार ने आय-कर अपील न्यायाधिकरणों की इलाहाबाद तथा पटना बेंचों को दिल्ली तथा कलकत्ता ले जाने का निश्चय किया है ?

(ख) क्या प्रस्तावित स्थानान्तरण रोक दिया गया है ?

(ग) यदि हां, तो इन बेंचों को दूसरे स्थानों पर ले जाने का निश्चय करने के क्या कारण थे ?

(घ) स्थानान्तरण स्थगित करने के क्या कारण हैं ?

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : (क) तथा (ख). जी हां।

(ग) इलाहाबाद तथा पटना बेंचों में काम इतना कम हो गया था कि सरकार ने विचार किया कि इन दोनों में से किसी भी स्थान पर बेंच रखना उचित नहीं है।

(घ) सरकार ने इन बेंचों का प्रस्तावित स्थानान्तरण इसलिए रोक दिया है कि इस के विरुद्ध कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और इस प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है ?

श्री एस० एन० दास : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या इलाहाबाद और पटना से इन अपीलीय न्यायाधिकरणों को दिल्ली तथा कलकत्ता स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में जनता की सुविधा पर विचार किया गया है ?

श्री बिस्वास: श्रीमान्, प्रत्येक मामले में, इन प्रस्थापनाओं में जिस बात पर सब से अधिक महत्व दिया गया, वह निर्धार्य की सुविधा से ही सम्बद्ध थीं । सब से बाद की प्रस्थापना में तो इन राज्यों के निर्धार्यों पर ही यह बात छोड़ दी गई थी कि अपीलों और अभिवेदन पत्रों की सुनाई कहां पर होगी । यों तो यह मामला अभी भी विचाराधीन है क्योंकि तब से बहुत से प्रतिनिधान प्राप्त हो चुके हैं ।

श्री झुनझुनवाला: इस प्रश्न से यह प्रश्न उठता है कि उन निर्धार्यों का दृष्टिकोण किस तरह जाना गया ?

श्री बिस्वास: मैं ने उत्तर में बताया था कि "निर्धार्यों का दृष्टिकोण नहीं अपितु उनकी सुविधाओं को ध्यान में रखा जायगा" ।

सरदार ए० एस० सहगल : श्रीमान्, क्या मैं ज्ञात कर सकता हूं कि कितने व्यक्तियों में माननीय मंत्री के पास इस बात का प्रतिनिधित्व भेजा है कि इस मामले पर विचार किया जाय ?

श्री बिस्वास : जहां तक पटना का सम्बन्ध है, किसी भी संस्था अथवा किन्हीं भी निर्धार्यों से कोई भी प्रतिनिधान प्राप्त नहीं हुए हैं । और जहां तक इलाहाबाद का प्रश्न है, बहुत से प्रतिनिधान किये गये हैं, और एक शिष्टमंडल भी विधि मंत्री से भेंट कर चुका है, और उनकी सुनाई भी हुई है । मैं ने, वास्तव में, उक्त न्यायाधिकरण के अध्यक्ष को मुझ से मिलने के लिये इसीलिये कहा क्योंकि मैं उक्त शिष्टमंडल द्वारा किये गये प्रतिनिधानों के प्रकाश में उन अध्यक्ष जी से इस मामले पर पूरी पूरी बहस करना चाहता था ।

चौर्यायन

***८४२. डा० राम सुभग सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह तथ्य है कि विगत महीनों में बम्बई आगमशुल्क अधिकारियों ने गोआ, दमन और द्यो से महसूल की चोरी करके बम्बई नगर में लाये जाने वाला विलास सामान बहुत बड़ी मात्रा में पकड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो उस पकड़े गये सामान का मूल्य क्या होगा, और

(ग) क्या इस तरह की महसूल की चोरी के सामान के लाये जाने में अब कमी होती जा रही है ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा): (क) तथा (ख) . अभी हाल (यानी जनवरी से जुलाई, १९५३ तक) के महीनों में १,९६,२९३ रुपये के मूल्य की विलास-सामग्री बम्बई में वहां आगम शुल्क पदाधिकारियों द्वारा इस सन्देह में पकड़ी जा चुकी है कि यह गोआ, दमन और द्यो से महसूल को बचा के लाई जा रही थी ।

(ग) इसका साफ़ उत्तर देना कठिन है । श्रीमान्, मैं इतना ही कह सकता हूं कि इस तरह की महसूल की चोरी की कड़ी रोकथाम की गई है, और ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसके परिणामस्वरूप महसूल की चोरी में कमी होती जा रही है ।

श्री गिडवानी: मैं जान सकता हूं कि क्या इन स्थानों से शराब भी चोरी से बम्बई पहुंचायी जा रही है ?

श्री ए० सी० गुहा: श्रीमान्, शराब भी उन में से एक पदार्थ है ।

श्री पी० एन० राजभोज: मैं यह पूछना चाहता हूं कि अगर आप इतना बेशकीमती सामान अपने यहां मंगाने की

इज़ाजत नहीं देंगे तो गोआ वालों को यहां कौन आने देंगे ? और दूसरे यह है कि गोआ के कितने ऐसे नागरिक हैं जो भारत और गोआ के बीच में व्यापार करते हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं समझ नहीं सका हूं ।

श्री पी० एन० राजभोज : मैं एक सवाल कहता हूं कि अगर आप इतनाबेशक़ीमती सामान अपने यहां मंगाने की इज़ाजत नहीं देंगे तो गोआ वालों को फिर यहां कौन आने देंगे ?

श्री ए० सी० गुहा : महसूल की चोरी करने वालों का अपना चातुर्य है और वह चातुर्य से ही सामान निकाल लाते हैं ।

श्री जयपाल सिंह : विस्की (एक प्रकार की बढ़िया शराब) को सारभूत पदार्थ माना गया है अथवा विलासित पदार्थ ?

श्री ए० सी० गुहा : यह तो सम्बद्ध व्यक्ति पर ही निर्भर करता है ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं जान सकता हूं कि कब से इस प्रकार की महसूल की चोरी बढ़ गई है और कब से भारत सरकार अथवा बम्बई स्थित अगमशुल्क पदाधिकारियों ने महसूल की चोरी की रोक-थाम के लिये सक्रिय कार्यवाही प्रारम्भ की है ?

श्री ए० सी० गुहा : इसतरह की महसूल की चोरी तो बहुत समय से जारी थी और भारत सरकार सभी प्रकार की संभव सावधानियां बरतने से इस को प्रतिबन्धित कर रही है । अभी हाल में कई वस्तुओं की महसूल की चोरी बढ़ती जा रही है ।

श्री हेडा : मैं जान सकता हूं कि महसूल की चोरी कर के सामान ले जाने वालों को क्या दण्ड दिया जाता है, और क्या इस दण्ड को और भी कड़ा किया जा रहा है ?

श्री ए० सी० गुहा : हम अधिक कड़े दण्ड देते रहे हैं, और मैं अनेक बार बतला चुका हूं कि इस प्रकार का सामान ज़ब्त किया जाता है और चोरी से निकाले गये सामान के मूल्य का तीन गुना व्यक्तिगत अर्थदण्ड भी दिया जाता है । कई बार इन महसूल के चोरों पर मुकदमे चलाये जाते हैं ।

श्री एस० वी० रामस्वामी : क्या यह सच है कि इस अवैध महसूल की चोरी के कारण भारत को आगमशुल्क से प्राप्त होने वाले राजस्व के तीन चौथाई भाग का घाटा देना पड़ रहा है, और यदि हां, तो इस को रोकने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं सही आंकड़ों को प्रस्तुत नहीं कर सकता, किन्तु इतना जानता हूं कि बहुत बड़े पैमाने पर महसूल की चोरी होती जा रही है, और इस के मुकाबले में महसूल की चोरी करके लाये गये सामान की बहुत ही कम मात्रा संदेह में पकड़ी जाती है । इस सामान का बहुत बड़ा भाग तो हाथ से निकल जाता है । हमारे पास तो इतनी ही जानकारी है ।

श्री दाभी : क्या मैं उन महत्वपूर्ण बिलासिता-वस्तुओं के नाम जान सकता हूं जो महसूल की चोरी किये जाने पर भारत पहुंचाये जाते हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : रेशम और नक़ली रेशम, घूमने वाली पैन्सिलें और उनके सीसे, घड़ियां और दीवार की घड़ियां, फाउन्टेन पेन तथा उसके पुर्ज़े, पहनने की पोशाक, सिगरेट लाइटर (सिगरेट जलाने वाली जेबी मशीन), रुमाल, ऋंगार-प्रसाधन,

मोज़े, डेस्क सेट (डेस्क तथा डेस्क पर का सामान), नक़ली आभूषण, कलाई-घड़ी बांधने की धातु की पट्टियां (स्ट्रैप), और अन्य सामान जिस में तरह तरह की शराब भी सम्मिलित है ।

श्री जोकीम आल्वा : जैसा कि माननीय मंत्री ने बतलाया है कि केवल कुछ लाख रुपये के मूल्य की वस्तुयें पकड़ी जा चुकी हैं, तो क्या इस कथन के अनुसार इस विलासिता सामान की महसूल की चोरी छोटे पैमाने पर चल रही है अथवा क्या सरकार असली सोना जैसे लाखों रुपयों के मूल्य के बड़े माल को पकड़ने की ताक में है, जिसे बहुत बड़ी मात्रा में महसूल की चोरी कर के निकाला जा रहा है ?

श्री ए० सी० गुहा : यह प्रश्न पुर्तगाली भारत से ही सम्बद्ध है । यदि माननीय सदस्य साधारण रूप से महसूल की चोरी की ओर निर्देश कर रहे हैं, तो वह एक अलग प्रश्न बन जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यहां तो विलासिता के सामान की ओर ही निर्देश है ।

श्री ए० सी० गुहा : और, श्रीमान्, वह भी पुर्तगाली भारत से लाये गये सामान के सम्बन्ध में निर्देश किया जा रहा है ।

सरदार ए० एस० सहगल : मैं जान सकता हूं कि क्या मद्य निषेध नीति चलाये जाने के बाद भी बहुत बड़ी मात्रा में चोरी चोरी से शराब लायी जा रही है ।

श्री ए० सी० गुहा : यह तो अनुमान की बात है ।

श्री गिडवानी : क्या यह सच है कि बम्बईके आगमशुल्क विभाग के कई अधीनस्थ पदाधिकारियों को महसूल की चोरी करते हुए शराब निकालते पकड़ा गया और मुअत्तिल किया गया, और अब उन्हें नौकरी में रखा जा रहा है ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं माननीय सदस्य का अनुगृहीत हूंगा यदि वह मुझे कोई निश्चित जानकारी दें किन्तु मेरी समझ में इस समय ऐसी कोई भी बात नहीं है ।

डा० रामसुभगसिंह : कौन से लोग महसूल की चोरी का काम किया करते हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : महसूल की चोरी करने वाले करापहारक ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या वे ....

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री उनका श्रेणीकरण कर सकते हैं ? वह इसी बात का उत्तर चाहते हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या वे भारतीय नागरिक हैं अथवा गोआ के नागरिक ?

श्री ए० सी० गुहा : मेरा विचार है कि वे प्राय: भारतीय ही हैं, और यह भी हो सकता है कि उन में कुछ अभारतीय भी हों ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

कई माननीय सदस्य उठे--

उपाध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य इतने सारे प्रश्न पूछने के बावजूद भी संतुष्ट नहीं हैं, तो अभी आध घण्टे की बहस होने वाली है । और यदि कोई महत्वपूर्ण मामला हो तो कोई भी सदस्य अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकता है । तीन करोड़ रुपये के मूल्य की महसूल की चोरी होती जा रही है । मंत्री जी स्वयं बताते हैं कि इसका केवल एक थोड़ा सा भाग पकड़ा जा रहा है ।

तम्बाकू कर

*८४३. **श्री संगण्णा :** (क) क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को मालूम है कि कोरापट और फूलबानी जिलों (उड़ीसा) के तम्बाकू पैदा

करने वाले तम्बाकू उत्पादन कर देने में असमर्थ हैं और इसलिए उनकी सम्पत्तियां कुर्क की जा रही हैं ?

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि गत तीन वर्षों के कर का बकाया अब एक एक किस्त में वसूल किया जा रहा है ?

(ग) यदि उक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो तम्बाकू उत्पादकों के कष्ट निवारण के लिए सरकार ने क्या कार्यवाहियां की हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) और (ख). नहीं, श्रीमान् । सरकार को जो प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं, उनसे इन आरोपों की पुष्टि नहीं होती ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता । मैं सदन की जानकारी के लिए यह बता दूं कि कोरापट जिले की रोयागादा तहसील को छोड़कर, ये सब कम पैदावार वाले क्षेत्र हैं और जितना तम्बाकू पैदा होता है वह सारा या तो गोदामों को भेज दिया जाता है या निजी उपभोग के लिए छोड़ दिया जाता है और इसके बाद कुल पैदावार का केवल बहुत थोड़ा प्रतिशत भाग कर लगाने के लिए बच जाता है । राजस्व की वसूली में केन्द्रीय आबकारी पदाधिकारियों द्वारा किसी कठोरता के किए जाने की सरकार को कोई शिकायतें नहीं मिली हैं ।

श्री संगण्णा : सरकार का निर्णय कब लागू होगा ?

श्री ए० सी० गुहा : श्रीमान् मेरी समझ में नहीं आया : यहां पर किसी भी निर्णय का प्रश्न नहीं है । मैं पहले ही कह चुका हूं कि सरकारी प्रतिवेदनों से उक्त आरोप की पुष्टि नहीं होती । फिर निर्णय का प्रश्न कहां रहा ?

श्री संगण्णा : माननीय मंत्री ने कहा था कि छोटे पैमाने पर पैदा किए जाने वाले तम्बाकू को कर से मुक्त करने का एक प्रस्ताव है । अतः मैं यह जानना चाहता कि सरकार उस विषय में कब कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं ने उत्तर में कहा है कि इन में से अधिकांश स्थान कम पैदावार वाले क्षेत्र हैं और इसलिए अधिकतर तम्बाकू पर कर नहीं लगाया जाता ।

श्री राघवय्या : इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि यह कर एक युद्धकालीन व्यवस्था है, जिसको युद्ध के काल में राज्यकोष को भरने के लिए राजस्वों की वसूली के विचार से शुरू किया गया था, क्या सरकार इस बात को देखेगी कि यह कर उन किसानों पर नहीं लगाया जाये जो अब तम्बाकू पैदा करते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं । मैं ऐसे प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा । इस पर आयव्ययक अथवा वित्त संबंधी वाद विवाद के समय विचार विमर्श हो सकता है ।

श्री राघवय्या : एक शिकायत यह है कि .....

उपाध्यक्ष महोदय : कर सदैव एक शिकायत होता है ।

श्री हेडा : क्या माननीय मंत्री हमें इस संबंध में कोई अन्दाज़ दे सकते हैं कि तम्बाकू के वर्तमान बाजार भाव का यह तम्बाकू कर कौन सा प्रतिशत भाग है ?

श्री ए० सी० गुहा : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य कर की दर जानते हैं और वह आसानी से अनुपात का हिसाब लगा सकते हैं । अभी मेरे पास आंकड़े नहीं हैं । यह एक साधारण हिसाब किताब का विषय है ।

श्री राघवय्या : क्या मैं जान सकता हूं कि भारतीय पत्ती-तम्बाकू व्यापार कम्पनी, एक ब्रिटिश संस्था, जैसे बड़े पैमाने पर खरीदने तथा पैदा करने वाले इस तम्बाकू कर से क्यों विमुक्त हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : नहीं श्रीमान् वे विमुक्त नहीं हैं ।

श्री बादशाह गुप्त : क्या मैं तम्बाकू की वह अधिकतम मात्रा जान सकता हूं जो स्वयं किसान के उपभोग के लिए कर से विमुक्त हैं ?

श्री ए० सी० गुहा : अधिकतर मामलों ३० सेर विमुक्त है ।

श्री बी० सी० दास : यदि यह शिकायत कि अब सरकार कर का सारा बकाया ही किस्त में वसूल कर रही है, तो क्या सरकार इस बकाया की वसूली को स्थगित करने का विचार करती है ?

श्री ए० सी० गुहा : नहीं, श्रीमान् । सरकार यह आश्वासन नहीं दे सकती कि वह बकाया की वसूली को स्थागित कर देगी, लेकिन मैं समझता हूं कि प्रश्न का प्रथम भाग सही नहीं है । सरकार कर देने में काश्तकारों की कठिनाइयों को कम करने के लिए प्रत्येक कार्यवाही करती रही है ?

श्री बी० सी० दास : क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया गया है कि गत वर्ष इन तम्बाकू उत्पादकों को बहुत क्षति उठानी पड़ी थी ?

श्री ए० सी० गुहा : प्रश्न उड़ीसा के केवल दो ज़िलों के संबंध में है, और चूंकि अब एक आम बहस जारी है, मैं केवल यह आश्वासन दे सकता हूं कि सरकार को यह मालूम है कि कुछ मामलों में कुछ कठिनाई है और सरकार ने काश्तकारों की कठिनाइयों को कम करने के लिए पर्याप्त पूर्वोपाय किए हैं । और हर बार सरकार अपनी नीति में संशोधन करती रही है । अभी हाल ही में विमुक्ति २० सेर से बढ़ा कर ३० सेर कर दी गई है ।

बुनियादी शिक्षा (त्रिपुरा)

*८४४. **श्री बीरेन दत्त :** (क) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा में बुनियादी शिक्षा योजना पर कितनी राशि व्यय की गई है ?

(ख) ऐसे बुनियादी शिक्षा के केन्द्रों के नाम क्या हैं ?

प्राकृतिक संसधान तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) १९५२-५३ में त्रिपुरा में बुनियादी शिक्षा पर ४१,३०५ रुपये व्यय हुए थे ।

(ख) चम्पकनगर में त्रिपुरा लोक शिक्षालय ।

श्री बीरेन दत्त : क्या मैं जान सकता हूं कि इस बुनियादी शिक्षा को चालू करने के नाम पर, क्या त्रिपुरा की सरकार ने आदिम जाति क्षेत्र के गैर सरकारी स्कूलों को मान्यता नहीं दी है ?

श्री के० डी० मालवीय : श्रीमान्, मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं मालूम है ।

श्री बीरेन दत्त : क्या मैं जान सकता हूं कि अपने गैर सरकारी स्कूलों के लिए मान्यता प्राप्त करने के लिए शिक्षा विभाग को आदिम जाति लोगों ने कितनी याचिकाएं भेजी हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : यह जानकारी यहां नहीं है । कदाचित् त्रिपुरा- सरकार के पास हो ।

श्री बीरेन दत्त : क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि इस बुनियादी शिक्षा योजना के नाम पर आदिम

जाति क्षेत्रों के प्राथमिक स्कूलों की उपेक्षा नहीं की जायेगी ?

श्री के० डी० मालवीय: निश्चय ही हमारा यह विचार नहीं है कि चूंकि हम बुनियादी शिक्षा चाहते हैं इसलिए प्राथमिक शिक्षा के विस्तार अथवा प्राथमिक स्कूलों को दबाया जाये ।

श्री पुन्नूस: क्या मैं यह जान सकता हूं कि राज्य में साक्षरता कितनी है और यह भी कि सम्पूर्ण शिक्षा की तुलना में बुनियादी शिक्षा पर कितना प्रतिशत धन व्यय किया जाता है ?

श्री के० डी० मालवीय: मैं ने अभी बताया कि त्रिपुरा राज्य में १९५२-५३ में ४१,३०५ रुपया व्यय किया गया था । सम्पूर्ण शिक्षा के लिए वार्षिक मंजूरी के संबंध में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं ।

श्री पुन्नूस: साक्षरता कितने प्रतिशत है ?

उपाध्यक्ष महोदय: अन्य किसी प्रान्त से वहां साक्षरता अधिक नहीं हो सकती।

श्री नानादास: क्या मैं उस राज्य में बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या जान सकता हूं?

श्री के० डी० मालवीय: मेरे पास अभी कोई सूचना नहीं है ।

श्री राघवय्या: क्या मैं जान सकता हूं कि त्रिपुरा में चालू की गई बुनियादी शिक्षा वहां के कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करेगी अथवा हतोत्साहित ?

श्री के० डी० मालवीय: निश्चय ही, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देने का विचार है।

लाला अचिन्त राम: क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जब गवर्नमेंट इतना रुपया बेसिक शिक्षा के लिए खर्च कर रही है तो वहां जो बेसिक शिक्षा का एक्सपैरीमेंट हो रहा है वह कामयाब साबित हो रहा है ?

श्री के० डी० मालवीय: जी, हां । त्रिपुरा गवर्नमेंट का यही ख्याल है कि बेसिक शिक्षा का जो प्रचार हो रहा है वह सन्तोषजनक है । इसीलिए उसके प्रचार के लिये उन्होंने और रुपया मांगा है और उनकी स्कीमें चल रही हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय: अगला प्रश्न ।

लाला अचिन्त राम खड़े हुए—

उपाध्यक्ष महोदय : जब कि सभी दूसरे लोग अनुपूरक प्रश्न समाप्त कर चुके हैं तब अचानक माननीय सदस्य खड़े हुए हैं ।

लाला अचिन्त राम: आप उस तरफ देख रहे थे और चूंकि मैं बीच में था, आपने मुझे नहीं पुकारा ।

उपाध्यक्ष महोदय: जैसे ही माननीय सदस्यगण खड़े होते हैं वैसे ही मुझे पता चल जाता है कि कौन कौन अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं । उसके बाद वह बैठ जाते हैं और मैं सदन में एक ओर से दूसरी ओर देखता हूं और उनको पुकारता हूं । मैं किसी को भूलता नहीं ।

माननीय सदस्य पहले नहीं खड़े हुए थे ।

लाला अचिन्त राम : क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह सैंटर जहां मदद दी जा रही है, इनमें से कोई ऐसे सैंटर हैं जो पार्शियली या होल्ली सेल्फ सफीशियैंट हों या जिन के ऐसा होने की सम्भावना है ?

श्री के० डी० मालवीय: मुझे नहीं मालूम और त्रिपुरा गवर्नमेन्ट ने ऐसी कोई सूचना हमें नहीं दी है ।

विदेशी छात्रवृत्तियां

*८४५. **श्री मुनिस्वामी**: (क) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि अमरीका के ओहियो राज्य विश्वविद्यालय ने भारतीय विद्यार्थियों को तीन छात्रवृत्तियां देने का प्रस्ताव किया है ?

(ख) अभ्यर्थियों का चुनाव कब किया जायेगा ?

(ग) एक छात्रवृत्ति पाने के लिए किसी विद्यार्थी की आवश्यक अपेक्षाएं क्या हैं ?

(घ) इस पाठ्यक्रम के लिए काल कितना है ?

(ङ) चुने गए विद्यार्थियों को अमरीका के लिए कब रवाना होना होगा ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) सितम्बर १९५३ में ।

(ग) इन्टरमीडियेट कला अथवा विज्ञान का एक प्रथम श्रेणी का प्रमाणपत्र और आयु २० वर्ष से कम ।

(घ) छात्रवृत्तियां एक शिक्षा-वर्ष के लिए हैं ।

(ङ) उस विश्वविद्यालय से पूछा गया है ।

सेठ गोविन्द दास: क्या यह जो छात्र-वृत्तियां अमेरिका वाले दे रहे हैं ये ऐसे विषयों की हैं कि जो विषय भारतवर्ष में नहीं पढ़ाये जा सकते हैं और अगर ऐसे विषयों की नहीं है तो क्या उन विषयों के परिवर्तन का कोई प्रयत्न किया जा सकता है ?

श्री के० डी० मालवीय: नहीं, ये तो जो ओहियो यूनिवर्सिटी स्कालरशिप्स देती है उसमें उन्होंने आर्टस और साइंस दोनों का एक ऐसा विस्तृत क्षेत्र बतला दिया है कि जिसमें से कोई भी विषय चुन ले । हम को परिवर्तन का कोई अख्तियार नहीं है ।

सेठ गोविन्द दास: मैं यह जानना चाहता था कि क्या वे ऐसे विषय हैं कि जो हिन्दुस्तान में भी पढ़ाये जा सकते हैं । यदि हां तो क्या उन विषयों के परिवर्तन का कोई प्रबन्ध किया जा सकता है ?

श्री के० डी० मालवीय: वे ऐसी शिक्षा लेना चाहते हैं जिससे कि वे समझते हैं कि उन्हें लाभ हो ।

श्री मुनिस्वामी: क्या मैं जान सकता हूं क्या यह पहला अवसर है कि जब ओहियो विश्वविद्यालय ये छात्रवृत्तियां भारत को दे रहा है ?

श्री के० डी० मालवीय: मुझे निश्चित मालूम नहीं है किन्तु मेरा अनुमान है कि कदाचित यह प्रथम अवसर है जब कि उक्त विश्वविद्यालय की ओर से छात्रवृत्तियां दी गई हैं ?

श्री मुनिस्वामी: क्या मैं जान सकता हूं देश के किस भाग से उक्त विद्यार्थियों का चुनाव किया गया है ?

श्री के० डी० मालवीय: अभी चुनाव नहीं किया गया है ।

कुमारी एनी मस्करीन: क्या मैं इन विद्यार्थियों के अध्ययन-विषय जान सकती हूं ?

श्री के० डी० मालवीय: कला और विज्ञान---चुनाव के लिये व्यापक क्षेत्र है ।

श्री के० के० बसु: क्या मैं जान सकता हूं कि विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत छात्र-वृत्तियां विद्यार्थियों के अध्ययन के लिये पर्याप्त हैं अथवा उन्हें कुछ अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा ?

श्री के० डी० मालवीय : अमरीका जाने और वहां से आने का मार्ग व्यय उन्हें ही देना पड़ेगा ।

श्री सारंगधर दास: क्या विदेश में अध्ययन करने वाले इन छात्रों का चुनाव करने के लिये कोई प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन है ?

श्री के० डी० मालवीय: यह छात्रवृत्ति के अनुसार भिन्न भिन्न है । इस विशिष्ट मामले में मैं नहीं सोचता कि विद्यार्थियों का चुनाव करने के लिये किसी प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करने की मंशा है ।

श्री फीरोज गांधी: सूचना के हेतु, श्रीमान्, जो माननीय मंत्री इन प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं वह प्राकृतिक संसाधनों के उपमंत्री हैं । क्या यह आवश्यक है कि माननीय शिक्षा मंत्री की उपस्थिति में उन्हें इन प्रश्नों का उत्तर देना चाहिये ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : उपमंत्री को इन प्रश्नों का उत्तर देने से रोकने के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं है ।

श्री फीरोज गांधी: जी, यह सवालों का जवाब आपके डिप्टी मिनिस्टर ठीक से नहीं देते ।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं भी कुछ कठिनाई अनुभव कर रहा हूं और स्पष्टतः मैं उसी विचार को अभिव्यक्त कर रहा हूं जो पूर्व से ही माननीय सदस्यों के मस्तिष्क में विद्यमान है । मैं नहीं सोचता कि उपमंत्री सब फाइलों को देखते हैं किन्तु मैं कहूंगा—अच्छी तरह उत्तर दीजिये । किन्तु एक रात्रि पूर्व उनके उत्तरों के लिये संक्षिप्त रूप तैयार करने की अपेक्षा उन व्यक्तियों के विषय में अन्तर है जो कि प्रारम्भ से अन्त तक फाइलों को देखते हैं और फिर वे प्रश्नों का उत्तर देते हैं (क्योंकि वे विभिन्न श्रेणियों पर विषय से सम्बन्धित होते हैं) कुछ भी हो, माननीय सदस्यों के मस्तिष्क में यही भावना काम कर रही है । अन्यथा मुख्य प्रश्न से उद्भूत बहुतेरे अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देने में वे समर्थ नहीं हैं । मैं आशा करता हूं कि जिन माननीय मंत्रियों के पास उपमंत्री हैं वे उन्हें प्रत्येक श्रेणी पर सहयोगी बनाये रखेंगे, ताकि वे समस्त फाइलों का कार्य निभा सकें और किसी भी विषय के सदन के सम्मुख आने पर बिना कठिनाई के अनुपूरकों का उत्तर देने की स्थिति में हों ।

यह केवल एक सुझाव है जो मैं माननीय मंत्रियों के समक्ष उपस्थित कर रहा हूं ।

श्री पी० एन० राजभोज: मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट के कितने स्टूडेंट्स आये ?

श्री के० डी० मालवीय: शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिये इन स्कालरशिप्स में कोई नम्बर निश्चित नहीं है ।

श्री पी० एन० राजभोज: यह आपका जवाब ठीक नहीं मिलता ।

स्टैण्डर्ड वेक्यूम आयल कम्पनी

***८४६. श्री के० सी० सोधिया** : (क) क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या स्टेण्डर्ड वेक्यूम आयल कम्पनी द्वारा आगे आपरीक्षण कार्य और तेल निकालने के लिये छिद्रीकरण कार्य के सम्बन्ध में निवेदित प्रस्तावों के विषय में सरकार ने अन्तिम रूप से विचार कर लिया है ?

(ख) उक्त प्रस्तावों का स्वरूप क्या है ?

(ग) इनमें कौन से वित्तीय वचन संलग्न हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). वर्तमान स्तर पर अपेक्षित सूचना प्रकट करना जनहित में नहीं है ।

श्री टी० के० चौधरी: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार का ध्यान हाल की प्रेस सम्वाद की ओर आकर्षित हुआ है कि प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक अनुसन्धान विभाग के सचिव एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक के साथ अमेरिका तथा अन्य देशों में जा कर उन्होंने बंगाल के सुन्दरवन क्षेत्रों में तेल निकालने के लिये छिद्रीकरण के सम्बन्ध में विदेशी समवायों के सहयोग से कुछ प्रयोगात्मक क़रार किये हैं । क्या इन समाचारों में कुछ सत्यता है और यदि यह सही है तो इन क़रारों के पद तथा स्वरूप क्या हैं ?

श्री के० डी० मालवीय: माननीय सदस्य द्वारा दी गई निर्दिष्ट सूचना की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ है । मैं नहीं सोचता कि उक्त ढंग का कोई समाचार प्रकाशित हुआ है ।

श्री वी० पी० नायर: क्या यह सच है कि बंगाल की तलहटी के आपरीक्षण हेतु जाने वाले दल के साथ जाने वाले भारतीय वैज्ञानिक को दल द्वारा प्रयुक्त मेगनेटोमीटर और अन्य यंत्रों के विषय में विस्तृत जानकारी नहीं मालूम होने दी ?

श्री के० डी० मालवीय: मुझे स्पष्ट रूप में यह मालूम नहीं है किन्तु जिस समवाय ने आपरीक्षण किया है उसने निस्सन्देह ही अपने कार्य के लिये सूचना संग्रहीत की है । वे स्वयं सूचना का अध्ययन कर रहे हैं ।

श्री के० सी० सोधिया: क्या सरकार इस आशय के समाचार से अवगत है कि मंत्रालय के सचिव ने कलकत्ता के अपने भाषण में कहा था कि बंगाल के वृहद् भाग का आपरीक्षण कर लिया गया है और उस क्षेत्र में विपुल मात्रा में तेल प्राप्त होने की सम्भावना है ?

श्री के० डी० मालवीय: हां, श्रीमान् ।

श्री एच० एन० मुकर्जी: माननीय मंत्री ने कुछ समय पहले जो कुछ कहा क्या उससे मैं यह समझूं कि स्टेण्डर्ड वेक्यूम आयल कम्पनी ने सुन्दरबन क्षेत्र में निक्षिप्त तेल से सम्बन्धित समस्त जानकारी को सरकार के समक्ष प्रकट न कर इन तक ही सीमित रखने में पूर्ण स्वतन्त्र है ?

श्री के० डी० मालवीय: मैं ने यह पूर्ण स्वतन्त्रता और इस तरह की अन्य सब कुछ बातें नहीं कही । अभी उन्होंने, क़रार के अनुसार, कुछ पर्यवेक्षण किया है और उन्हीं के पास सूचना है । अवसर आने पर सूचना हमें दी जा सकती है । जब कभी भी पर्यवेक्षण का कार्य आगे बढ़ाने पर वार्ता होगी हम निश्चित रूप से सब कुछ जान लेंगे ।

श्री एच० एन० मुकर्जी: क्या सरकार ने यह निश्चित करने के लिये कोई विशेष कार्यवाही की है कि पर्यवेक्षण के परिणाम यथाविधि केवल इस देश की सरकार को ही जताये जायेंगे ?

श्री के० डी० मालवीय: इन सब बातों पर विचार किया जा रहा है ।

श्री टी० के० चौधरी: कुछ समय पूर्व माननीय मंत्री जी ने कहा था कि उक्त सूचना प्रकट करना जनहित में नहीं है । किन्तु उन्होंने अभी कहा है कि सरकार उचित समय में यह सूचना देशवासियों के सामने प्रकट करेगी इससे वह बात लुप्त हो जाती है । क्या वह स्थिति को स्पष्ट करेंगे ?

श्री के० डी० मालवीय: मैंने अभी कहा है कि अभी उन स्थितियों को प्रकट करना अथवा

सूचना बतलाना जनहित में नहीं है। उचित समय आने पर सूचना संदन के सम्मुख रखी जायगी।

श्री के० के० बसु: क्या मैं जान सकता हूं कि स्टेण्डर्ड वेक्यूम आयल कम्पनी के वास्तविक आपरीक्षण कार्य से कोई भारतीय वैज्ञानिक भी सम्बन्धित थे ?

श्री के० डी० मालवीय: उड़ान के समय कुछ भारतीय अवश्य ही साथ थे किन्तु मैं अभी यह कहने की स्थिति में नहीं हूं कि क्या आपरीक्षण कार्य के समय भी वे वस्तुतः उनके साथ थे।

श्री वी० पी० नायर: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या दल से भारतीय वैज्ञानिकों को सम्बन्धित करने के लिये भारत सरकार ने नहीं कहा था और क्या भारत सरकार ने किसी समय यह आग्रह किया था कि भारतीय वैज्ञानिकों को भी विस्तृत बातें जानने की अनुमति दी जाय अथवा वे उस क्षेत्र में केवल सैर-सपाटे के लिये ही भेजे गये थे ?

श्री के० डी० मालवीय: उन का उद्देश्य सैर-सपाटा करना नहीं था। करार के अनुसार भारत सरकार ने आग्रह किया कि योजना का पर्यवेक्षण, निरीक्षण और आपरीक्षण-उड़ान में भारतीयों को भी सम्मिलित किया जाय।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत शिक्षा संबंधी योजनायें

*८२८. **चौ० रघुवीर सिंह**: (क) **शिक्षा** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत शिक्षा सम्बन्धी योजनाओं को क्रियान्वित करने तथा उन पर निगरानी रखने के लिये उन के मंत्रालय में १९५०–५३ के काल में कुछ अधिकारियों को नियुक्त किया गया है ?

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने अधिकारी चुने गये हैं या चालू वर्ष में चुने जाने वाले हैं ?

(ग) उन्हें किस प्रकार चुना जाता है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद): (क) जी हां।

(ख) छः अधिकारी नियुक्त किये जा चुके हैं, एक चुना जाने वाला है।

(ग) अधिकारियों का चुनाव संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियमों के विनिमय ४ (ख) के अधीन सब से अधिक योग्य उम्मीदवारों में से किया जाता है।

दिल्ली में जनसंघ अन्दोलन

*८३०. **प्रो० डी० सी० शर्मा**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) दिल्ली राज्य में जन संघ आन्दोलन के सिलसिले में अब तक पकड़े गये व्यक्तियों की संख्या;

(ख) क्षमा मांगने के परिणाम स्वरूप छोड़े गये व्यक्तियों की सख्या; तथा

(ग) उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें सज़ा दी गई ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) २५४३.

(ख) ९४.

(ग) १९३७.

'फ़्रिगेटों की खरीद

*८३२. **श्री के० पी० सिन्हा**: (क) **रक्षा** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि इंग्लैंड की सरकार ने भारत सरकार को रॉयल नेवी के 'बीडेल' तथा 'लेमर्टन' नामक दो फ़्रिगेट (लड़ाई के जहाज़) प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यों के लिये दिये हैं ?

(ख) क्या ये दो जहाज़ भारत ले आये गये हैं ?

(ग) यदि हां तो किस मूल्य पर ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) :(क) इंग्लैंड की सरकार ने तीन 'फ़्रिगेट' उधार दिये हैं।

(ख) जहाज़ सितम्बर १९५३ के अन्त तक भारत पहुचेंगे ।

(ग) ये जहाज़ उधार दिये गये हैं परन्तु इनके ढांचे में अदल बदल करने तथा इन्हें आधुनिक रूप से सुसज्जित करने का ख़र्चा, जो लगभग ३० लाख रुपये होगा, भारत सरकार द्वारा उठाया जायेगा।

अनधिकृत रूप से आयात किये गये माल की जबती

*८३३. **श्री राधारमण** : क्या **वित्त** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५२–५३ में अनधिकृत रूप से आयात किये जाने के कारण बहिशुल्क अधिकारियों द्वारा ज़ब्त की गई सम्पत्तियों का मूल्य;

(ख) जुर्मानों के रूप में वसूल की गई राशि; तथा

(ग) ज़ब्त किये गये माल को बेच कर वसूल की गई राशि ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) वर्ष १९५२–५३ में अनधिकृत रूप से आयात किये जाने के कारण बहिशुल्क अधिकारियों द्वारा ज़ब्त की गई सम्पत्तियों का मूल्य लगभग १,६९,२७,००० रुपये है।

(ख) माल को ज़ब्त करने के बजाय जुर्माना वसूल कर के लगभग ३७,३८,००० रुपये वसूल किये गये। इस के अलावा व्यक्तिगत जुर्माने के रूप में लगभग १,५०,००० रुपये वसूल किये गये।

(ग) ज़ब्त किये गये माल को बेच कर लगभग ३०,५४,००० रुपये की राशि वसूल की गई।

तीस हज़ारी में न्यायालय की इमारत

*८३४. **श्री राधारमण** : (क) **गृह-कार्य** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को पता है कि क़रीब एक वर्ष हुए तीस हज़ारी में न्यायालय की प्रस्तावित इमारत का शिलान्यास किया गया था ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रस्थापना की मुख्य बातों का एक संक्षिप्त विवरण सदन पटल पर रखेगी ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां ।

(ख) मैं एक विवरण सदन पटल पर रखता हूं । **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३१]**

'बाक्साइट'

*८३९. **श्री ए० एन० विद्यालंकार** : **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भारत भूतत्वीय परिमाप संस्था की हाल ही की जांच पड़ताल से पता चला है कि विन्ध्य प्रदेश के अमरकंटक क्षेत्र में बॉक्साइट काफ़ी मात्रा में मौजूद है;

(ख) यदि हां, तो वह क्षेत्र कितना बड़ा है जहां यह बॉक्साइट उपलब्ध है; तथा

(ग) बॉक्साइट की अनुमानित मात्रा ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) जी हां ।

(ख) लगभग ७ वर्ग मील ।

(ग) लगभग ५००,००० टन ।

पंचवर्षीय डाक घर राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट

*८४०. **श्री ए० एन० विद्यालंकार:** वित्त मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पंचवर्षीय डाकघर राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट का ३० जून १९५३ से जारी किया जाना बन्द कर दिया गया है; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो इस के कारण ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा): (क) जी हां ।

(ख) ये सर्टिफिकेट लोकप्रिय सिद्ध नहीं हुए ।

नये निवृत्ति वेतन नियम

*८४७. **श्री बादशहा गुप्त:** क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सशस्त्र बल के सैनिकों के लिये बनाये गये नये निवृत्ति वेतन नियमों के फलस्वरूप वर्ष १९५३-५४ में कितनी अतिरिक्त राशि व्यय होगी ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा): अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

राजस्थान को ऋण

४५८. **श्री कर्णी सिंहजी:** वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) ७ अप्रैल, १९४९ से आज तक राजस्थान ने चम्बल परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए कितनी राशि के ऋण मांगे हैं;

(ख) केन्द्र ने चम्बल परियोजना के लिए आज तक कितनी राशि के ऋणों की मंजूरी दी है; तथा

(ग) ये ऋण कब वापस किये जायेंगे ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा): (क) चम्बल परियोजना के लिए केन्द्र द्वारा आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रश्न राजस्थान सरकार ने उठाया है किन्तु कोई विशिष्ट राशि नहीं मांगी गई ।

(ख) इस परियोजना के लिए जो कि योजना के अनुसार योजना के पिछले दो वर्षों में शुरू की जानी है, भारत सरकार ने आज तक किसी ऋण की मंजूरी नहीं दी ।

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

आई० सी० एस० पदाधिकारी

४५९. **श्री दाभी : गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आई० सी० एस० पदाधिकारियों और अन्य पदाधिकारियों की जो कि १९३१ से पूर्व केन्द्रीय सरकार की सेवा में भर्ती हुए थे संख्या क्या है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): इस समय केन्द्रीय सरकार की सेवा में १४१ आई० सी० एस० पदाधिकारी हैं । इन में से ५८, १९३१ से पूर्व सेवा में भर्ती हुए थे और शेष १९३१ के दौरान में और इस के बाद भर्ती हुए थे ।

उन अन्य पदाधिकारियों के बारे में, जो १९३१ से पूर्व केन्द्रीय सरकार की सेवा में भर्ती हुए थे, जानकारी इकट्ठी की जा रही है और उपलब्ध होने पर सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

नृत्य तथा नाटक अकाडमी

४६०. **श्री बलवन्त सिंह मेहता:** (क) शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय नृत्य तथा नाटक अकाडमी ने अब तक क्या प्रगति की है ?

(ख) अब तक कितनी संस्थाएं इस के साथ सम्बद्ध हुई हैं ?

(ग) क्या यह सत्य है कि गत वर्ष इस अकाडमी ने कुछ पदक दिये थे ?

(घ) यदि हां, तो ये किन्हें मिले थे ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) (१) बिहार, आसाम, बिलासपुर और मध्य भारत में प्रादेशिक अकाडमियां बनाई गई हैं। अन्य अकाडमियां बनाई जा रही हैं।

(२) ग्रामोफोन, तार तथा टेप रेकार्डों का और पुराने तथा वर्तमान प्रख्यात संगीतकारों की फिल्मों का संग्रहालय बनाया जा रहा है। कुछ विशेष तार रेकार्ड स्वयं अकाडमी ने तैयार किये हैं।

(३) संगीत, नृत्य, नाटक तथा फिल्मों की पुस्तकों का एक सामान्य पुस्तकालय बनाया जा रहा है।

(४) संगीत, नृत्य और नाटक की पुरानी पांडुलिपियों को प्रकाशित करने के विचार से इकट्ठा किया जा रहा है।

(ख) अकाडमी संस्थाओं को, सम्बन्धित नहीं करती, किन्तु अभिज्ञात करती है। केवल प्रादेशिक संस्थाओं को सम्बन्धित किया जाता है।

(ग) अभी तक कोई पदक नहीं दिये गये।

(घ) उत्पन्न नहीं होता।

सरकारी वकील

४६१. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : विधि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न न्यायालयों में भारत सरकार के काम के लिए नियुक्त वकीलों की तालिका को अन्तिम रूप देने से पूर्व किस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है; तथा

(ख) क्या ऐसी नियुक्तियां करने से पूर्व उच्चतमन्यायालय या सम्बन्धित उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श किया जाता है ?

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री सी० सी० बिस्वास) : (क) तथा (ख). इस वर्ष के आरम्भ में पहली बार कलकत्ता के न्यायालयों में भारत सरकार की ओर से कुछ किसम के कार्यों के लिये वकीलों की एक तालिका नियुक्त की गई थी। तालिका का चुनाव कलकत्ता में भारत सरकार के सालिसीटर की सिफ़ारिश पर और उच्चतम न्यायालय के कुछ माननीय न्यायाधीशों के साथ अनौपचारिक रूप से परामर्श करने के बाद किया गया था। कलकत्ता के सिवाय और किसी स्थान पर भारत सरकार के काम के लिए इस प्रकार की तालिका नहीं है।

अधिकारियों की भर्ती

४६२. **श्री वी० पी० नायर** : (क) क्या **वित्त** मंत्री १० अगस्त, १९५३ को अतारांकित प्रश्न १७७ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर का निर्देश पाकर के यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मार्च, १९५१ से लेकर पुनर्वास वित्त प्रशासन विभाग में २०० रु० अथवा इस से अधिक—यदि कोई हों—वेतन वाले कितने अधिकारी नौकरी दफ़्तर को निर्देश किए बिना भर्ती किये गये हैं ?

(ख) क्या उच्च वेतन-श्रेणी में भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं किया जाता ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा) : (क) मार्च, १९५१ से लेकर उक्त प्रशासन विभाग में २०० रु० अथवा इस से अधिक वेतन वाले किसी अधिकारी को नौकरी दफ़्तर के निर्देश बिना नियुक्त नहीं किया गया है।

(ख) नहीं, श्रीमान् । पुनर्वास वित्त प्रशासन के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं हैं उक्त विभाग के विभिन्न वेतन श्रेणियों के कर्मचारी पुनर्वास वित्त प्रशासन अधिनियम, १९४८ की धारा १० तथा स्वयं प्रशासन द्वारा केन्द्रीय सरकार के पूर्व-अनुमोदन से बनाए गये पुनर्वास वित्त प्रशासन कर्मचारीवर्ग विनियमों के अन्तर्गत भर्ती किए जाते हैं । इन विनियमों के अनुसार स्थिति यह है कि मुख्य प्रशासक को सरकार नियुक्त करती है तथा उप मुख्य-प्रशासक, सहायक मुख्य-प्रशासक, प्रबन्धक, सचिव, मुख्य लेखा-पाल तथा आन्तरिक लेखापरीक्षक को सरकार के पूर्व-अनुमोदन से स्वयं प्रशासन द्वारा नियक्त किया जाता है । जहां तक अन्य कर्मचारीवर्ग का सम्बन्ध है, प्रशासन को उन्हें सीधे भर्ती करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं ।

प्रादेशिक राष्ट्रीय बचत योजना

४६३. श्री वी० पी० नायर: (क) क्या **वित्त** मंत्री ५ अगस्त, १९५३ को अतारांकित प्रश्न ८८ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर का निर्देश कर के यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५२–५३ में प्रथम जून, १९५३ तक दिल्ली राज्य की प्रादेशिक राष्ट्रीय बचत योजना से खरीदे गए कितने प्रमाणपत्रों को भुनाया गया है ?

(ख) पांच तथा दस रुपये के प्रमाण-पत्रों में बहुत कम धन के लगाये जाने के यदि कोई कारण हैं तो क्या हैं ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा): (क) वर्ष १९५२–५३ में तथा ३१ मई, १९५३–५४ तक दिल्ली राज्य के राष्ट्रीय बचत योजना सम्बन्धी भुनाए गए प्रमाण पत्रों की राशि क्रमश: ३८,४९,४०५ रु० तथा ६,६६,८९५ रु० है ।

(ख) सभी तथ्यों को सामने रखते हुए राष्ट्रीय बचत योजना सम्बन्धी पांच तथा दस रु० के प्रमाणपत्रों में लगाए गए धन को कम नहीं समझा जा सकता ।

प्रादेशिक राष्ट्रीय बचत आयुक्त

४६४. श्री वी० पी० नायर: क्या **गृह-कार्य** मंत्री ५ अगस्त, १९५३ को अतारांकित प्रश्न संख्या ८७ के सम्बन्ध में दिए गए उत्तर का निर्देश कर के यह बतलायेंगे कि निर्दिष्ट जांच का आदेश कब दिया गया तथा क्या जांच को निश्चित तिथि के अन्दर समाप्त करने के लिए कोई निदेश जारी किया गया था ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): जांच का आदेश ३१ जनवरी, १९५२ को दिया गया था । विशेष पुलिस स्थापना को जांच के यथाशीघ्र समाप्त करने का निदेश दिया गया है, परन्तु किसी निश्चित तिथि का बतलाना सम्भव नहीं है ।

पुनर्वास वित्त प्रशासन

४६५. श्री वी० पी० नायर: क्या **वित्त** मंत्री ५ अगस्त, १९५३ को डा० एम० एम० देसाई के अतारांकित प्रश्न संख्या ९१ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर का निर्देश कर के यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्वास वित्त प्रशासन के आरम्भ से प्रथम जुलाई, १९५३ तक अप्राप्य तथा संदिग्ध ऋण की मद के अन्तर्गत कितनी राशि की व्यवस्था की गई थी तथा इस प्रकार से अभी तक वस्तुत: कितनी राशि परित्यक्त की गई है; तथा

(ख) ऐसे मामलों की संख्या जिन में ऋण ऐसे प्रत्याभूति देने वालों की प्रत्याभूति के आधार पर दिये गये थे जिन का बाद में पता नहीं चला ?

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा): (क) किसी ऋण को तभी अप्राप्य घोषित किया जाता है जब उस के वसूल करन

के सभी साधन असफल हो जायें यद्यपि इस समय में कुछेक ऋणों को लौटाने की मांग की गई है तथा कलक्टर महोदय से प्रशासन के देय धन को लगान के शेष के रूप में वसूल करने के सम्बन्ध में सहायता ली गई है, फिर भी ऐसी स्थिति किसी मामले में नहीं हुई जिस में ऋण को अप्राप्य घोषित किया जाय। यदि ऋणी को पश्चिमी पाकिस्तान में छोड़ी हुई अचल सम्पत्ति का कोई प्रतिकर देय हो तो प्रशासन के ऋण को चुकाने में उसे भी प्रयोग में लाया जा सकेगा। अभी तक किसी ऋण की अवधि पूरी नहीं हुई, फिर भी लेखाओं के प्रयोजन से प्रत्येक वर्ष अन्तिम हानि के लिए कुछ व्यवस्था करनी ही पड़ती है तथा तदानुसार १९५२ के अन्त तक २०,७३,९०० रु० की व्यवस्था की गई है।

(ख) ऐसे मामलों की संख्या ३१ है।

मैसूर महाराज को दिया गया भुगतान

४६६. **श्री केशवैयंगार:** क्या राज्य मंत्री मैसूर महाराज को दिये गये धन की राशि को बतलाने की कृपा करेंगे?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): २३ जनवरी, १९५० को मैसूर महाराज से किये गये करार के अनुसार महाराज को २६ लाख रु० प्रति वर्ष की निजी थैली का अधिकार है।

सत्यमेव जयते

बुधवार,
२६ अगस्त, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

चौथा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

संसदीय वाद विवाद

(भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही)

शासकीय वृत्तान्त

लोक सभा

बुधवार, २६ अगस्त १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

९-५ म० पू०

कोसी की बाढ़ से क्षति के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे कोसी की बाढ़ से उत्तरी बिहार में हुई विशाल जन और धन की हानि से उत्पन्न स्थिति पर और उस स्थिति का प्रभावशाली ढंग से सामना करने के संबंध में सरकार की असफलता पर चर्चा करने के लिये आचार्य जे० बी० कृपलानी के एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है ।

उस के बाद मंत्रालय ने भी इस कार्यालय को निम्नलिखित पत्र भज दिया है, जो उपयोगी होगा :

"जब तक राज्य सरकार इस संबंध में केन्द्रीय सरकार से कोई वित्तीय तथा अन्य प्रकार की सहायता न मांगे तब तक केन्द्रीय सरकार का इस से कोई सीधा संबंध नहीं होता । कोसी परियोजना राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार के बहुत देर से ध्यान में है । इस के प्रौद्योगिक तथा अन्य पहलुओं की दृष्टि से इस की समस्या बड़ी जटिल है । इस परियोजना के संबंध म नवीनतम स्थिति २ जुलाई १९५३ को जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में और बाद में ३ अगस्त १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४९ और ११ अगस्त १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ३७७ तथा उस के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में बतला दी गई थी । भारत सरकार कोसी की बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के संबंध में, जो कि प्रतिवर्ष आती है, पूर्ण रूप से सजग है । परन्तु सरकार ने आगे और जिस जांच की आज्ञा दी है जब तक वह पूरी नहीं हो जाती और कोई ठीक हल नहीं निकल जाता तब तक कोई योजना क्रियान्वित नहीं की जा सकती ।

इस परिस्थिति में, यह समझा जाता है कि इस प्रस्ताव का विषय लोक हित की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं है ।"

उन का यह कहना है । मैं देखता हूं कि इस का संबंध मुख्यतया राज्य से है । निस्संदेह केन्द्र भी उनकी सहायता करता है । इस विषय में जो विज्ञप्ति जारी की गई है उसे तथा वस्तुतः क्या कदम उठाये जा रहे हैं उन के संबंध में पूछे गये प्रश्नों और उनके उत्तरों से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसे ध्यान रखते हुए मैं इस प्रस्ताव के लिय स्वीकृति नहीं देता ।

एक सदस्य का निरोध

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को यह सूचित करना है कि मुझे आज जम्मू तथा काश्मीर सरकार के मुख्य सचिव से निम्न लिखित तार प्राप्त हुआ है :

"माननीय उपाध्यक्ष,

लोक सभा,

नई दिल्ली।

"ए सी–११२/५३, जनाब सूफी मुहम्मद अकबर संसत्सदस्य की राज्य में उपस्थिति से शांति और सुव्यवस्था के खतरे में पड़ने की संभावना थी और इस विषय में काश्मीर के डिपुटी इन्स्पेक्टर जनरल पुलिस को यह विश्वास हो गया था कि वह सार्वजनिक सुरक्षा और शांति को बनाये रखने के विरुद्ध कार्य करेंगे अत: डिपुटी इन्स्पेक्टर जनरल पुलिस को खेद के साथ उन्हें २४ अगस्त १९५३ को आरम्भ में दो मास की अवधि के लिये जम्मू तथा काश्मीर जन सुरक्षा अधिनियम के अधीन निवारक रूप से निरुद्ध करना पड़ा।"

डा० एस० पी० मुकर्जी की मृत्यु के सम्बन्ध में प्रस्ताव

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : श्रीमान् जी, २७ जुलाई को मैंने डा० लंका सुन्दरम् के साथ नियम १७१ के अधीन सामान्य जनता के हित संबंधी एक विषय पर चर्चा करने के लिये एक प्रस्ताव की पूर्वसूचना दी थी। हम डा० श्यामप्रसाद मुकर्जी की श्रीनगर में निरुद्धावस्था में मृत्यु पर चर्चा करना चाहते थे और हम यह प्रस्ताव करना चाहते थे कि डा० मुकर्जी की मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई इस की जांच करने के लिये तुरन्त एक निष्पक्ष जांच आयोग की नियुक्ति होनी चाहिये। श्रीमान, आप जानते हैं कि इस प्रश्न पर न केवल बंगाल में अपितु भारत के विभिन्न भागों में लोगों की भावनाओं को बहुत चोट पहुंची थी। जनमत के बड़े बड़े प्रतिनिधि नेताओं ने जिन में श्री पुरुषोत्तमदास टंडन, डा० कुंजरू, डा० जयकर, आचार्य कृपलानी तथा अन्य बहुत बड़े बड़े गण्य-मान्य व्यक्ति भी थे, इस मांग का समर्थन किया था और हमने सोचा था कि इस विषय में जनता की भावनाओं को शांत रखने के लिये संसद् कम से कम इतना तो कर ही सकती है कि तुरन्त एक निष्पक्ष आयोग नियुक्त करने के लिये सहमत हो जाये। हम ने आप को अगले दिन एक पत्र भी लिखा था जिस में यह बतलाया गया था कि यह विषय बहुत अधिक महत्वपूर्ण और सार्वजनिक हित का क्यों है और यह हमारे नियमों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। श्रीमान्, आप ने हमें यह सूचना दी थी कि नियम १७४ के अधीन आप ने यह निश्चय किया कि प्रस्ताव नियमानुकूल है और आप नें प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।

देश की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि विरोधी पक्ष का एक महान नेता इतनी करुणाजनक और संदेहास्पद स्थिति में मर गया था हमने इस प्रस्ताव की चर्चा के लिये सरकार से शीघ्र ही कोई दिन निश्चित करने की प्रार्थना की थी। अब तक हमें उसका कोई उत्तर नहीं मिला है और मैं आज से और सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि हमें शीघ्र ही इस के लिये कोई दिन दिया जाये। नियम १७६ के अधीन हमारी आप से प्रार्थना है कि आप हमें शीघ्र इस विषय की चर्चा के लिये कोई दिन दें। हमारे स्वर्गीय सहयोगी के लिये आप कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। मुझे आशा है कि सदन के सभी भाग इस मांग का समर्थन करने की कृपा करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रस्ताव के मिलने के बाद मुझे डा० जयसूर्य से भी एक

प्रस्ताव की सूचना मिली है जिस में यह कहा गया है कि इन परिस्थितियों में एक डाक्टरी मिशन इस बात की जांच करने और ठीक ठीक कारण का पता लगाने के लिये भेजा जाये ।

डा० लंका सुन्दरम् : (विशाखापटनम्) : डाक्टरी मिशन ?

डा० जयसूर्य (मेदक) : डाक्टरी आयोग ।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, डाक्टरी आयोग । सामान्य रूप से, मैं इन दोनों पर विचार कर रहा हूं कि इन परिस्थितियों में कौन-सा ठीक है । इस समय बहुत सी घटनायें हो रही हैं और पहले होती रही हैं । माननीय सांसद् कार्य मंत्री यहां उपस्थित हैं और वे यह बात सदन के नेता तक पहुंचा देंगे । मैं इस विषय में यथासंभव शीघ्र से शीघ्र जो संभव होगा वह करूंगा और माननीय सदस्य को उस की सूचना देने का प्रयत्न करूंगा ।

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर) : मैंने एक मास पूर्व इस विषय में कई प्रश्नों की सूचना दी थी, किंतु मैं नहीं जानता कि उनका क्या हुआ ।

श्री फ्रैंक एन्थनी : (नाम निर्देशित—आंग्ल भारतीय) : मैं जान सकता हूं कि क्या श्री चटर्जी ने यह कहा है कि आप ने इस प्रस्ताव को वस्तुतः स्वीकार कर लिया था ? यदि यह ठीक है, तो क्या हम यह जान सकते हैं कि यह प्रस्ताव ठीक ठीक किस तिथि को स्वीकार किया गया था ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव मुझे दिया गया था । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि डा० मुकर्जी एक महान व्यक्ति थे और समाचार पत्रों में इस पर बहुत अधिक विवाद उठा हुआ है और संदेह प्रकट किये गये हैं, मैं ने सोचा कि इस पर सदन में चर्चा की जा सकती है । किसी प्रस्ताव की स्वीकृति अधिकांशतया उपलब्ध समय पर निर्भर होती है । समय तो सरकार निश्चित करती है, मैं समय निश्चित नहीं कर सकता । यदि एक बार कोई विषय सदन के समक्ष प्रस्तुत हो जाये तो मैं उसे स्थगित करके किसी दूसरे दिन रख सकता हूं, किंतु नियमों के अधीन मुझ स्वयं कोई विशेष समय निश्चित करने का अधिकार नहीं है । अतएव मैंने इस प्रस्ताव की पूर्व सूचना देने वाले माननीय सदस्य को यह सुझाव दिया था कि वे सदन के नेता से मिलकर इस के लिये कोई समय मांगने का प्रयत्न करें । इस बीच, क्योंकि मुझे दूसरा प्रस्ताव भी प्राप्त हो गया है, अतः मैं दोनों पर विचार कर रहा हूं । मुझे निश्चय है कि मैं सदन को यह बतला दूंगा कि इस समय इस विषय में क्या स्थिति है ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी (नई दिल्ली) : जहां तक मुझे स्मरण है, यह प्रस्ताव आप के पास तीन सप्ताह पूर्व भेजा गया था । यदि हम इस प्रस्ताव पर और विलम्ब करेंगे तो इसकी उपयोगिता नष्ट हो जायेगी । अतः मैं समझती हूं कि यदि सदन सहमत हो और सरकार मान तो हम इस प्रस्ताव पर विचार और चर्चा करने के लिये शनिवार का दिन निश्चित कर सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपा करके नियमों को पढ़ें । समय निश्चित करने के लिये सरकार की सहमति आवश्यक है । मुझे सरकारी और गैर-सरकारी दिनों के अतिरिक्त और कोई विशेष दिन निश्चित करने का कोई अधिकार नहीं है । नियमों के अन्तगत हम ने सदस्यों को गैर-सरकारी कार्यक्रम पर विचार करने के लिये शुक्रवार का दिन दिया हुआ है । शेषसारा समय सरकार के हाथ में है । उस की सहमति आवश्यक है । मैं चाहता हूं कि माननीय संसद् कार्य मंत्री

संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : श्रीमान् जी, मैं इस पर विचार करूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह इस पर विचार करेंगें ।

श्री टी० के० चौधरी (बरहामपुर) : श्रीमान्, क्या मैं एक बात की ओर आपका ध्यान दिला सकता हूं ? यदि आप इसे स्वीकार कर चुके हैं तो यह 'अनिश्चित तिथि' के प्रस्ताव के रूप में दैनिक विज्ञप्तियों तथा परिपत्रों में परिचालित हो जाना चाहिये था ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझ यह प्रस्ताव डा० खरे तथा अन्य माननीय सदस्यों से विभिन्न रूपों में प्राप्त हुआ है । अतः मैं इस बात पर विचार कर रहा हूं कि इसे सदन के समक्ष प्रस्तुत करने का सब से अच्छा ढंग क्या है। इसी कारण मैं ने दैनिक विज्ञप्तियों में इस की सूचना नहीं दी है । यह एक गंभीर विषय है और इस पर अवश्य विचार होना चाहिये । निस्संदेह, इस में सभी सदस्यों को रुचि है ।

डा० लंका सुन्दरम् : श्रीमान्, इस प्रस्ताव पर दिन भर वार्ता करने की इच्छा जान पती है । आशा करता हूं कि आप इस बात का भी ध्यान रखगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : हां ।

श्री जे० बी० कृपालानी (भागलपुर व नियां) : श्रीमान्, मेरा सुझाव है कि आप वे ल बड़ प्रश्न पर ध्यान द जिससे कि डा० यसूर्य के प्रस्ताव पर भी विचार हो जायगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा ।

आंध्र राज्य विधेयक—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन आंध्र राज्य विधेयक पर आग विचार करेगा ।

मैं इस विधेयक को समाप्त करना चाहता हूं क्योंकि इस पर नियत समय से एक दिन अधिक लग गया है । दूसरा विधेयक—सम्पदा शुल्क विधेयक—अधिक समय ले सकता है ।

श्री गोपाल राव : (गुडिवाड़ा) : समस्त माननीय सदस्यों को इस में दिलचस्पी लेनी चाहिये क्योंकि यह केवल आन्ध्रवासियों तथ तामिल-व्यक्तियों का मामला नहीं है अपितु राष्ट्रीय महत्व का विषय है ।

मैं २७,७०, ७१ तथा ७२वें संशोधनों का समर्थन करता हूं । मुख्य समस्या यह है कि आस्तियों तथा दायित्वों का विभाजन कैसे किया जाये । हमारा विश्वास है, जैसा कि ७२वें संशोधन में कहा गया है, कि जनसंख्या के आधार पर किया गया हल ही ऐसे मामलों का जन-तंत्रीय हल है । हमें आस्तियों तथा दायित्वों का विभाजन करते समय जनसंख्या का आधार भी ध्यान में रखना चाहिये । दूसरी बात यह है कि नये राज्य की स्थापना करते समय हमें वहां की असमानता, असमान विकास तथा अनुन्नति का भी ध्यान रखना चाहिये ।

परन्तु दुर्भाग्य की बात तो यह है कि यहां अनेक सिद्धान्त हैं और कहीं कोई व कहीं कोई सिद्धान्त लागू किया जाता है । माननीय वित्त मन्त्री ने वार्ता के बीच तीन बार बोल कर इन का स्पष्टीकरण करने का प्रयत्न किया परन्तु वह हमें सन्तुष्ट न कर सके कि ये सिद्धान्त कुछ विषयों पर ही कैसे लागू होते हैं । मान लीजिये कि वह दायित्वों आदि के लिये पूंजीगत व्यय का सिद्धान्त अपनाते हैं, परन्तु इसका क्या कारण है कि वह जनसंख्या-आधार को नहीं अपनाते । यदि वह पूंजीगत व्यय तथा महा निर्माण कार्यों को लेते हैं तो वह राजस्व से व्यय किये गये धन को क्यों सम्मिलित नहीं करते ? वास्तव में हम इन सिद्धान्तों के विरुद्ध नहीं हैं अपितु यह चाहते हैं कि उनका पूर्णतः तथा उचित रूप में पालन हो ।

मेरी समझ में नहीं आता कि इन सब विवादग्रस्त मामलों की जांच करने के लिये विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की इस साधारण मांग को स्वीकार करने से सरकार क्यों मना करती है । जब कभी दो राज्य एक दूसरे से सहमत नहीं होते, यह केन्द्रीय सरकार का कर्त्तव्य है ऐसे मामलों की जांच के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करे । इसके अतिरिक्त हम जानते हैं कि हमारी सरकार समितियों की सरकार है । फिर भी, वे ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर भी विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति के लिये मना करते हैं, इसका कारण मेरी समझ में नहीं आता । मद्रास विधान सभा की जुलाई की बैठक में इस मांग की पूर्ति से सब पार्टी वाले सहमत थे।

अपने कल के भाषण में माननीय वित्त मन्त्री ने कहा था कि सब मामलों की जांच करना वित्त-समिति के लिये असम्भव है। परन्तु मेरा विचार है कि यह इतना कठिन कार्य नहीं है जितना कि वह समझते हैं । रहा सिद्धान्त का प्रश्न, हम उनके संबंध में उन्हें निदेश दे सकते हैं । जैसा कि मैं ने प्रारम्भ में कहा इस समिति के सामने कुछ सिद्धान्त होने चाहिये इस संबंध में मैं चार सिद्धान्तों के सुझाव दे सकता हूं यह विभाजन जनसंख्या, स्थिति (अर्थात जो भवन आदि जिस राज्यमें हों उसी को मिलें) राजस्व से खर्च किया गया धन तथा निर्धारित काल—इन चार बातों के आधार पर होना चाहिये । मेरे विचार में हमें ३० वर्ष की अवधि लेनी चाहिये क्योंकि १९२० के बाद से आवश्यक अभिलेख मिलते हैं। यह सदन या भारत सरकार अवधि का प्रश्न निश्चित कर सकती है । इन कारणों से मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं कि विशेषज्ञों की एक विशेष समिति तत्काल ही बनाई जाय ।

कल वित्त मंत्री बोले तो ऐसे लगता था कि उन्हों ने पहले से ही कुछ धारणाएं बना रखी हैं । उन्हों ने कहा कि धन नहीं है, इसलिये विभाजन की आवश्यकता भी नहीं । उन्हों ने कहा कि हमें पुराने दिनों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए । जहां तक पिछले १७ या २० वर्षों में केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गए ऋणों का सम्बंध है, हमें यह मालूम हुआ है कि लगभग ८७ करोड़ रुपये दिए गए ।

मेरा कहना तो यह है कि उज्जवल भविष्य के लिये अच्छा ठोस वर्त्तमान होना चाहिये । सभी, मुख्यतः सरकार के मंत्रीगण हमें कहते हैं "पीछे की बात न सोचो, आगे चलो" जब तक आप भूतकाल को अच्छी तरह नहीं जान लेते, आप का भविष्य कैसे हो सकता है ? दूसरी ओर के कई माननीय मित्र कहते हैं कि आंध्र के सदस्य सन्देहशील हैं । हम आंध्र मामूली बातों की परवाह नहीं करते परन्तु इस मामले का संबंध आंध्र की वित्तीय स्थिरता से है और हम इसे गम्भीर मामला समझते हैं ।

अन्त में मैं अपने माननीय मित्र श्री रामस्वामी द्वारा कही गई बात की चर्चा करना चाहता हूं । उन्हों ने कहा कि आंध्र के मुख्य मंत्रियों के अधीन तामिल लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं हुआ । उन्हों ने आंध्र का भविष्य बड़ा उज्वल चित्रित किया है और कहा है कि अमुक अमुक योजना से इतनी बिजली उत्पन्न होगी । ये सब बातें संगत नहीं हैं ।

आंध्र की सरकार तथा जनता को अपना भविष्य आप बनाना है । १९०० से १९५० तक की अर्ध शताब्दी में तामिल तथा आंध्र जिलों पर क्रमशः १० : १ के अनुपात से खर्च हुआ । ६७ करोड़ यूनिट बिजली में से आंध्र के हिस्से पौने पांच करोड़ यूनिट ही आती है । १९५२-५३ के आय-व्ययक में पता चलता है कि ३५ या ३६ करोड़ रुपये

[श्री गोपाल राव]

में से आंध्र क्षेत्रों में उद्योगों पर केवल ४७ लाख रुपया खर्च किया गया जो १४ प्रतिशत से भी कम है । इसीलिये मैं संसद के आंध्र सदस्यों की ओर से कहता हूं कि यह संशोधन स्वीकार किया जाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मूर्ति ।

डा० जयसूर्य (मेदक) : वे कल बोल चुके हैं ।

श्री के० के० बसु : वे तो गाते ही रहे ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं यह बात माननीय सदस्यों पर ही छोड़ता हूं । जान बूझ कर तो वे ऐसा करेंगे नहीं परन्तु सम्भव है कि वे यह भूल जायें कि वे पहले बोल चुके हैं ।

श्री बी० एस० मूर्ति (एलूरू) : कहा जाता है कि जो पहले हुआ है वह फिर भी होगा । मं चाहता हूं कि मंत्रीगण उस दृश्य की कल्पना करें जो कई शताब्दी पहले यहीं दिल्ली में घटा था । श्री कृष्ण पाण्डवों की ओर से कौरवों से बात कर रहे थे । पाण्डव, समझौते की बात चीत के असफल होने के बाद कौरवों से कह रहे थे—"हमें पांच गांव ही दे दो तो हम भाई भाई रहेंगे, १०० और ५ नहीं रहेंगे बल्कि १०५ हो जायंगे" परन्तु हुआ क्या ? श्री कृष्ण की सारी कूटनीति बेकार गई और कौरवों ने उन की एक न मानी ।

इतना ही दृष्टान्त काफी है । हमारी भी यही हालत है । मद्रास राज्य सरकार का कहना है कि आस्तियों तथा दायित्वों का बटवारा होना है, हम उन से आंकड़े मांगते हैं परन्तु हमें कहा जाता है कि "हमें अपना वोट दे दो और हम पर विश्वास रखो"। पिछले चालीस वर्ष धे हम कांग्रेस पर विश्वास रखते आ रहे हैं तभी तो बेलारी हमारे हाथ से गया मद्रास हमारे हाथ से गया, तुंगभद्रा पर हमारा नियंत्रण नहीं और जो भी हमें अधिकार से मिलना चाहिये वह हमारे हाथ से जा रहा है ।

मैं माननीय वित्त मंत्री से यह कहना चाहता हूं कि दर समिति रिपोर्ट, विभाजन समिति रिपोर्ट, वांचू रिपोर्ट और मद्रास विधान सभा के १९५२-५३ के आय व्ययक प्राक्कलनों में दिये आंकड़ों को देख कर हमें बताएं कि उन में से कौन से ठीक हैं । इसी लिये मद्रास विधानसभा में बहुमत से श्री विश्वानाथम् का यह संशोधन स्वीकार कर लिया गया था कि इस प्रश्न पर विचार करने के लिये एक विशेषज्ञ वित्त समिति बनाई जाय ।

मद्रास राज्य ने जो हिसाब किताब दिया है उस के सम्बन्ध में आंध्र लोगों को सन्देह है । तो क्यों न केन्द्रीय सरकार बिना किसी उत्तेजना के इस प्रश्न पर विचार करे और सारे सन्देहों का निवारण कर ?

परन्तु केन्द्रीय सरकार का कहना तो यह है कि जो मिलता ह ले लो नहीं तो आंध्र राज्य ही नहीं बनेगा । जब पहले की रिपोर्टों में दिये गए आंकड़ों में इतना अन्तर है तो केन्द्रीय सरकार इस सदन को कम से कम यह आश्वासन तो दिलाए कि एक वित्त विशेषज्ञ इस मामले की जांच करेगा और ऐसा प्रबन्ध किया जायगा कि आंध्र का धन किसी अन्य राज्य को न दे दिया जाय । यह तो हुई एक बात । दूसरी यह है कि हम बाकी के मद्रास राज्य का कोई धन नहीं लेना चाहते । गोदावरी हमें मिल गयी है जो हमें दुःख भी दे सकती है और सुख भी । सर एस० वी० रामामूर्ति के दिनों में केन्द्रीय सरकार से कहा गया था कि १०० करोड़ रुपया खर्च कर के रामपदसागर बना दिया जाये । उस

समय मद्रास सरकार की उदासीनता के कारण इस योजना पर कार्य नहीं हुआ । यदि इस योजना को लागू किया जाता तो बाढ़ से करोड़ों रुपयों की हानि न होती जो कि हर वर्ष होती है। मैं केन्द्रीय सरकार से यही कहना चाहता था कि किस तरह मद्रास सरकार के साथ साथ आंध्रवासियों के साथ भी सौतेली मां का सा व्यवहार किया गया है। हमारे यहां कृष्णा और गोदावरी स्थायी नदियां हैं, और दण्डकारण्य की वन-समृद्धि भी है । आंध्रवासियों की सतर्कता के कारण १९४६-४८ के मद्रास मंत्रालय ने कृष्णा का पानी हमसे नहीं छीन लिया ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि आप हम हिसाब देने को तैयार हैं तो हम एक, दो या तीन विशेषज्ञों की एक समिति बना लगे, जो इस मामले की छानबीन करेगी और करेगी कि यह आंकड़े सही हैं, और अब तक लोग किसी गलत भ्रम में पड़े हुए थे । वह यह भी कहेगी कि यह हमारा निश्चय है । तो हम उसे स्वीकार करेंगे, और उस से मित्रतापूर्ण वातावरण में यह मामला सुलझ जायगा । किन्तु यदि आप हमें हिसाब नहीं देंगे या आंकड़े नहीं बतायगे, तो इस खण्ड की 'आस्तियां एवं दायित्व' का काम देना गलत होगा, क्योंकि हमारे साथ अन्याय हो रहा है जो हम शेष मद्रास क्षेत्र से बाहर भेजे जा रहे हैं, और हम पर दायित्वों का बोझ लदा हुआ है । ऐसा बर्ताव अन्याय्य तथा गैर-कांग्रेसी होगा ।

श्री एस० वी० रामस्वामी (सलेम) : मेरे माननीय मित्र १९३७ में एक निजी सचिव थे । क्या उन दिनों उन्हें हिसाब पर कोई संदेह था ।

श्री बी० एस० मूर्ति: मैं संसार में कभी भी किसी का निजी सचिव नहीं रहा । श्री रामस्वामी नहीं अपितु उनका वकालत भरा मस्तिष्क सदा ही निजी बातों को सार्वजनिक और सार्वजनिक बातों को निजी बनाने की धुन में रहता है । मैं तो सांसद सचिव था, और श्रीमान् आप जानते हैं कि सांसद सचिव, वह कोई केन्द्र में हो अथवा किसी राज्य में, किस तरह आपदायें भुगतता रहता है । मैं गृह मंत्री तथा वित्त मंत्री से यह यही प्रार्थना करुंगा कि वे उन आंध्रवासियों के साथ न्याय करें जो चालीस वर्ष तक एढ़ी चोटी का ज़ोर लगा कर काम करते रहे और कंग्रस के सिद्धान्तों पर मरते रहे, और जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सब से अधिक और अग्रणी भाग लिया । मैं किसी आवेश या क्रोध में नहीं बोल रहा हूं अपितु आशावादिता से कह रहा हूं, और चाहता हूं कि सरकार हमें भी आशावादी बना दे, ताकि आंध्र राज्य आशाओं भरा एक उज्ज्वल राज्य बन सके ।

सरकार को निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण होना चाहिये । यदि आंध्र राज्य ठीक से नहीं चल पाया और वित्त में कमज़ोर रहा तो कन्द्रीय सरकार को क्षति पहुंचेगी । हम संसार से यही मनाना चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार एक न्यायपूर्ण सरकार है । और मैं करनाटक, केरल, महाराष्ट्र, गुजरात तथा अन्य प्रान्तों के संसद सदस्यों से यह अपील करना चाहता हूं कि वे इस व्यवहार को ध्यान में रखें जो हमारे साथ होगा, क्योंकि भविष्य में उनके प्रान्त या राज्य भी बनने वाले हैं । उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी भी यही दशा होगी । अतः, हम मद्रास सरकार से धन नहीं मांगते बल्कि सही हिसाब मांग रहे हैं । हम यह जानना चाहते हैं कि हमारा भाग कितना है, और उनका भाग कितना है । आप भी हमें कोई आंकड़ नहीं बता रहे हैं, अतः इस मामले की छानबीन किसी विशेषज्ञ समति द्वारा होनी चाहिये । मैं आशा

[श्री बी० एस० मूर्त्ति]

करता हूं कि माननीय गृह मंत्री इस विषय में संशोधन स्वीकार करने की कृपा करेंगे और इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि आंध्र के साथ पूरा पूरा न्याय हो रहा है।

डा० जयसूर्य: मैं संक्षेप में अपने इस आलोचनात्मक भाषण को समाप्त करना चाहता हूं। इस में दो बातें हैं: पहली बात मनोवैज्ञानिक है। मुझे चारों ओर से 'संदेह' शब्द की रट सुनाई दे रही है। अतः हमें इसे तथ्य के रुप में मानना पड़ेगा कि यह वास्तव में, संदेह है। यह किस तरह पैदा हुआ, इस के लिये हमें मानव मनोविज्ञान को जानना होगा।

मैं आंध्रवासी नहीं। मैं सीमा पर रहने वाला एक तमाशाई हूं। अतः मैं जानता हूं कि विगत दो-तीन वर्षों में किस प्रकार यह संदह बढ़ता गया और अब गंभीर स्थिति तक पहुंचा। इसका यह भी एक कारण था कि इस मामले को गलत ढंग से उठाया गया। सर्व प्रथम गृह विभाग ने आंध्र के प्रश्न को ग़लत ढंग से उठाया गया। मद्रास क मुख्य मंत्री के पक्षपात से तो तामिल और आंध्र दशों का झगड़ा और भी उलझता गया। दूर से तमाशा देखने वाले के नाते मेरा यह अनुभव है कि आंध्रवासी कुछ खो बैठे हैं--मैं उनका अनुभव बता रहा हूं--वे अनुभव करते हैं कि छल से उन की कोई चीज उड़ाई गई है। और ऐसी स्थिति में सीख देन से संदेह नहीं मिटाया जा सकता। प्रसिद्ध शासक सीज़र कहा करता था कि सीज़र की पत्नी पर संदह नहीं किया जा सकता, किन्तु इतिहास इस बात का साक्षी है कि सीज़र की पत्नी न व्यभिचार किया, और बाद में वह (सीज़र) उस से दूर रहना चाहता था। इसी प्रकार आंध्रवासी लेखा जोखा के बारे में संदेह कर रहे हैं। श्री विश्वनाथन यही कहत भटकते हैं कि मुझे हिसाब दो, और इसके उत्तर में उन्हें 'नहीं दिया जायगा' सुनने को मिलता है। किन्तु मेरे मित्र श्री वकंटारमन् न जाने कहां से कौनसा चमत्कार कर के अपने पास लेखा जोखा मंगा रहे हैं। मैं नहीं जानता कि उनका यह लेखा कहां तक सही है।

ठीक है कि संदेह किसी तर्क या विवेक पर आधारित नहीं, किन्तु इस हिसाब से मानव भावनायें भी विवेकहीन हैं।

किन्तु इसे आखिर किया किस तरह जाय? मैं समझता हूं कि इस सरकार में हर कोई बात जनतंत्र के आधार पर चलती है, और मामूली सी बातों को भी आयोगों को सौंपा जाता है। किन्तु जब संपदा और दायित्व की बात आ जाती है तो डा० काटजू कुछ भी मानने को तैयार नहीं। आंध्रवासी एक समिति आयोग की मांग कर रहे हैं। भला इस में क्या बुरी बात है? क्या इस से मामला कुछ बिगड़ जायगा? क्या इस से भारत में कोई अग्निकांड होगा या दो पार्टियों में कोई गृहयुद्ध होगा? नहीं। मेरा कहना है कि आयोग नियुक्त किया जाय।

अभी मैं उस दिन की बात बता दूंगा जब मैं ने न्यायमूर्ति वांचू से पूछा था कि क्या इसका कोई लखा जोखा उनके पास है। उन्होंने आखिरी दिन तक मुझ से यही कहा कि अभी कोई भी लेखा-जोखा उन्हें प्राप्त नहीं हो सका है। चुनाचि मैं ने उन से कहा कि लेखा-जोखा मिलने पर भी इस बात का क्या प्रमाण है कि वह सही होगा। लेखा-जोखा की हर किसी बात पर छानबीन कराने की छट होनी चाहिये। ठीक है कि हम वित्त की बातें नहीं समझते। किन्तु हम कुछ व्यक्तियों से उनकी जांच करा के उनसे कोई समझौता करा सकते हैं। अन्तर चाहे कितना ही कम हो, इस में सिद्धान्त का प्रश्न है।

और आंध्रवासी इसी बात में संदेह कर रहे हैं कि आप ने आयोग के हाथ से यह काम छीन लिया है और कार्यपालिका को दिया है। और अब इस विषय में अंतिम निर्णय देने का अधिकार राष्ट्रपति को होगा जिसे कार्यपालिका का परामर्श प्राप्त होता रहेगा। हो सकता है कि सातवीं अनुसूची के पैरा ६(१) में कही गई बात वास्तविक हो और ठीक हो किन्तु उस पर भी संदेह किया जा सकता है।

१० म० पू०

यह तो एक संयुक्त परिवार की सी बात है कि विभाजन के कुछ समय पहेले बड़ा भाई सैंकड़ों ऐसे व्यापारों में पैसा लगाता है, जिस से विभाजन के समय उसी को लाभ हो और उस के भाई को कोई भी लाभ नहीं हो। मैं नहीं जानता कि किस प्रकार विगत वर्ष मद्रास सरकार द्वारा ८१ करोड़ रुपये खर्च किये गये। इस बात में आंध्रवासी तो ठीक कहते हैं। अब इसी बात को देख कर आयोग की बात उठती है। आखिर उसमें क्या आपत्ति है? तीन सदस्य इस ओर के रहेंगे और तीन उस ओर के, और छानबीन शुरु करेंगे। और इस बीच आप इस वर्तमान प्रणाली पर मत विभाजन कराइये। आप बतलाइये कि यह अस्थायी है, तो जो भी समायोजन करना होगा, किया जायेगा। तभी हर एक व्यक्ति प्रसन्न होकर कहेगा कि आयोग ने इस प्रकार कहा है और हम इसे स्वीकार करते हैं।

श्री डी० एस० ए० वेट्टियार (तिरुपुर): जब हैदराबाद राज्य का विघटन होगा तो इसका प्रभाव आंध्रवासियों पर भी पड़ेगा। और उस समय वे कहेंगे कि हमें वह भाग दिया जाय जहां कि आजकल हैदराबाद नगर है। बम्बई के विषय म भी यही प्रश्न होगा। इस विघटन तथा फिर से राज्यों के निर्माण का उद्देश्य यह है कि हम अच्छा जीवन व्यतीत करें। यह उद्देष्य भाषावार प्रान्तों का भी है। आंध्र राज्य को मैं किसी विभिन्न दृष्टिकोण से नहीं देखता। हमें इसकी भलाई के लिये सोचना चाहिये। मेरा भारत सरकार से यह निवदन है कि वह कोई ऐसा कार्य न करे जिसके लिये समस्त भारतवासी खिलाफ़त करें।

जहां तक कि इस विधेयक का सिद्धान्त है मैं नहीं समझता कि तामिलनाद वाले यह समझते हैं कि वे अच्छे रहे। इस विधेयक में इस बात की भी सुविधा है कि यदि कहीं कोई भूल से कार्य हो जाता है तो उसे ठीक भी किया जा सकता है। खंड ५१ विशेषरूप से इसीलिए है। आंध्र राज्य सरकार को यह छट है कि वह तीन वर्ष तक ऐसी भूलों का हवाला दे सकती है। यदि कोई भूल हुई है, अन्याय हुआ है, पक्षपात हुआ है अथवा किन्हीं बुरी प्रथाओं को जो कि वहां हैं, दूर करने का अधिकार इस विधेयक द्वारा दिया गया है। मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है। जब कभी कोई कोई ऐसी बात होती है तो वहां वालों न इसे दूर करने के लिये कमिशन की नियुक्ति की मांग की है। राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में कमीशन की नियुक्ति कर सकते हैं। राष्ट्रपति को ऐसा करने के लिये अवगत कराना होगा। यदि वे समझते है कि इसके लिये सार्वजनिक कमीशन की नियुक्ति की आवश्यकता है तो वह ऐसा करने के लिये आदेश जारी कर देंगे।

अतएव मैं कहता हूं कि इस विधेयक को स्वीकार कर लिया जाय क्यों कि यह सभी दलों के लिये लाभदायक है।

श्री लक्ष्मय्या: कल माननीय मित्र श्री रामास्वामी ने कहा था कि उन्होंने रायलसीमा पर करोड़ों रुपया व्यय किया है। किन्तु

[श्री लक्षमय्या]

उन्हें इस बात का ज्ञान होना चाहिये कि उन्हों ने किस स्थिति में यह धन खर्च किया था। उन्हें यह सोचना चाहिये कि रायल सीमा सदैव ही से पिछड़ा रहा है। अकाल के दिनों में वहां सुधार कार्य किये गये हैं और उन पर यह धन व्यय हुआ है। उन्होंने धन इस तरह बांट दिया जैसे संयुक्त परिवार में किसी निर्धन तथा असहाय विधवा को भरणपोषण करने मात्र कुछ दे दिया हो। यदि रायलसीमा को मदद दी जा कर उसकी उन्नति की जाती तो वह समृद्धशाली हो जाता। हमारे तामिल मित्रों को मिट्टूर और प्याकारा के समान वृहद् योजनायें मिल गईं और उन्होंने अपनी भूमि में सुधार कर लिये। किन्तु यदि उक्त योजनायें नहीं होतीं तो मेरी चुनौती है कि तामिल-नाद रायलसीमा से भी अधिक निकृष्ट स्थिति में होता। आप एक मनुष्य को भूखों मार कर और बीमारी का पात्र बनाकर उसे मरणासन्न दशा में रहने के लिये विवश कर देते हैं। आप डाक्टर से बीमारी का विश्लेषण और औषधि का निर्धारण करने के लिये इसलिये नहीं कहते हैं कि बीमारी शीघ्र अच्छी हो जाय किन्तु इसलिये ऐसा करते हैं कि उसकी आयु बढ़ जाय अथवा वह जीवन के झंझावात में लटकता रहे। तदनन्तर आप डाक्टर का भारी बिल चुकाते हैं। रायलसीमा भी इसी तरह दुःखद स्थिति में है। क्या सरकार का यह कर्त्तव्य नहीं है कि वह जनता के लिये भोजन और पानी की व्यवस्था करे और कठिन स्थितियों में उनकी रक्षा करे। रायल-सीमा के कितने ही गांवों में पीने के जल का अभाव है। यह हृदय-द्रावक और आश्चर्य-मय है। गत चार या पांच वर्षों से अकाल पड़ रहा है और इस में कोई सन्देह नहीं कि वहां आप ने काफ़ी रुपया खर्च किया है। क्या रायलसीमा के लिये यह स्थायी सहायता है? सदन को यह मालूम होना चाहिये कि रायलसीमा की वर्त्तमान स्थिति के लिय कौन उत्तरदायी है। मैं निस्संकोच कह सकता हूं कि आपने मेरे इस अभागे क्षेत्र के लिये कुछ भी वास्तविक कार्य नहीं किया है। यदि आप इसका आधा भी योजनाओं पर व्यय करते तो अकाल नहीं पड़ता। तेलगू में एक कहावत है कि मूर्खों के विवाह में जो सबसे अधिक खाता है वही बुद्धिमान है। आप बुद्धिमान हैं। आपको बड़ा हिस्सा मिला। आप ने उसे खा लिया। मुझे इस पर ईर्ष्या नहीं है। मैं सत्य बात कह रहा हूं। आंध्र की जनता को विदित होना चाहिये कि यह बंटवारा उचित है।

हम वित्त आयोग की नियुक्ति के लिये कह रहे हैं। निश्चित है कि मैं सरकार पर यह आरोप नहीं लगा रहा हूं कि वह पक्षपात पूर्ण है। मैं जानता हूं कि सरकार इसे करने में इसलिये झिझकती है कि इससे अनेक विवाद खड़े हो जायेंगे।

तेलगू की एक अन्य कहावत के अनुसार कहा गया है कि यदि आप किसी वस्तु को फेंकना चाहते हैं तो फेंकने के पहले उसकी गणना कर लो। हमें वास्तविक तथ्य जान लेना चाहिये। हमें सही स्थिति से परिचित हो लेना चाहिये। आयोग इस मामले का अध्ययन एवं परीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा और तब राष्ट्रपति उस पर निर्णय करेंगे। हमारी यही प्रार्थना है। केन्द्रीय सरकार को हमारी प्रार्थना स्वीकृत कर संशोधन से सहमति प्रकट करना चाहिये।

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): इस तथ्य से इन्कार करना व्यर्थ होगा कि प्रस्तुत बहस से मुझे निजी रूप में

बहुत अधिक तकलीफ़ हुई क्योंकि वह आवेशयुक्त भी और मुझे यह कहने के लिये क्षमा करें कि उसमें अधिक औचित्य नहीं था। मेरा इरादा उस विषय पर बोलने का नहीं है जिस पर कल मेरे साथी वित्त मंत्री ने कहा था। उन्होंने इस विषय के वित्तीय पहलू की विस्तृत विवेचना की है। आज प्रातः काल उस ऋण के विषय में प्रश्न उठाया गया था जो मद्रास का बाहर वालों पर है। आज, मुझे यह सोचना चाहिये था कि विभाजन के प्रत्येक मामले में, भले ही आप इसे संयुक्त परिवार मानें अथवा बड़े पैमाने पर इसे समझें, विभाजनकर्ता को दायित्व के भुगतान की पूर्ण व्यवस्था करना चाहिये। आंतरिक मामलों की व्यवस्था का प्रश्न भिन्न हो सकता है किन्तु जहां तक बाह्य का सम्बन्ध है उसमें विवाद की संभावना नहीं हो सकती।

जहां तक मुझे ज्ञात है, बड़ी योजनाओं में जिनको वित्त राजस्व तथा ऋणों से सहायता दी गई है, कुल व्यय लगभग ११७ करोड़ रुपये हुआ है। और ११७ करोड़ रुपये की उक्त रक़म में से ८७ करोड़ रुपये ऋणों—केन्द्रीय सरकार अथवा अन्य अभिकरणों द्वारा प्राप्त ऋण— से प्राप्त हुआ है। **उपबन्ध** यह है कि जिस राज्य में कोई विशिष्ट योजना है वह राज्य उक्त ऋणों के भुगतान के लिये उत्तरदायी है। उक्त दायित्वों के विभाजन के औचित्य के विषय में कोई प्रश्न नहीं हो सकता। यदि अवशिष्ट मद्रास राज्य को उक्त बड़ी योजनाओं का लाभ प्राप्त हुआ है तो उसे उक्त ८७ करोड़ रुपये का अधिकांश भाग देना पड़ेगा।

जहां तक राजस्व व्यय का सम्बन्ध है यह तीस करोड़ रुपये तक है, वह भी उक्त बड़ी योजनाओं के सम्बन्ध में ही विभाजित किया जाना है। विद्युत योजनायें और अन्य योजनायें जिनका निर्देश किया गया है उन सब बड़ी योजनाओं के विषय में मैं इतना ही कहना चाहता हूं। जहां तक प्रतिदिन और प्रतिवर्ष के प्रशासन का सम्बन्ध है जिस के लिये राजस्व से वित्त दिया गया है, क्या स्थिति है? हम प्रायः सामान्य रूप से विचार कर रहे हैं यह मेरी शिकायत है। यदि संशोधन स्वीकृत नहीं हुआ तो सदन सातवीं अनुसूची देख सकता है। उससे विदित होगा कि हम प्रत्येक मामले में गये हैं—आय-कर, राजस्व का विभाजन, उत्पादन राजस्व का विभाजन, दायित्व का विभाजन ऋण आदि। अच्छा हो कि आप इसे देखें।

उसमें प्रत्येक विषय का ब्यौरा है। उसके बाद खंड ५१ है, जिस की ओर एक मिनिट पूर्व निर्देश किया गया था, उसके अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह किसी भी विषमता अथवा त्रुटि को दूर करने के लिये संशोधन कर सकते हैं। मुझे आश्चर्य है कि बहस में किसी ने भी गत इतिहास का निर्देश नहीं किया। यह देश २६ जनवरी १९५० से स्वतंत्र गणतंत्र हुआ है। उसके पूर्व भी तीन वर्षों से हम स्वतंत्र थे। अन्यथा क्लाइव के समय से यहां अंग्रेज़ी शासन रहा है। भले ही यह मांटेग्यू-चेम्सफ़ोर्ड सुधार अथवा भारत सरकार अधिनियम १९३५ के अन्तर्गत रहा हो किन्तु ये युद्धकाल में परित्यक्त कर दिये गये थे। यहां विदेशी व्यवस्था रही है और उन्होंने सम्पूर्ण देश को एक इकाई माना है। उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार यहां काम किया। उस समय तामिल समर्थक अथवा आंध्रसमर्थक विचारधारा का प्रश्न नहीं था। यहां आप अंग्रेज़ी द्वारा व्यवहृत राजस्व की प्राचीन पद्धति को सही कर रहे हैं और आप आज के व्यक्तियों

[डा० काटजू]

को उस कार्य के लिये उत्तरदायी बनाना चाहते हैं जो कल किया जा चुका है। मेरा सुझाव है कि यह बात मुझे नहीं जचती है। मैं एक भारतीय की तरह बोल रहा हूं। मेरे लिये यह कहना अनुचित होगा कि मैं आंध्रों का प्रेमी हूं अथवा मुझे तामिल प्रिय है। मैं एक भारतीय की भांति दोनों को ही समान समझता हूं।

इस बहस में किसी ने भी विगत इतिहास की ओर दृष्टिपात नहीं किया। हमारे यहां अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्तित्व हुए हैं मैं सर्वथा स्पष्ट कह रहा हूं कि हमारे यहां असाधारण विद्यार्थी और महान विद्वान हुए हैं। मेरे मित्र डा० लंका सुन्दरम् वर्षों तक अर्थशास्त्र सम्बंधी उच्चकोटि के पत्र के सम्पादक रहे हैं—मुझे पता नहीं कि अब वह उसके सम्पादक हैं या नहीं—और मुझे उनसे आशा थी कि वे मनोवैज्ञानिक और और भावनापूर्ण संदर्भों में न उलझेंगे। ने कहा कि डा० जयसूर्य ने यह किया है, अथवा किसी और ने यह किया है, यह सब अलग बातें हैं। किन्तु आप इसे मान लीजिये, आप कुछ समय तक इसे पड़ोसी से लेते हैं। मेरा विचार था कि कोई वक्ता दस, बीस या तीस वर्षों के राजस्व को मालूम करते और फिर उन आंकड़ों को सदस्यों में प्रसारित करते। आंध्र से कितना मिला, इन बारह ज़िलों से क्या मिला और तामिलनाद से, मालाबार से क्या मिला आदि। आप दोनों ओर से प्राप्त नहीं कर सकते। आप एक श्वास में यह नहीं कह सकते कि आपकी उपेक्षा की गई है आप के साथ निर्दय एवं दुर्व्यवहार किया गया है; आप को गोदावरी में बाढ़ का सामना करना पड़ता है, रायलसीमा भी आपके क्षेत्र में है और भी अनेक बातें हैं अतः पिछली एक शताब्दी से आपके साथ निष्पक्ष व्यवहार नहीं हुआ है। यदि यह बात सही है तो राजस्व में आपका भाग अवश्य ही कम अनुपात में होगा। किन्तु आज प्रश्न यह है, हम इसे जनसंख्या के आधार पर मानें अथवा नहीं। आज आप ३६ प्रतिशत हैं और तामिलजनों की संख्या ६२ प्रतिशत है। मुझे नहीं मालूम कि पुराने ज़माने में जनसंख्या का अनुपात क्या था। हो सकता है कि आंध्रों की जनसंख्या की वृद्धि तीव्र गति से रही हो और तामिल अपनी संख्या को बढ़ाने में अधिक बुद्धिमान रहे हों। मुझे यह मालूम नहीं है। किन्तु उस समय राजस्व का क्या अनुपात था। मेहरबानी करके यह याद रखिये कि उस समय आंध्र में सभी बड़े महाराजा विद्यमान थे। मेरे माननीय एवं आदरणीय मित्र और क्रिकेट के महान खिलाड़ी विजयानगरम के महाराजा हैं। वह आंध्र के हैं। और भी अनेक व्यक्ति हैं। ये व्यक्ति राज कोष को कम अंशदान देते रहे हैं जब कि दक्षिण में, मेरा विश्वास है रैयतवाड़ी प्रथा है और हर एक रैयत अथवा कृषक सीधे राजकोष को अंशदान देता है। मेरी इच्छा थी कि डा० लंका सुन्दरम् हम से कहते कि सरकारी राजस्व के रूप में तामिल जनता के अंशदान का प्रतिशत अथवा अनुपात कितना था।

डा० लंका सुन्दरम् : क्या मैं थोड़ी बाधा उपस्थित कर सकता हूं? इसी तथ्य पर मैं ने आप से जानकारी देने के लिये कहा था। और आप मुझ से उक्त जानकारी देने के लिये कर रहे हैं।

डा० काटजू : यह मेरे पास नहीं है। हमारे पास उक्त सूचना नहीं है। आपके पास प्रारम्भ से अंत तक इसका ज्ञान है और आप उसकी व्यवस्था कर सकते हैं।

(**अन्तर्बाधा**) अज्ञान प्रकट करने की यह मनोवृत्ति मुझे पसन्द नहीं है । मुझे यह याद नहीं है, मुझे वह याद नहीं है इस तरह की बातों से मुझे संतप्ति होती है ।

डा० जयसूर्य कह रहे थे, हमारे मन में सन्देह है, इस मनोवैज्ञानिक दृष्टि से.....

डा० जयसूर्य : मैं ने कहा था जनता के मन में सन्देह है ।

डा० काटजू : मैं इस का प्रतिवाद करता हूं । लोगों का इस प्रकार का संदेह बिल्कुल बेहूदा है । मेरी बात मान लीजिये कि लोग जो कुछ भी कहते हैं कि संदेह हो रहा है वह सब निरर्थक और निराधार है । आप किसी समुदाय के नेता हैं, और आप को संदेह है; आप संदेह की बात करते हैं और संदेह भरा वातावरण पैदा करते हैं । यदि आप सब एक साथ बोलेंगे कि हम संतुष्ट हैं—जैसा कि निश्चय करते समय किया भी जाता है, और उचित ढ़ंग से हुआ करता है—तो क्या वे लोग आप के विरुद्ध आन्दोलन करेंगे ?

डा० जयसूर्य : आप को स्वयं ही मालूम होगा यदि आप वहां जा कर देख लें ।

डा० काटजू : मैं आंध्र देश जाने तथा वहां टुकड़े टुकड़े होने को तैयार हूं यदि आप मुझे वहां ले जाना चाहते हों । मैं वहां भी प्रकट सभाओं में इस प्रकार कहने को तैयार हूं ।

प्रश्न यह है कि कभी कभी किसी समुदाय के नेता अथवा विधान-मंडल के सदस्य किसी बात पर जोर देना चाहते हैं, और इस बात को कहने की हिम्मत न रखते हुए कि हम यह काम कराना चाहते हैं, वे ग़रीबों को सामने कर के कहलवाते हैं कि उन्हें (ग़रीबों को) वैसा चाहिये; वे कहेंगे कि हम खूब समझदार हैं, और हम श्री देशमुख की बात भी सुन चुके हैं, वे बिल्कुल ठीक कहते हैं किन्तु हम क्या करें, हमें पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, को वापिस जाना पड़ रहा है, आदि, आदि—बातें लोग कहेंगे ।

डा० रामा राव (काकिनाडा) : हम लोगों का मत ही नहीं चाहते बल्कि एक विशेषज्ञ-आयोग भी चाहते हैं ।

डा० काटजू : बिल्कुल उचित बात है । चूंकि आप बहुत पढ़े लिखे और सजग पुरुष हैं, अतः हम यही सुझाव देंगे कि इस पर आप कुछ तथ्य और आंकड़े देख लीजिये ।

श्री बी० एस० मूर्ति : कृपया आंकड़े दीजिये ।

डा० काटजू : सभी पुस्तकें वहीं हैं । आप तो पुस्तकालय नहीं जानते, आयव्ययक नहीं देखते, और अन्य पत्रों का अध्ययन नहीं करते । आप डा० लंका सुन्दरम् के अध्यक्षत्व में एक स्वाध्याय-मंडल बना लीजिये ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या आप भी शामिल हो रहे हैं ?

डा० काटजू : मेरा विचार है कि डा० लंका सुन्दरम् 'ईस्टर्न इकानोमिस्ट' या और किसी पत्रिका के संपादक थे ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : जी नहीं, वह इनका पत्र नहीं है ।

डा० काटजू : कदाचित और कोई पत्र होगा । मैं उनका शिष्य बनने को तैयार हूं, किन्तु मैं उन सभी बातों को आत्मसात् नहीं करूंगा जो वह मुझे सिखा देंगे ।

डा० लंका सुन्दरम् : मैं इतना वयोवृद्ध हूं कि आप को नहीं सिखा सकता ।

डा० काटजू : आप बूढ़े नहीं हैं, बल्कि आप इस समय बन रहे हैं। (अन्तर्बाधा)

मैं इस बात को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता। मैं सदन को इस बात का आश्वासन दिला दूं, और यदि आवश्यकता पड़ी तो आंध्र देशवासी इस बात का निर्णय भी कर सकते हैं, और मैं बहुत चाव से यह कहना चाहता हूं कि हम ने जो भी अवस्था की है; उचित ढ़ंग से की है; भले ही मेरे आंध्रवासी मित्र कुछ भी कहें—मैं उन पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता—क्योंकि संसद् में आकर उन्हें कुछ कहना ही पड़ता है। कुछ भी कहा जाय, आप इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि इस किस्से को समाप्त करना ही अच्छा है, और वांच्छनीय भी है। मैं तो एक निरीह व्यक्ति हूं, मैं पुनः यही बात कह दूंगा। पिछले आठ नौ दिनों से, जब से मैं भाषण सुन रहा हूं मेरी वाणी और नींद उड़ चुकी है, और मैं वे दो सौ वर्ष पुराने दिन याद कर रहा हूं जब लोग एक ही मन्दिर में उपासना करते थे, एक ही प्रकार के पवित्र ग्रन्थों को मानते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, और एक दूसरे से ब्याह शादी रचाते थे। मेरा विचार है कि अभी भी बहुत से संयुक्त परिवार होंगे। ऐसे बहुत से तामिलदेशीय हैं जिन्होंने आंध्र देश को अपना घर बनाया; और मैं कई आंध्र-वासियों को जानता हूं जो कन्यकुमारी, मदुरा और अन्य स्थानों में रह रहे हैं और वहां से वापिस नहीं आना चाहते। ऐसी स्थिति में यदि घृणा, हिंसा, संदेह, आदि की बातें बढ़ती रहें, तो उन का क्या आधार होगा ? वित्त मंत्री ने भी कहा है कि आखिर हमें किस चीज़ का विभाजन करना है ?

डा० रामा राव : दायित्वों का।

डा० काटजू : क्या आप शून्य का विभाजन करेंगे ? दायित्व क्या हैं ? आप वित्त मंत्री के पास आइये, अथवा इन बातों पर हमें अभ्यर्थना कीजिये। मैं तो आप को यही सुझाव दूंगा।

डा० रामा राव : मैं तो संशोधन भेज चुका हूं।

डा० काटजू मेरे माननीय मित्र डा० लंका सुन्दरम् का कहना है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। मान लीजिये कि आप कुछ भी नहीं जानते, तो मैं आप को सुझाव दूंगा कि २ अक्तूबर को आप आंध्र राज्य में एक विशेष पदाधिकारी को नियुक्त कीजिये आप को आंध्र सम्बन्धी सभी साहित्य, पत्र, पुस्तकें, आदि मिलेंगी। वह विशेष पदाधिकारी उन सभी जाली बातों और त्रुटियों को मालूम करे, और बाद में आंध्र मंत्रालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे, जो अन्त में राष्ट्रपति को दिया जाय। अन्यथा, यदि आप यह अनुभव करते हों कि आप से अन्याय हुआ है या ज्यादतीं की गई है, तो आप वित्त मंत्री और भारत सरकार के पास आइये तो आप को बहुत सी बातें मिलेंगी, क्योंकि संविधान का एक निदेशात्मक सिद्धान्त बताता है कि देश में जो सब से अधिक निर्धन क्षेत्र होगा, उस पर वित्त मंत्री की सब से अधिक कृपादृष्टि बनी रहेगी।

मेरे माननीय मित्र डा० लंका सुन्दरम ने गोदावरी योजना का हवाला दिया। बात इस प्रकार हुई कि उन दिनों की मद्रास सरकार के मुख्य सचिव श्री एस वी० राममूर्त्ति मेरे प्रिय निजी सुहृद् बने थे क्योंकि हम दोनों ने सात वर्ष पहले अमरीका में आयोजित एफ़० ए० ओ० में भाग लेने वाले ग़ैर-सरकारी शिष्टमंडल में, मिल कर काम किया था। वह इन सभी बातों पर मेरे साथ गोदावरी के सम्बन्ध में विस्तृत बातचीत किया करते थे। उन्होने बताया कि इंजीनियरों द्वारा वहां २४५ फ़ट गहराई की खुदाई

होगी : इस में धन लगाने की इतनी बात नहीं जितनी कि इस चीज़ की है कि क्या वहां इंजीनियरिंग का काम चल सकता है । यह तो सात वर्ष पहले की बात थी। उन्होंने कहा था कि इस परियोजना पर लगभग ११० करोड़ रुपये लगेंगे । और मैं समझता हूं कि अब इसी परियोजना--गोदवारी परियोजना पर २४० करोड़ रूपये लगेंगे ।

श्री बी० एस० मूर्ति : १६० करोड़ रुपये ।

डा० काटजू : यह तो बहुत ही अनिश्चित बात है । हो सकता है कि मैं ने सही आंकड़े नहीं दिये हों ।

श्री बी० एस० मूर्ति : सैवेज कमेटी की रिपोर्ट के सम्बन्ध में क्या हुआ ?

डा० काटजू : हम सभाकक्ष में इस पर बात चीत करेंगे । मैं तो केवल यह बताना चाहता हूं कि प्राक्कलन क्या हैं, और हो क्या सकता है । आप योजना आयोग के साथ इन पर चर्चा कीजिये । शून्य का विभाजन छोड़ कर, वे अन्य सभी बातों में आप को सहायता देंगे । मैं इतना ही कहना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पहले संशोधन पर और बाद में खंड पर मत लूंगा । कौन से संशोधन सदन के समक्ष रखे जायें ?

डा० लंका सुन्दरम् : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा ।

डा० लंका सुन्दरम् : श्रीमान्, मेरी एक प्रार्थना है । मेरे विचार में श्री नाना दास का संशोधन संगत रहेगा । यदि कार्य-विधि की कोई कठिनाई नहीं रही तो इन्हें एक साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। उनका संशोधन मेरे संशोधन का स्पष्टीकरण करता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : दोनों को एक साथ लिया जाय ?

डा० लंका सुन्दरम् : जी हां । मद्रास विधान-सभा द्वारा पारित दो संकल्पों पर ये संशोधन आधारित हैं । मेरे विचार में ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अतः इन दोनों को इकट्ठा करने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी ।

श्री वेंकटारमन (तंजोर) : डा० लंका सुन्दरम् का संशोधन यह है कि एक तटस्थ आयोग की सिफारिशों के आधार पर इसका विभाजन होगा, जब कि दूसरे संशोधन में बताया गया है कि जनसंख्या के आधार पर इस का विभाजन होगा—अतः मेरे विचार में इन दोनों को एक साथ नहीं रखा जा सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा ।

प्रश्न यह है कि--

पृष्ठ १४ और १५ में खण्ड ४७ के स्थान पर निम्नलिखित पंक्तियां आदिष्ट की जायें :

"47. *Apportionment of assets and liabilities.*—The assets and liabilities of the State of Madras as dealt with in the Seventh Schedule, as also current revenues and expenditure, shall be divided between the States affected by this Act by an order of the President of India, on the recommendation of a neutral Commission of experts, presided over by a Judge of the Supreme Court."

[उपाध्यक्ष महोदय]

["४७. **संपत्तियों और दायित्वों का बांटा जाना.**—मद्रास राज्य की आस्तियां एवं दायित्व, जैसा कि सातवीं अनुसूची में उनका ब्योरा आचुका है, तथा चालू राजस्व एवं व्यय, उन राज्यों के बीच जिन पर इस अधिनियम का प्रभाव पड़ा है, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक तटस्थ विशेषज्ञ-आयोग, जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की अध्यक्षता में काम करेगा, की सिफारिशों के अनुसार बांटे जायेंगे । "]

सदन में मतविभाजन हुआ : ५४ पक्ष म थे और २४६ विपक्ष में ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं अन्य संशोधन उठाऊंगा । श्री रघुरामय्या का संशोधन निषिद्ध किया जाता है; यह भी उसी आयोग से सम्बद्ध है । श्री ईश्वर रेड्डी का संशोधन भी अस्वीकार किया जाता है । इस के बाद श्री नाना दास का संशोधन है ।

संशोधन प्रस्तुत हुआ और अस्वीकार किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राघवाचारी के नाम का संशोधन भी निषिद्ध किया जाता है । अतः कोई भी संशोधन पारित नहीं होता ।

प्रश्न यह है कि

" खंड ४७ विधेयक का अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ४७ विधेयक का अंग बनाया गया ।

खंड ४८— (ठेके)

श्री वेंकटरमन : इस खंड पर संशोधन प्रस्तुत करने का मेरा यह उद्देश्य है कि माननीय गृह मंत्री उन कई ठेकों के सम्बन्ध में जो आंध्र राज्य तथा उड़ीसा जैसे राज्यों के हित के लिये मद्रास के मिले जुले राज्य द्वारा किये जा चुके हैं, स्पष्टीकरण करें । आप सब जानते होंगे कि मचकुंड परियोजना में कई ठेके मद्रास राज्य तथा उड़ीसा राज्य के बीच हुये हैं, और इस परियोजना में से उड़ीसा को ३० प्रतिशत तथा नये आंध्र राज्य को ७० प्रतिशत बिजली मिलेगी । चुनाचि उक्त खण्ड की व्याख्या इस प्रकार से की जा सकती है कि यदि इस ठके से आंध्र राज्य को ही लाभ होता हो, तो यह उस (आंध्र राज्य) का ठेका बन सकेगा । और मद्रास विधान-मंडल के समक्ष जिस रूप में यह खण्ड प्रस्तुत हुआ है उस की व्याख्या इस प्रकार भी की जा सकती है कि यदि मचकुंड परियोजना सम्बन्धी ठेका केवल आंध्र राज्य के लिये नहीं, तो यह अंशतः आंध्र और अंशतः उड़ीसा के लिये होगा अतः एक, यह आंध्र राज्य का ठेका नहीं बनता,बल्कि इस रूप में प्रस्तुत होता है जैसे कि मद्रास के शेष राज्य ने इस में भाग लिया हो । मैं जानता हूं कि सदन में गृह मंत्री द्वारा की गई व्याख्या किसी न्यायालय में काम नहीं आयेगी, किन्तु चूंकि ४७, ४८, ४९ और ५० खंडों के सम्बन्ध में संपदा एवं दायित्व का समायोजन करन के लिये हम ने खण्ड ५१ के अन्तर्गत इसको उपबन्धित किया है, अतः इस सदन में गृह मंत्री जी जो भी व्याख्या देंगे वह राष्ट्रपति को उस समय बहुत काम देगी जिस समय वह इस पर आदेश देंगे । तो माननीय गृह मंत्री से जिस बात के विषय में मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं वह यह है : आंध्र राज्य अथवा मैसूर तथा आंध्र राज्य के प्रयोजनों के लिये मद्रास के मिले-जुले राज्य तथा बाहर के किसी अन्य राज्य द्वारा किये गये मचकुंड परियोजना ठेके तथा

इस प्रकार के अन्य ठेके मद्रास राज्य का ठेका नहीं समझे जायेंगे, और न उसके ठेके कहलायेंगे ।

डा० काटजू: मैं यह संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता ।

श्री वेंकटारमन: मैं तो केवल स्पष्टीकरण चाहता था ।

डा० काटजू: स्पष्टीकरण इस प्रकार है । यदि इस प्रकार की कोई कठिनाई जिसकी ओर मेरे मान्य मित्र ने निर्देश किया है, आ भी जाय तो राष्ट्रपति द्वारा ही उसका उपचार होगा । बस यही कहूंगा ।

डा० लंका सुन्दरम: हम माननीय गृह मंत्री की बात समझ नहीं सके ।

डा० काटजू: मैं ने अपने मान्य मित्र की कठिनाई को इस प्रकार समझा । यथा-स्थिति खंड के अनुसार आंध्र राज्य उन ठेकों के लिये उत्तरदायी होगा जो उस क्षेत्र की परियोजनाओं के लिये किये जायेंगे, जो अब आंध्र राज्य में है; अथवा यदि उस क्षेत्र में, जो अब मैसूर राज्य को मिला है, भी यह चीज है तो उसका दायित्व आंध्र राज्यों पर होगा । उन का यह अनुभव है कि उस उत्तरी क्षेत्र में जो अब उड़ीसा राज्य में मिला है, कई ठेके होंगे । यह पूछते हैं कि उनका दायित्व किस पर होगा । यदि ऐसी बात है तो, इस प्रकार की कठिनाई आने के समय राष्ट्र-पति ही उसका निपटारा करेंगे । जहां तक हमें मालूम है अभी ऐसी कोई भी कठिनाई नहीं है ।

श्री वेंकटारमन: मैं जानता हूं कि राष्ट्रपति उसका निपटारा करेंगे । हम यह जानना चाहते हैं कि खंड ४८ को प्रस्तुत करने का क्या अभिप्राय है । क्या इसका यही अभिप्राय है कि आंध्रराज्य तथा किसी अन्य राज्य से सम्बन्धित मामलों के विषय में मद्रास के मिले-जुले राज्य द्वारा किये गये ठेके मद्रास के शेष राज्य के ठेके समझे जायेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय: यह तो बहुत दूर की बात है । इस संदर्भ में पूर्णतया अथवा केवल का अर्थ तो मैसूर को छोड़ कर अन्य राज्य के लिये आता है ।

श्री बासप्पा (टुमकुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

पृष्ठ १५ में पंक्ति ३९ के बाद निम्नांकित पंक्तियां आदिष्ट कीजिये:

"(4) If any State neglects, omits or declines to enforce the performance of any such contract, any other State whose purpose is also partly a purpose of such contract shall in its own right be entitled to enforce the same and to take and institute all necessary legal or other proceedings in its own name for such enforcement."

["(४) यदि कोई राज्य इस प्रकार के किसी ठेके को चालू करने में अवहेलना अथवा भूल-चूक करता हो, तो और कोई राज्य जिस का उद्देश्य भी इसी ठेके के उद्देश्य का अंश हो, उस ठेके को चालू करने का पूरा पूरा अधिकारी होगा, और अपने नाम में इस प्रकार के लागू करने की सभी आवश्यक वैध तथा अन्य कार्यवाही करायेगा ।"]

मेरे संशोधन का उद्देश्य यह है कि इस सम्बन्ध में मैसूर के हितों की रक्षा हो । मान लीजिये कि मद्रास सरकार कई वस्तुओं को मुहैय्या कराने के लिये कई साथों के साथ कोई संविदा कर चुकी हो । यदि वे ठेके

[श्री बासप्पा]

पूर्णतया अथवा केवल आंध्र राज्य के लिये हों, तब तो उन्हें आंध्र देश को दिया जायेगा, और यदि मैसूर के लिये हों तो मैसूर वालों को मिलेंगे। किन्तु यदि यह अंशतः आंध्र राज्य के लिये और अंशतः स्थानान्तरित क्षेत्र के लिये हों, तो उस स्थानान्तरित क्षेत्र पर यह ठेका लागू करने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। अन्यथा उसे हानि होगी। यदि किसी कारण से ये दोनों राज्य ठेका चला नहीं सके, और यदि मैसूर जैसा तीसरा राज्य, जो इस में रुचि रखता है, इस को चाहता है तो यह उस ठेके को नहीं चालू कर सकेगा। मेरे ध्यान में यही बात है।

श्री धुलेकर: (जिला झांसी---दक्षिण): इस कानून को सभी जानते हैं।

डा० काटजू: मैं पहले की बातों के आधार पर ही इसे स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि यह पूर्णतया अनावश्यक है। क्योंकि यदि किसी ठेके में कोई भागीदार हो, तो उस ठेके को चालू किया जा सकता है। मेरे माननीय मित्र का विचार है कि यदि कोई संयुक्त ठेका हो और उस में एक ओर आन्ध्र तथा मैसूर के बीच बटवारे की और दूसरी ओर और कोई कठिनाई है और निस्सन्देह, आंध्र उसे लागू नहीं करना चाहता तो देश के साधारण कानून के अनुसार मैसूर आगे बढ़ सकता है। और उसे लागू कर सकता है। मैं इस तरह के परिपूर्ण खण्ड आदिष्ट नहीं कर सकता।

श्री बासप्पा: इस का पाठ इस प्रकार है.....

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य उसे पहले ही पढ़ चुके हैं। यदि यह ठेका आन्ध्र राज्य तथा स्थानान्तरित क्षेत्र के लिये संयुक्त रूप से है, तब तो इसे कोई भी पार्टी चालू कर सकती है। किन्तु यहां यह ठेका आंध्र राज्य के लिये ही हैं। माननीय मंत्री ने इस संशोधन को स्वीकार नहीं किया है। मेरा विश्वास है कि माननीय सदस्य इस पर ज़ोर नहीं देते।

श्री बासप्पा: नहीं, श्रीमान्।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि :

"खण्ड ४८ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ४८ विधेयक का अंग बना लिया गया।

खण्ड ४९ और ५० विधेयक का अंग बना लिये गये।

खण्ड ५१—(राष्ट्रपति की शक्तियां इत्यादि)

संशोधन किया गया :

पृष्ठ १६ की पंक्ति ३० में "opinion" ("सम्मति") के पश्चात् "on reference made within a period of three years from the appointed day, by any State concerned" ["नियत दिन से तीन वर्ष की अवधि के अन्दर किसी सम्बद्ध राज्य द्वारा निर्देश किये जाने पर"] ये निविष्ट कर दिया जाये।

---[श्री दातार]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है कि :

"खण्ड ५१, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड ५१, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना लिया गया।

खण्ड ५२ विधेयक का अंग बना लिया गया।

नया खण्ड ५२ क

डा० रामा राव : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ १६ में पंक्ति ४३ के पश्चात् निम्नलिखित निविष्ट कर दिया जाये :

"52 A. A sum of rupees ten crores shall be contributed to the Andhra State by the Government of India towards the construction and development of the capital of Andhra."

["५२ क. भारत सरकार आन्ध्र राज्य को आंन्ध्र की राजधानी के निर्माण तथा विकास के लिये दस करोड़ रुपये देगी ।"]

वांचू प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख किया गया है। मैं ने यह संशोधन अपने माननीय गृह मंत्री तथा अन्य व्यक्तियों की इस उदारतापूर्ण मंत्रणा को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत किया है कि हमें केन्द्र से अनुदान मांगने चाहियें । कुछ ही मिनट पूर्व वे यही बात कह रहे थे । मुझे पूरा निश्चय है कि सरकार इसे बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लेगी ।

श्री नानी दास (ओंगोल—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : यह बात सब को विदित है कि हमारे यहां आंध्र में एक भी विकसित नगर नहीं है । न्यायाधिपति वांचू ने भी अपनी यात्रा के वृत्तान्त में यह बात लिखी है : "कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां कि तुरन्त अस्थायी राजधानी बनाई जा सके ।" हमारे आन्ध्र की यह अवस्था है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, एक औचित्य प्रश्न के हेतु क्या मैं सभापति जी से इस विषय में उन का निर्णय मांग सकता हूं ? यदि इस संशोधन का उद्देश्य भारत की संचित निधि में से दस करोड़ रुपये निकलवा कर किसी प्रयोजन के लिये देना है तो यह एक धन विधेयक हो जाता है और इसलिये इस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि कहीं दो और कुछ करोड़ रुपये के अनुदान का उपबन्ध किया हुआ है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : संचित निधि में से नहीं । यह तो अवशिष्ट राज्य और आन्ध्र में वित्त के समन्वय का प्रश्न है । यदि केन्द्र दस करोड़ रुपये दे, तो ये संचित निधि में से लिये जायेंगे और सदन एक महत्वपूर्ण विधेयक पर मत दे रहा होगा जो कि किसी धन विधेयक के सम्बन्ध में अनुसरण की जाने वाली उचित प्रक्रिया का पालन किये बिना नहीं किया जा सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि मैं इस संशोधन को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दे सकता । इस के लिये राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिये । स्पष्ट है कि प्रस्तोता का उद्देश्य सहायता के सम्बन्ध में माननीय वित्त मंत्री से आश्वासन लेना है ।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं इस प्रकार का कोई आश्वासन देने को तैयार नहीं हूं । वास्तव में मैं तो यह समझता हूं कि इस प्रकार के विषयों पर उचित अधिकार के बिना चर्चा को रोकने के लिये ही संविधान में यह उपबन्ध किया गया है । अतः मुझ से ऐसा कोई आश्वासन देने के लिये कहना निश्चय ही गलत होगा ।

एक माननीय सदस्य : उन्हें इस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री पहिले ही यह कह चुके हैं कि आन्ध्र राज्य में वित्त के सम्बन्ध में जो कुछ भी कठिनाइयां होंगी उन्हें वे दूर कर देंगे ।

श्री सी० डी० देशमुख : आन्ध्र राज्य के निर्माण में जो आवश्यकतायें होंगी उन पर

[श्री सी० डी० देशमुख]

सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिये मैं तैयार हूं। मैं ने जो कुछ कहा है यह तो उस का एक प्रकार पदच्छेद है। मैं न तो इस में कुछ और जोड़ सकता हूं और न हीं इस में से कुछ हटाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : वे यह चाहते हैं कि माननीय मंत्री इस आश्वासन को भूलें नहीं। नये खण्ड को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। अब हम सातवीं अनुसूची को लेंगे।

सातवीं अनुसूची

श्री गोपाल राव : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) पृष्ठ ३४ में पंक्ति ३९ के पश्चात् निम्नलिखित निविष्ट कर दिया जाये :

(1) "(i) The assets and liabilities among the Andhra State, the Residuary State and the transferred territory shall be distributed in proportion to the population."

(ii) Renumber the other paragraphs accordingly.

[(१) "(क) आन्ध्र राज्य, अवशिष्ट राज्य तथा हस्तान्तरित प्रदेश में आस्तियों और दायित्वों का वितरण जनसंख्या के अनुपात से किया जायेगा।"

(ख) तदनुसार अन्य कण्डिकाओं की संख्या पुनः निश्चित कर दी जाये।]

(२) पृष्ठ ३४ में पंक्ति ४२ के पश्चात् निम्नलिखित निविष्ट कर दिया जाये :

"Provided that 36 per cent of the goods or their value to the extent feasible of all articles, stores and other goods contained in all the buildings serving the common needs of the combined State before the appointed date, shall be delivered to the Andhra State or credited to assets."

["परन्तु शर्त यह है कि नियत तिथि से पहिले साझी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी भवनों में विद्यमान वस्तुओं में से ३६ प्रति शत वस्तुएं अथवा सभी वस्तुओं, भाण्डारों तथा अन्य वस्तुओं के जहां तक सम्भव हो मूल्य का ३६ प्रतिशत अंश आन्ध्र राज्य को सौंप दिया जायेगा या उस की आस्तियों में जमा कर दिया जायेगा।"]

श्री बासप्पा : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) पृष्ठ ३५ की पंक्ति ८ और ९ में "and Andhra' ["और आंध्र"] के स्थान पर "Andhra and Mysore" ["आन्ध्र और मैसूर"] आदिष्ट कर दिया जाये।

(२) पृष्ठ ३५ की,

(१) पंक्ति २१ में "In this paragraph" ["इस कण्डिका में"] के पश्चात् "(१)" निविष्ट कर दिया जाये; और

(२) पंक्ति २१ के पश्चात् निम्नलिखित निविष्ट कर दिया जाये :

"(2) 'cash balances' includes investments into cash of bills, Government securities, fixed deposits and other earmarked investments."

["(२) 'नकद रोकड़' में बिलों में नियोजित नकद पूंजी, सरकारी प्रतिभूतियां,

नियत समय के लिये जमा पूंजी और अन्य अलग की हुई नियोजित पूंजी सम्मिलित है ।"]

श्री रघुरामय्या (तेनाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ३५ में पंक्ति २२ से ३२ तक के स्थान में निम्नलिखित आदिष्ट कर दिया जाये :

"3. Any unissued stores of any class shall be divided between the States of Madras, Andhra and Mysore in the proportion of $62\frac{2}{3} : 36 : 1\frac{1}{3}$."

["३. न जारी किये गये सभी प्रकार के भाण्डरों को मद्रास, आन्ध्र और मैसूर के राज्यों में ६२$^{२}/_{३}$: ३६ : १$^{१}/_{३}$ के अनुपात से बांटा जायेगा ।"]

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ३५ की पंक्ति ३१ में " power houses " ["बिजली घरों"] के स्थान पर "electrical undertakings"

["विद्युत् सम्बन्धी उपक्रम"] आदिष्ट कर दिया जाये ।

श्री रघुरामय्या : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ३५ की पंक्ति ३८ से ४० तक में

"On the basis of the book value of the machinery less depreciation where such depreciation is adjusted in the accounts of the Press."

["जहां कहीं मुद्रणालय के लेखे में अवक्षयण का समन्वय किया गया हो वहां यंत्रों के खाता मूल्य में से अवक्षयण को घटा कर उस के आधार पर"] के स्थान पर "On the basis of its market value on the date of the adjustment."

["समन्वय के दिन इस के बाजार भाव के आधार पर"] आदिष्ट कर दिया जाये ।

श्री गोपाल राव : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ३६ की पंक्ति ५ के अन्त में "Any amount thus recovered shall be divided among the States of Madras, Andhra and Mysore in the proportion of $62\frac{2}{3} : 36 : 1\frac{1}{3}$"

["इस प्रकार प्राप्त कोई भी राशि मद्रास, आन्ध्र तथा मैसूर के राज्यों में ६२$^{२}/_{३}$ ३६ : १$^{१}/_{३}$ के अनुपात से बांट दी जायेगी"] जोड़ दिया जाये ।

श्री रघुरामय्या : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ३६ की पंक्ति ५ के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"Provided that any sum recovered in respect of any such loan or advance shall be divided between the States of Madras, Andhra and Mysore in the proportion of $62\frac{2}{3} : 36 : 1\frac{1}{3}$."

["परन्तु शर्त यह है कि इस प्रकार के किसी ऋण या अगाऊ धन के सम्बन्ध में प्राप्त कोई भी राशि मद्रास, आन्ध्र और मैसूर के राज्यों में ६२$^{२}/_{३}$: ३६ : १$^{१}/_{३}$ के अनुपात से बांट दी जायेंगी ।"]

श्री वेंकटारमन् : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) पृष्ठ ३६ की पंक्ति २१ से २४ तक के स्थान पर निम्नलिखित आदिष्ट कर दिया जाये :

"(1) The balance of the States' share of the taxes on income and of the Union duties of Excise payable to the State of Madras in respect of the financial year 1953-54 shall be shared as follows :

eighty per cent of the States' share of the taxes on income and the whole of the Union duties of excise shall be shared by the States of Madras, Andhra and Mysore in the proportion of $62\frac{2}{3}$: 36 : $1\frac{1}{3}$; and

twenty per cent of the States' share of the taxes on income shall be shared on the basis of collection of the taxes on income in the areas comprised in the States of Madras, the State of Andhra and the transferred territory (in accordance with the allocations made by the Finance Commission)".

["(१) १९५३-५४ के वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में आय-करों और मद्रास राज्य को देय संघीय उत्पाद शुल्क के राज्यों के अंश के धन को निम्नलिखित रीति से बांटा जायेगा :

आय-करों में राज्यों के अंश के अस्सी प्रतिशत तथा सम्पूर्ण संघीय उत्पाद शुल्क को मद्रास, आन्ध्र और मैसूर के राज्यों में $62\frac{2}{3}$: 36 : $1\frac{1}{3}$ के अनुपात से बांटा जायेगा; और आय-करों में राज्यों के अंश के बीस प्रतिशत को मद्रास राज्य, आन्ध्र राज्य और हस्तान्तरित प्रदेश के क्षेत्रों में संगृहीत आय-कर के आधार पर (वित्त आयोग द्वारा किये गये आवंटनों के अनुसार) बांटा जायेगा।"]

(२) पृष्ठ ३६ की पंक्ति ३१ से ३६ तक के स्थान पर निम्नलिखित आदिष्ट कर दिया जाये :

"(2) The States' share of taxes on income and of the Union duties of excise payable to the States of Madras as constituted immediately before the appointed day in respect of each of the financial years commencing on or after the first day of April, 1954 shall until other provision is made by law, be shared as follows :

eighty per cent of the States' share of the taxes on income and the whole of the Union duties of excise shall be shared by the States of Madras, Andhra and Mysore in the proportion of $62\frac{2}{3}$: 36 : $1\frac{1}{3}$; and

twenty per cent of the States' share of the taxes on income shall be shared on the basis of collection of the taxes on income in the areas comprised in the State of Madras, the State of Andhra and the transferred territory (in accordance with the allocations made by the Finance Commission)"

["(२) जब तक विधि द्वारा और कोई उपबन्ध नहीं किया जाता तब तक पहिली अप्रैल, १९५४ को या उस के पश्चात् प्रारम्भ होने वाले प्रत्येक वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध में नियत तिथि से तुरन्त पहिले जो मद्रास राज्य बना हुआ था उसे देय संघीय उत्पाद शुल्क और आय-कर के राज्यों के अंश को निम्नलिखित रीति से बांटा जायेगा :

आय-करों में राज्यों के अंश के अस्सी प्रतिशत तथा सम्पूर्ण संघीय उत्पाद शुल्क को मद्रास, आन्ध्र और मसूर के राज्यों में ६२½ : ३६ : १½ के अनुपात से बांटा जायेगा; और

आय-करों में राज्यों के अंश के बीस प्रतिशत को मद्रास राज्य, आन्ध्र राज्य और हस्तान्तरित प्रदेश के क्षेत्रों में संगृहीत आय-कर के आधार पर (वित्त आयोग द्वारा किये गये आवंटनों के अनुसार) बांटा जायेगा।"]

(३) पृष्ठ ३६ की पंक्ति ३७ से ४० तक के स्थान पर निम्नलिखित आदिष्ट कर दिया जाय :

"8. The sums at the credit of the Central Road Fund due to the State of Madras immediately before the appointed day shall be allocated between the States of Madras, Andhra and Mysore on the basis of consumption of taxed motor spirit in the year 1952 (in accordance with the Resolution on the Central Road Fund as amended by Parliament on the 14th April, 1950)".

["८. नियत दिन से तुरन्त पहिले मद्रास राज्य का केन्द्रीय सड़क निधि में जो धन जमा होगा उसे (संसद् द्वारा १४ अप्रैल, १९५० को संशोधित केन्द्रीय सड़क निधि सम्बन्धी संकल्प के अनुसार) १९५२ में कर दिये हुए पैट्रोल की खपत के आधार पर मद्रास, आन्ध्र और मैसूर राज्यों में बांटा जायेगा।"]

श्री राघुरामय्या : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ३६ की पंक्ति ३९ और ४० में "in the proportion of $62\frac{2}{3} : 36 : 1\frac{1}{3}$ ["६२½ : ३६ : १½ के अनुपात से"] के स्थान पर "in such proportion as may be fixed by the President in proportion to the area covered by the respective States."

("उस अनुपात से जो कि राष्ट्रपति द्वारा उन उन राज्यों के क्षत्रों के अनुपात से नियत किया जाये") आदिष्ट कर दिया जाये।

श्री दातार : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) पृष्ठ ३७ की पंक्ति २१ में "of the debt" ["ऋण के"] के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"For the purpose of determining the said shares, the

[श्री दातार]

debt shall be deemed to be apportioned between the States of Madras, Andhra and Mysore as if it were a bebt referred to in sub-paragraph (2) of this paragraph, and the shares of the States of Andhra and Mysore shall be determined accordingly :

Provided that the liability for any public loan or portion thereof referred to in sub-paragraph (1) of paragraph 2 shall, for the purposes of this sub-paragraph, be deemed to be apportioned between the States of Andhra and Madras in the same proportion as may be fixed under sub-paragraph (1) of paragraph 2 in regard to the allocation of the proceeds of such loans or portion thereof."

["उक्त अंश निर्धारित करने के लिये वह ऋण मद्रास, आन्ध्र और मैसूर के राज्यों में इस प्रकार विभाजित समझा जायेगा जैसे कि वह ऋण इस कण्डिका की उपकण्डिका (२) में उल्लिखित कोई ऋण हो और आन्ध्र तथा मैसूर राज्य के अंश तदनुसार नियत किये जायेंगे :

परन्तु शर्त यह है कि कण्डिका २ की उपकण्डिका (१) में उल्लिखित किसी सार्वजनिक ऋण या उस के किसी अंश का दायित्व इस उपकण्डिका के प्रयोजन के हेतु आंध्र और मद्रास राज्यों में उसी अनुपात में बंटा हुआ समझा जायगा जो कि कण्डिका २ की उपकण्डिका (१) के अधीन इस प्रकार के ऋणों या उन के किसी अंश की प्राप्त पूंजी के आवंटन के सम्बन्ध नियत किया जायगा ।

(२) पृष्ठ ३७ की पंक्ति २५ और २६ में से "The public debt referred to in sub-paragraph (1) of this paragraph and" ["इस कण्डिका की उपकण्डिका (१) में उल्लिखित सार्वजनिक ऋण और"] ये शब्द निकाल दिये जायें ।

श्री गोपाल राव : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ३७ की पंक्ति ३० से ३४ तक में "to the total expenditure on all capital works and other capital outlays incurred in the territories of the States of Madras and Andhra and the transferred territory up to the commencement of the appointed day including the items dealt with in paragraph 9 of this Schedule."

["नियत दिन के आरम्भ होने तक मद्रास तथा आंध्र राज्यों और हस्तान्तरित प्रदेश के क्षेत्रों में इस अनुसूची की कण्डिका ९ में व्यवहृत चीज़ों सहित सभी बड़े बड़े निर्माण कार्यों और अन्य बड़े बड़े पूंजी विनियोगों में किये गये कुल व्यय को"] के स्थान पर "of $62\frac{2}{3}$: 36 : $1\,1\frac{1}{3}$ respectively ["क्रमशः $६२\frac{२}{३}$: ३६ : $१\frac{१}{३}$ के"] आदिष्ट कर दिया जाये ।

श्री के० सुब्रह्मण्यम् (विजियानगरम्) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ३७ की पंक्ति ३८ में "Andhra" ["आन्ध्र"] के पश्चात् "at Kurnool'

["कुर्नूल में"] निविष्ट कर दिया जाये ।

श्री दातार : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ३७ और ३८ में से क्रमशः पंक्ति ४१ से ४४ तक और पंक्ति १ तथा २ को निकाल दिया जाये ।

श्री रघुरामय्या : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ३८ में से पंक्ति ७ से १२ तक निकाल दी जायें ।

श्री राघुशावारी : (पेनुकोंडा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ३८ की पंक्ति ७ में "public debt on account of the" ["के कारण से सार्वजनिक ऋण"] के स्थान पर "the entire" ["सम्पूर्ण"] आदिष्ट कर दिया जाये ।

श्री नानादास : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ३७ में पंक्ति ४० के पश्चात् निम्नलिखित निविष्ट कर दिया जाये :

"Provided that the capital of Andhra State shall be the place to be decided and named by a simple majority vote of the legislators from the territories mentioned in sub-section (1) of section 3 in a conference to be convened by the Special Officer for the Andhra State at an early date but before the appointed day."

["परन्तु शर्त यह है कि आन्ध्र राज्य की राजधानी उस स्थान पर होगी जिस का कि धारा ३ की उपधारा (१) में उल्लिखित प्रदेशों के विधान निर्माता आन्ध्र राज्य के विशेष पदाधिकारी द्वारा नियत दिन से पूर्व शीघ्र ही किसी दिन बुलाये गये सम्मेलन में साधारण बहुमत से नाम लेकर निश्चय करेंगे ।"]

डा० रामा राव : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ३८ की पंक्ति ७ में "public debt" ["सार्वजनिक ऋण"] के [पश्चात् निम्नलिखित निविष्ट कर दिया जाये :

"and money spent from the revenue."

["और राजस्व से व्यय किया गया धन"]

श्री वेंकटारमन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) पृष्ठ ३८ में से पंक्ति १८ से २३ तक निकाल दी जायें ।

(२) पृष्ठ ३८ की पंक्ति २२ में "230.4 lakhs" ["२३०.४ लाख"] के स्थान पर "१०० lakhs" ["१०० लाख"] आदिष्ट कर दिया जाये ।

डा० रामा राव : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ३८ की पंक्ति २२ में "230.4 lakhs" ["२३०.४ लाख"] के स्थान पर "400 lakh" ["४०० लाख"] आदिष्ट कर दिया जाये ।

श्री गोपाल राव : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ३९ में से पंक्ति ७ से २१ तक निकाल दी जायें ।

श्री दातार : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

(१) पृष्ठ ३९ की पंक्ति १७ में से "or, as the case may be"["अथवा जैसी भी अवस्था हो"] निकाल दिया जाय,

(२) पृष्ठ ३९ में से पंक्ति १९ से २१ तक निकाल दी जाये ।

[श्री दातार]

(३) पृष्ठ ३६ में पंक्ति ३८ के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :

"*Explanation.*—Any reference in this paragraph to pensions shall be construed as including a reference to the commuted value of such pensions."

["व्याख्या .—इस कण्डिका में निवृत्ति वेतन के सम्बन्ध में किया गया कोई भी उल्लेख इस प्रकार के निवृत्ति वेतनों के मुक्त मूल्य के सम्बन्ध में भी किया गया उल्लेख समझा जायगा ।"]

श्री रघुरामय्या : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ३६ में पंक्ति ३८ के पश्चात् निम्नलिखित निविष्ट कर दिया जाय :

"17A. Notwith standing anything contained in the above provisions the amount of expenditure incurred on the Tungabhadra Project, whether from borrowings or otherwise, shall on the completion of the project be reallocated between the States of Andhra and Mysore on such basis as may be agreed upon between the States concerned or if no agreement is entered into within two years from the appointed day, as may be fixed by order of the President."

["१७ क. उपरोक्त उपबन्धों में जो कुछ दिया हुआ है उस की ओर ध्यान न देते हुए तुंगभद्रा परियोजना पर जो कुछ व्यय होगा, चाहे वह ऋण ले कर किया गया हो या अन्यथा किया गया हो, परियोजना के पूरे हो जाने पर उस की राशि आन्ध्र और मैसूर के राज्यों में, दोनों सम्बद्ध राज्यों की सहमति से निश्चित किये गये आधार के अनुसार अथवा यदि नियत तिथि से दो वर्षों के अन्दर दोनों में कोई समझौता न हो, तो राष्ट्रपति के आदेश से निश्चित आधार के अनुसार बांट दी जायेगी ।"]

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार अब सदन सातवीं अनुसूची और अब तक प्रस्तुत किये गये सारे संशोधनों पर विचार करेगा ।

एक माननीय सदस्य : इस के लिये समय कितना मिलेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : समय एक घंटा है—११—३० से १२—३० तक । १२—३० से १—१५ तक तृतीय वाचन होगा ।

श्री नाना दास : आन्ध्र की समस्या में राजधानी का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण रहा है । यह सब-विदित है कि विजयवाड़ा आन्ध्र राज्य की प्राकृतिक राजधानी है । यह बिल्कुल केन्द्र में स्थित है और सब प्रकार से उपयुक्त है । परन्तु इस में श्री बाग समझौते का प्रश्न आ पड़ा और राजनीतिज्ञों ने इस से लाभ उठा कर कुर्नूल को अस्थायी राजधानी बना लिया । क्योंकि कुर्नूल को अस्थायी राजधानी बनाने का निश्चय एक अनौपचारिक निकाय ने किया है अतः सदन को इसे राजधानी मंजूर कर के इस के लिये धन देना ठीक नहीं क्योंकि अन्त में तो भावी आंध्र राज्य को ही यह खर्च चुकाना पड़ेगा । कुर्नूल में तम्बू गाड़ने और पानी के लिये नल लगाने पर ८५ लाख रुपये व्यर्थ नष्ट करने से कोई लाभ नहीं, क्यों कि यह तो केवल अस्थायी राजधानी है । श्री वांचू ने भी अपने प्रतिवेदन में कुर्नूल को

राजधानी के लिये अनुपयुक्त बतलाया है । मद्रास सरकार के सचिव श्री लोबो प्रभु ने भी इस की अनुपयुक्तता के लिये प्रमाण दियेहैं । कुर्नूल पर, जो कि छै मास तक भी राजधानी नहीं रह सकता इतना धन व्यर्थ नष्ट क्यों किया जा रहा है । लोग विजयवाड़ा को राजधानी बनाना चाहते हैं । मंत्रिमण्डल इस बात को जानता है, तो फिर कुर्नूल का समर्थन क्यों किया जा रहा है ? क्या केवल एक या दो व्यक्तियों को सन्तुष्ट करने के लिये ही कुर्नूल को राजधानी बनाया गया है ?

डा० गंगाधर शिव (चितूर–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : श्रीमान, मैं एक औचित्य प्रश्न पूछता हूं । इस प्रश्न का निश्चय आन्ध्र विधान मण्डल के सदस्यों पर छोड़ दिया गया है, अतः मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को इस प्रश्न पर बोलने का अधिकार नहीं है।

श्री नाना दास : इसी बीच में विधान बनाने वाले आन्ध्रवासियों ने अनौपचारिक बैठक में करनूल को अस्थायी राजधानी बनाना निश्चित किया परन्तु मद्रास की विधान सभा ने यह स्वीकार नहीं किया तथा विजयवाड़ा के पक्ष में अधिक मत आये ।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

इसका अर्थ यह है कि आन्ध्रवासियों की यह इच्छा कि विजयवाड़ा को आंध्र की राजधानी बनाया जाये, पूरी की जाये । कुरनूल आन्ध्र के निर्धन व्यक्तियों का स्थान है । यह दुर्भिक्ष ग्रस्त स्थान है । मैं यह भी कह सकता हूं कि वहां भोजनार्थ पत्ते भी नहीं मिल सकते देश तथा आन्ध्रवासियों के दिल में मैं इस सदन मे निवेदन करता हूं कि इस भाग की पुष्टि करके अस्थायी राजधानी पर ८५ लाख रुपया व्यर्य करने की अनुमति न दी जाये । नियत दिन से पहिले आन्ध्रवासी विधान सभा सदस्यों का एक सम्मेलन बुलाया जाये और इसे निश्चित कर लिया जाये, यह मेरा निवेदन है । एक वार यह निश्चित होने के पश्चात्, फिर हम अपना उद्घाटन उत्सव विजयवाडा गन्टूर में मना सकते हैं । अतः मेरा सुझाव है कि विजयवाडा-गन्टूर आन्ध्र राज्य की राजधानी होना चाहिये और इस संबंध में केन्द्रीय सरकार को अपने विवेक का भी उपयोग करना चाहिये ।

डा० लंका सुन्दरम् : संशोधन में आन्ध्र-कार्यों के लिये नियुक्त विशेष अधिकारी को आन्ध्र विधान सभा, या वर्तमान मद्रास सभा में आंध्र-सदस्यों का एक सम्मेलन बुलाने तथा अस्थायी राजधानी के प्रश्न पर मत लेने के लिये प्रबन्ध करने की व्यवस्था से सहमत होने तथा उसे इस विधेयक में सम्मिलित करने का सरकार को सुझाव दिया गया है । मुझे आशा थी अस्थायी राजधानी के लिए एक नगर की अपेक्षा दूसरे नगर की अपेक्षित अच्छाइयों पर इस सदन में कोई वार्ता नहीं होगी । प्रश्न तो केवल इस विषय तक सीमित है कि नियत दिन से पहिले अस्थाई राजधानी निश्चित करने की दृष्टि से मद्रास विधान सभा में आन्ध्र के सदस्यों का एक सम्मेलन बुलाने का प्रबन्ध करने के लिये विशेष अधिकारी को निदेश दिया जाये ।

श्री राघवय्या (ओंगोल) : कुछ मास पूर्व प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि आन्ध्रवासी विधान सभा सदस्यों की एक बैठक में किसी स्थान को छांट कर राजधानी बना सकते हैं । इस कथन के अनुसार बैठक हुई, कोई विशेष स्थान छांटा गया, परन्तु मद्रास की विधान सभा ने बहुमत से उसे अस्वीकार कर दिया । इसका कारण यह था कि मत देने वाले सारे व्यक्ति आन्ध्रवासी नहीं थे। विवाद का विषय यह है कि मतदान होने के पूर्व मद्रास के मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि मतदान में आंध्रवासियों के अतिरिक्त और कोई भाग न लेगा।

श्री शेषगिरि राव (नंदयाल) : ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ था ।

श्री राघवय्या : प्रधान मंत्री जी के सुझाव के अनुसार मद्रास के मुख्य मंत्री जी ने प्रार्थना की थी कि इस मतदान में आंध्रवासियों के अतिरिक्त और कोई भाग न ले । इस सुझाव की दृष्टि से मद्रास विधान सभा में आन्ध्र के सदस्यों ने कोई विशेष स्थान छांट लिया । परन्तु अभाग्यवश, उस अवसर पर मतदान में आन्ध्रवासियों के अतिरिक्त कुछ और व्यक्तियों ने इस सुझाव के विरुद्ध मत दिया तथा विजयवाडा तथा गन्टूर के बीच राजधानी बनाने वालों का बहुतमत प्राप्त किया । यह क़ानून बनाने वालों की पिछली बैठक के निश्चय के विरुद्ध था । परिस्थितियों के अनुसार यह उचित है कि राजधानी उस स्थान को बनाया जाये जो मद्रास की विधान सभा में आन्ध्र-सदस्यों ने छांटा था ।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि वह अपने भाषण को बहुत ही संक्षिप्त रूप दें क्योंकि समय बहुत ही थोड़ा है ।

श्री राघवय्या : आंध्र राज्य की राजधानी का स्थान निश्चित करना हमारा, संसत्सदस्यों का काम नहीं है । यह प्रश्न तो आन्ध्र वासी विधान सभा सदस्यों द्वारा ही सुलझाया जाना चाहिये । मैं सारी पार्टियों तथा क्षेत्रों के अपने मित्रों से निवेदन करता हूं कि वे यह प्रश्न आन्ध्रवासी विधान सभा सदस्यों के लिए छोड़ दें ।

सभापति महोदय : मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह समस्त संशोधनों पर, रखने वाले व्यक्तियों के बोलने के पश्चात्, बोलेंगे ।

डा० काटजू : मैं आपके निदेश का पूर्णतः पालन करूंगा और मैं क के पश्चात् दूसरे संशोधन पर अथवा सारे संशोधनों पर बोलूंगा ।

श्री राघवाचारी : वास्तव में यह मामला, पूर्ण रूप से, कानून बनाने वाले आन्ध्रवासियों के अधिकार क्षेत्र में है । राजधानी तथा उच्च न्यायालय के लिये स्थान छांटने संबंधी संशोधन पर निश्चय करना आन्ध्र राज्य विधान सभा पर छोड़ देना चाहिये ।

अब मैं अपने संशोधन पर आता हूं । पृष्ठ ३८ पर सातवीं पंक्ति में " ..... के कारण जन साधारण ऋण" को "संपूर्ण ऋण" से बदल दीजिये ।

इसका संबंध तुंगभद्रा-योजना से है । मैं सदन का ध्यान एक मुख्य विषय पर केन्द्रित करना चाहता हूं कि इस मामले का संबंध केवल साधारण ऋण से है । वे चाहते हैं कि इस निर्माण कार्य में लग संपूर्ण धन का उन दो राज्यों में विभाजन नहीं करना चाहिये जो योजना के स्वामी होंगे तथा उससे लाभ उठायेंगे । यदि इस योजना में मैसूर का भाग न होता तो कोई बात नहीं थी । परन्तु वास्तव में, इस योजना से मैसूर राज्य को भी लाभ होगा । यह सर्वथा न्यायोचित तथा उचित है कि तीसरे राज्य को भी संपूर्ण ऋण तथा योजना के निर्माण-व्यय में भाग लेना चाहिये ।

सभापति महोदय : जिन सदस्यों ने संकल्प रखे हैं पहिले उन्हें बोलने का अवसर दिया जायेगा । यदि फिर समय बचेगा तो अन्य सदस्यों को बोलने के लिये बुलाया जायेगा ।

श्री शेषगिरि : श्रीमान्, मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं जो.....

सभापति महोदय : क्या मैं यह समझूं कि माननीय सदस्य अपने संशोधनों में से एक पर बोलना चाहते हैं? यदि कोई और

संशोधन है तो माननीय सदस्य खड़े होकर बतायें कि वे बोलना चाहते हैं ।

डा० रामा राव : तुंगभद्रा-योजना—आन्ध्र राज्य तथा मैसूर राज्य के बीच साधारण ऋण का विभाजन करना—संबंधी अपने संशोधन के बारे में मैं केवल यह कहना चाहता हूं "केवल साधारण-ऋण का ही विभाजन नहीं अपितु राजस्व से व्यय किये गये धन का भी विभाजन हो ।"

दूसरे संशोधन में मद्रास नगर की बड़ी बड़ी इमारतों की क्षतिपूर्ति का निर्देश किया गया है । न्यायाधीश श्री वांचू ने २३० लाख रुपये की सिफारिश की है, और मैं ४ करोड़ रुपये चाहता हूं । मद्रास नगर तथा उसकी बड़ी बड़ी इमारतों की जानकारी रखने वाले यह महसूस करेंगें कि क्षतिपूर्ति के रूप में चार करोड़ रुपया सर्वथा उचित है ।

सभापति महोदय : श्री वेंकटारमन ।

श्री वेंकटारमन : मैं ने भविष्य के लिये आय कर तथा अन्तःशुल्क-राजस्व में भाग लेने, केन्द्रीय सड़क निधि के खाते में जमा धन का विभाजन करने, तथा २ करोड़ ३० लाख रुपये क्षतिपूर्ति संबंधी खंड के हटाने के बारे में तीन संशोधन रखे हैं ।

यदि आप वांचू-प्रतिवेदन और सातवीं अनुसूची को मिलायें तो देखेंगे कि अनुसूची के रूप में प्रतिवेदन ही रख दिया गया है । बिना दिये माल के संबंध में न्यायाधीश वांचू की पहिली सिफारिश, तथा छापने की मशीन में राज्य के भाग के संबंध में दूसरी सिफारिश सातवीं अनुसूची की कंडिका ३ व ४ में रखी गई है । करों की बकाया निक्षेप-निधि, तथा व्यापार मंडलों की आस्तियों का वर्णन क्रमानुसार अनुसूची के कंडिका ५, १० तथा ११ में किया गया है ।

१ अक्टूबर १९५३ से आय कर तथा अन्तः-शुल्क में संघ का भाग उसी आधार पर निश्चित होना चाहिये जिस पर मद्रास तथा उड़ीसा आदि के बीच होता है । १ अप्रैल १९५४ से अन्तःशुल्क तथा आय कर में संघ का भाग वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर अर्थात् ८० प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर और २० प्रतिशत वसूली के आधार पर, निश्चित होना चाहिये ।

मद्रास धारा सभा की कार्यवाही की रिपोर्ट में कहा गया है कि वहा के वित्त मंत्री ने कहा कि मद्रास के बाकी राज्य को इस आधार पर प्रति वर्ष लगभग ३० लाख रुपये का घाटा होगा । इस प्रकार तीन वर्ष में उन्हें लगभग १ करोड़ रुपये का घाटा हो जायगा । अब मद्रास सरकार की ऐसी हालत हो जायेगी जो पहले कभी नहीं हुई । वह राज्य आगे के लिये अपना राजस्व नहीं छोड़ सकता । मैं वित्त मंत्री से अपील करता हूं कि वे यह कहें कि १ अप्रैल १९५४ से राजस्व का बंटवारा वित्त आयोग की सिफारिश में दिए गये आधार पर किया जायगा ।

मेरा दूसरा संशोधन केन्द्रीय सड़क कोष के संबंध में है । इस में पेट्रोल की खपत पर लिया जाने वाला शुल्क होता है । परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि पेट्रोल की कितनी खपत मद्रास राज्य में हुई और कितनी आन्ध्र में । इसलिये इस बात को मैं यहीं छोड़ता हूं ।

तीसरा प्रश्न भवनों के लिये २ करोड़ ३० लाख रुपये की क्षतिपूर्ति का है और मद्रास राज्य के लोगों का विचार है कि यह क्षतिपूर्ति नहीं दी जानी चाहिये । सातवीं अनुसूची में यह सिद्धांत दिया गया है कि अचल परिसंपत उसी राज्य को मिलेंगे जिस में वे स्थित हैं । तो फिर यह क्षतिपूर्ति देना कहां तक उचित है ।

भारत सरकार को भविष्य में राज्यों के पुनर्विभाजन पर गंभीरता से विचार करना चाहिये । दक्षिणी कन्नड़ का मामला लीजिये

[श्री वेंकटारमन]

उस समय भी हमारे सामने यही समस्या आएगी क्या हैदराबाद के बंटबारे पर भी, यदि कभी हुआ तो आन्ध्र वालों को हैदराबाद में स्थित भवनों के लिये महाराष्ट्र तथा कन्नड़ वालों को क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी ? मैं नहीं जानता कि वित्त मंत्री भविष्य के लिये भी सरकार को वचन बद्ध कर देंगे या नहीं ।

न्यायमूर्ति श्री वांचू ने भवनों के संबंध में ठीक आधार नहीं अपनाया है । होना तो यह चाहिये था कि क्षतिपूर्ति के संबंध में केवल सरकारी भवनों को ध्यान में रखा जाता न कि चिड़िया घर और अजायब घर को भी । परन्तु आंखों का हस्पताल, कानून पढ़ने का कालिज जैसी संस्थाओं को भी ध्यान में रखा गया है । यह उचित नहीं । यदि भारत सरकार २ करोड़ ३० लाख रुपये की सारी क्षतिपूर्ति हटाने को तयार नहीं है तो उसे यह राशि घटाकर १ करोड़ रुपया कर देनी चाहिये जो कि विभाजन समिति के समय मान लिया गया था । उस समय कुछ औचित्य तो था, अर्थात् रुपया हमारे पास था जो अब नहीं है । और यदि क्षतिपूर्ति दी ही जानी है तो मैं सरकार से और इस सदन सेयह कहूंगा कि केवल उन भवनों के लिये क्षतिपूर्ति दी जाय जो सरकारी-प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किये जाते हैं ।

श्री रघुरामय्या : मैं ने ६ या ७ संशोधन रखे हैं और मैं प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे उनके संबंध में कुछ शब्द कहने का अवसर दें ।

आज सबों से जो कुछ कहा गया है उस में यह बात हमारे दिल में बठाने का प्रयत्न किया गया है कि आन्ध्र वाले रोते हैं और तामिल वालों को थोड़ा बहुत जो भी मिला है वे उसी से संतुष्ट हैं । सड़क कोष, आबकारी तथा आयकर की कुछ लाख की बात है और श्री वेंकटारमन १५ मिनट तक इस संबंध में बोले । आप सोचिये कि जहां करोड़ों की बात हो—हमारा कहना है कि हमें ५० करोड़ का घाटा हुआ है—तो हमें कितने घाटे बोलना चाहिये । आशा है कि वित्त मंत्री केवल इसी बात से हमारे बारे में कोई धारणा नहीं बनाएंगे बल्कि अधिक सहानुभूति से हमारी राय पर ध्यान देंगे । घाटा तो हम लोगों को हुआ है और सब बातें आप के सामने हैं । परन्तु कठिनाई तो यही है कि आंकड़े हमें नहीं मिलते । आंकड़े हमारे सामने होते तो हम कह सकते कि आप ने हमारे साथ न्याय किया और हम आपके कृतज्ञ हैं ।

मेरा एक संशोधन सामान के बारे में है । मैं जाना चाहता हूं कि वह सामान कौनसा है । क्या सरकार यह नहीं बता सकती कि यह सामान कितना है ? पता चला है कि सामान का बंटवारा इस आधार पर होगा कि वह मंगाया किस ने था । माननीय वित्त मंत्री के पास इस सामान के मूल्य के संबंध में कोई सूचना हो तो हमें बता दें ।

श्री सी० डी० देशमुख : कुछ लाख रुपये ।

श्री रघुरामय्या : इस में हमारा हिस्सा उससे कम नहीं होगा जितना कि श्री वेंकटारमन आबकारी तथा बिक्री कर में से मांग रहे हैं ।

श्री वेंकटारमन : आयकर में यह हिस्सा ३० लाख रुपये है ।

श्री रघुरामय्या : परन्तु यह तो कुछ वर्ष के लिए अस्थायी व्यवस्था है ।

सरकारी छापेखाने के संबंध में कहा गया है कि इस का ३६ प्रतिशत आन्ध्र को मिलेगा । न्यायमूर्ति श्री वांचू ने कहा है कि १९४० के बाद से मूल्य बढ़ते रहे हैं इसलिए जहां भी पुस्त मूल्य का

ध्यान रखा जाना है वहां उसे दुगना कर देना चाहिये। संभव है कि कुछ मशीनें बहुत पुरानी हों जिसका फल यह होगा कि हमें जो कुछ मिलेगा वह नहीं के बराबर होगा। इसलिये मैं भारत सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वे इस प्रश्न पर विचार करें कि इस खंड में जिस पुस्त मूल्य का उपबन्ध किया गया है उसे दुगनी कर दें।

जहां तक स्थानीय निकायों को दिये गये ऋणों का सम्बन्ध है, मैं वित्त मंत्री द्वारा उस प्रश्न पर प्रकाश डाले जाने के बाद अपने संशोधन पर जोर नहीं दूंगा।

तुंगभद्रा योजना पर लगभग ८ या ९ करोड़ रुपये खर्च हो चुका है। यह राशि आन्ध्र के नाम डाल दी गई है। मैसूर ने उस पर कुछ खर्च नहीं किया।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : इस क्षेत्र की बराबर अपेक्षा की जाती रही है जिस से वह पिछड़ गया है और इस का फल आप को भुगतना पड़ेगा।

श्री रघुरामय्या : श्री गुरुपादस्वामी मानते हैं कि इस क्षेत्र ने कुछ भी योगदान नहीं दिया। इस से मेरी यह दलील और भी दृढ़ हो जाती है कि खर्च के राजस्व वाले अंश में हमें जो कुछ लेना है उसे देने से मैसूर मुकर नहीं सकता है।

अन्त में मेरा एक संशोधन मद्रास नगर के सम्बन्ध में है। यह नगर सब के संयुक्त प्रयत्नों से बना है। परन्तु उस के लिये आंध्र वालों को क्षतिपूर्ति देने का प्रश्न तो अलग रहा, हमें वहां एक वर्ष के लिये रहने भी नहीं दिया जा रहा। मद्रास सरकार तो हमें एक दिन भी वहां रहने नहीं देना चाहती। और फिर वे कहते हैं "हम दो करोड़ तो नहीं देंगे, एक करोड़ मान लो।" इसी एक करोड़ का प्रश्न नहीं। जैसा कि उस दिन श्री लक्ष्मैया कह रहे थे आंकड़े इतने अस्पष्ट हैं कि उन्हें समझने के लिये समय चाहिये। हम मद्रास के बाकी राज्य के बराबर होना चाहें तो इस ३६ प्रतिशत के आधार पर भी हमें ५० करोड़ रुपये देने पड़ेंगे।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य यह याद रखें कि सभी संशोधनों पर १२-३० बजे मत लिये जाने हैं और सरकार का उत्तर देने के लिये भी कुछ समय चाहिये। इस लिये मैं उन से प्रार्थना करूंगा कि अपना भाषण समाप्त कर दें।

इस विधेयक की तीसरी पढ़त आज तथा कल एक घण्टे तक होगी। मुख्य प्रश्न पर कल १०-१५ बजे वोट लिये जायेंगे। नवीं अनुसूची पर भी मत लिये जाने हैं जिस का उपाध्यक्ष महोदय को ध्यान नहीं रहा। क्या सदन की इच्छा है कि १२-३० तक ये संशोधन समाप्त कर लिये जायं, १२-४५ तक नवीं सूची और तीसरी पढ़त पर आध घण्टा आज और एक घण्टा कल चर्चा हो?

डा० गंगाधर शिव : मुझे कहा गया था कि समय हुआ तो मुझे संशोधन रखने की अनुमति मिलेगी, मुझे केवल पांच मिनट लगेंगे।

सभापति महोदय : उस से माननीय मंत्री को उत्तर देने के लिए कम समय रह जायगा। आप चाहें तो तीसरी पढ़त के समय बोल सकते हैं।

श्री सी० डी० देशमुख : जहां तक कर्नूल सम्बन्धी संशोधनों का सम्बन्ध है, माननीय गृह मंत्री बोलेंगे। बाकी संशोधनों के सम्बन्ध में मैं, अपने साथी श्री दातार द्वारा रखे गए संशोधनों को छोड़ कर बाकी सब का विरोध करता हूं।

मैं विस्तारपूर्वक तो कुछ नहीं कहना चाहता परन्तु सदन का ध्यान श्री वेंकटारमन द्वारा कल कही गई इस बुद्धिमत्तापूर्ण बात की

[श्री सी० डी० देशमुख]

ओर दिलाता हूं कि परिसम्पतों तथा दायित्व के बंटवारे की योजना सम्पूर्ण रूप में समझनी चाहिए न कि इस प्रकार कि एक एक भाग अलग अलग लिया जाय। बहुत अधिक तर्क के अनुसार चलने का प्रयत्न करते करते आप कठिनाइयों में जा पड़ेंगे जिस से निकलना असम्भव सा है।

श्री वेंकटारमन : और भविष्य में क्या होगा ?

श्री सी० डी० देशमुख : यह योजना भूत और भविष्य, दोनों पर लागू होती है। मैं यह कहता हूं कि सारी योजना, जैसे कि सदन के सामने आई है, दोनों बल्कि तीनों सम्बद्ध राज्यों के लिए न्याय तथा सभ्यतापूर्ण है। इस लिए मैं इस बात को बुरा समझता हूं कि इस के प्रत्येक भाग पर अलग अलग विचार किया जाय। यह बात एक ओर तो सामान और दूसरी ओर आय कर में हिस्से पर लागू होती है। आयकर में हिस्से के सम्बन्ध में कठिनाई यह है कि वित्त आयोग की रिपोर्ट में इस आधार को मोटे तौर पर सामने रखा गया है। वास्तव में मुझे इस बात में कोई सन्देह दिखाई नहीं देता कि अगली बार जब वित्त आयोग बैठेगा वह उद्भव को आधार न मान कर जनसंख्या को आधार मानने की ओर अधिक आकृष्ट होगा। इसलिए मेरे विचार में मद्रास के बाकी बचने वाले राज्य को कोई ऐसी हानि नहीं पहुंचाई जा रही जो अनिश्चित काल तक जारी रहे।

जहां तक सामान का सम्बन्ध है, मुझे तो यह सूचना मिली है कि इस का मूल्य बहुत कम है अर्थात् कुल लाख रुपये। इस में शौचालय तथा स्नानगृह आदि का सामान, जन निर्माण विभाग की सड़क शाख का सामान और कुछ प्रकार की लेखन सामग्री है। इन बातों का कोई अधिक महत्व नहीं और इस पर अधिक तर्क करने की आवश्यकता भी नहीं है।

इस के बाद प्रश्न उस धन का है जो कि केन्द्रीय सड़क कोष के अधीन राज्य को मिलना चाहिए। हमारा विचार है कि यहां जो बारीकी लाने की चेष्टा की जा रही है, उस की, संयुक्त राज्य को राशि मिलने पर आवश्यकता नहीं रहती। और फिर राज्य में खर्च कभी खपत के आधार पर नहीं हुआ और इसलिए हम जो भी राशि बांट रहे हैं वह ऐसी राशि है जो कि संयुक्त मद्रास राज्य को मिलनी चाहिए थी। हम इस सम्बन्ध में कोई सूत्र निर्धारित नहीं कर रहे कि वह राशि कैसे निश्चित की जायगी। इसलिये इन के विभाजन में हम कोई नया सिद्धान्त नहीं ला रहे हैं।

दो बातें और हैं। एक है समायोजन, शोधन नहीं, जो कि भवनों के सम्बन्ध में किया जायगा। इस बात के अतिरिक्त कि यह सामान्य निपटारे का ही एक भाग है, मेरे विचार में ऐसी एक राय भी है कि प्रशासन के लिए जो भवन अत्यावश्यक हैं, उन के सम्बन्ध विशेष उपबन्ध चाहियें। भारत तथा पाकिस्तान में भी कुछ सेना संस्थापन सम्बन्धी विशेष प्रबन्ध किये गये। यद्यपि उस समय देने के लिये हमारे पास कुछ नकदी थी और हम ने नकद भुगतान कर दिया। इस मामले में नकद भुगतान करने का कोई सुझाव नहीं दिया गया है। केवल दायित्वों के समायोजन का सुझाव है। तब फिर इस की खोज करना कि इस का मूल्यांकन किस प्रकार किया गया बेकार है। वांचू-प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों का ही यह एक भाग है। मेरा विचार है कि इसे इस विचार से कि यह सर्वसाधारण के लिए लाभदायक हल है स्वीकार कर लेन चाहिए।

अन्त में तुंगभद्रा परियोजना के बारे में दायित्वों के बटवारे का प्रश्न है। मैं बिलकुल

तो यह नहीं जानता कि आन्ध्र के प्रतिनिधियों की शिकायत क्या है क्योंकि उन्हें २५ करोड़ की परियोजना १७ करोड़ में मिल रही है। अब यह १७ करोड़ रुपये का धन आन्ध्र तथा मैसूर राज्य में उन राज्यों को प्राप्त होने वाले लाभ के अनुपात के विचार से बांटा जायेगा। अतएव मैं यह नहीं चाहता कि वे इस बात से नाखुश रहें कि मैसूर भी राजस्व व्यय में कुछ भाग देता है। जो कि या तो देना है अथवा आंशिक रूप से भूतकाल में इस परियोजना की आर्थिक सहायता स्वरूप दिया जा चुका है।

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

जैसा कि कल मैं ने अपने भाषण में बताया था कि कितना धन राजस्व में से दिया जाता है तथा कितना धन उधार ले कर यह निर्णय करना तो कार्यपालिका का काम है। अतएव इस प्रश्न का सम्बन्ध बटवारे से नहीं कर सकते।

डा० काटजू : अस्थायी राजधानी के प्रश्न पर हम को यह ध्यान रखना है कि अभी ठीक पांच सप्ताह और पड़े हैं। संशोधन में कहा गया है कि मद्रास विधान परिषद् के आन्ध्र सदस्यों की एक बैठक निश्चित दिन से पूर्व होगी और उस में निर्णय किया जायगा। अब मैं कहता हूं कि यह असंभव बात है क्योंकि उस के लिए समय नहीं है। मानलीजिए कि बैठक बुलाई जाती है और वहां यह बात तै होती है कि अस्थायी राजधानी के लिए अमुक अमुक स्थान हैं। मेरा तात्पर्य यह है कि मानलीजिये उन्होंने अपना विचार बदल दिया तब आप क्या यह चाहते हैं कि वहां राज्यपाल अथवा सचिव जायें। मैं यह चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को मैं वे सब बातें बतला दूं जो कि वहां वास्तविक रूप में हो रही हैं।

यह ठीक है कि कुछ समय पूर्व--दो तीन महीने पहिले कुछ प्राथमिक परिमाप हुई थी और प्रतिवेदन में कहा गया था कि वहां इमारतें बनाने तथा उसे रहने योग्य बनाने के लिए ८५ लाख रुपया चाहिए। अब केवल दो तीन महीने रह गये हैं। यदि रुपया भी मिल जाये तो इमारत बनाने का अब समय कहां है। कोई भी ठेकेदार यह कार्य नहीं कर सकता। आज स्थिति यह है कि वहां विशेष अधिकारी श्री त्रिवेदी के लिए प्रबन्ध कर दिया गया है। सेना ने तम्बू देने के मामले में काफ़ी सहायता दी है। वहां की वर्तमान इमारतों में प्रबन्ध किया है उन को इस योग्य बनाया है तथा उन का फिर से सुधार किया गया है ताकि काफ़ी जगह हो जाये। तम्बुओं में यह जगह होगी, तथा खर्चा भी इस पर कम होगा। अर्थात् कुछ लाख इधर या उधर।

मैं यहां इसलिए कह रहा हूं कि सदन को इस बात का पता चल जाय कि आंध्र विधान सभा के सदस्य पहली अक्तूबर के उपरांत पूरातिया स्वतन्त्र रहेंगे और तब वे अपने लिए जगह की व्यवस्था स्वयं करेंगे। यदि वे कोई दूसरा निर्णय करना चाहते हैं तो ऐसा तुरन्त ही कर सकते हैं। उस समय तक यह ८५ लाख रुपये का धन समाप्त हो चुकेगा। किन्तु आज यह कहना कि यह बिल्कुल फ़िजूल-खर्चा है गलत होगा। इस संशोधन को स्वीकार करना कि निश्चित समय अर्थात् १ अक्तूबर से पहिले आंध्र सदस्यों की बैठक हो, असंभव है।

जैसा कि सदन को ज्ञात है कि यह प्रश्न सातवीं अनुसूची के सम्बन्ध में उठा और हम ने जान बूझकर 'कुरनूल' शब्द को अलग कर लिया और केवल इतना ही कहा कि अस्थाई राजधानी और उस पर होने वाला व्यय। अतएव निश्चित समय के उपरांत सदस्यों की जब बैठक होगी तो आन्ध्र विधान सभा के सदस्यों के लिए यह छूट होगी कि वह निर्णय को बनाये रखने के लिए जो कुछ भी पग उठाना चाहे उठाये। अतएव मैं यह

[डा० काटजू]

सुझाव रखता हूं कि इस संशोधन पर अधिक महत्व न दिया जाय। यदि इस पर अधिक महत्व दिया गया तो इसे स्वीकार करने के लिए मैं असमर्थ हूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : सर्वप्रथम मैं सदन का मत लेने के लिए सरकार के संशोधन रखूंगा।

प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ३५ की पंक्ति ३१ में "Power Houses" ["बिजली घरों"] के स्थान पर "Electrical undertakings" ["विद्युत सम्बन्धी उपक्रम"] आदिष्ट कर दिया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ३७ की पंक्ति २५ और २६ में से " The public debt referred to in sub-pragraph (1) of this paragraph and " ["इस कंडिका की उपकंडिका (१) में उल्लिखित सार्वजनिक ऋण और"] ये शब्द निकाल दिये जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय। प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ३७ और ३८ में से क्रमश: पंक्ति ४१ से ४४ तक और पंक्ति १ तथा २ को निकाल दिया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ३९ की पंक्ति १७ में से " or as the case may be " ["अथवा, जैसी परिस्थिति हो"] ये शब्द निकाल दिये जायें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ३९ में से पंक्ति १९ से २१ तक को निकाल दिया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ३९ की पंक्ति ३८ के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :

"*Explanation*.—any reference in this paragraph to pensions shall be construed as including a reference to the commuted value of such pensions."

["व्याख्या.—इस पैराग्राफ़ में निवृत्ति वेतनों की ओर किये गये किसी भी निर्देश में ऐसी निवृत्ति वेतनों से परिवर्तित मूल्य की ओर एक निर्देश सम्मिलित समझा जाना चाहिए"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ३७ की पक्ति २१ में "of the debts" ["ऋण के"] के पश्चात निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :—

In Page 37, line 21,

after "of the debt" *add*:

"For the purpose of determining the said shares, the debt shall be deemed to be apportioned between the States of Madras, Andhra and Mysore as if it were a debt referred to in sub-paragaph (2) of this paragraph, and the shares of the States of Andhra and Mysore shall be determined accordingly :

Provided that the liability for any public loan or portion thereof referred to in

sub-paragraph (1) of paragraph 2, shall, for the purposes of this sub-paragraph, be deemed to be apportioned between the States of Andhra and Madras in the same proportion as may be fixed under sub-paragraph (1) of paragraph 2 in regard to the allocation of the proceeds of such loans or portion thereof."

["उक्त अंश निर्धारित करने के लिए वह ऋण मद्रास, आन्ध्र और मैसूर के राज्यों में इस प्रकार विभाजित समझा जावेगा जैसे कि वह ऋण इस कण्डिका की उपकण्डिका (२) में उल्लिखित कोई ऋण हो और आंध्र तथा मैसूर राज्य के अंश तदनुसार नियत किये जायेंगे :

परन्तु शर्त यह है कि कण्डिका २ की उपकण्डिका (१) में उल्लिखित किसी सार्वजनिक ऋण या उस के किसी अंश का दायित्व इस उपकण्डिका के प्रयोजन के हेतु आन्ध्र और मद्रास राज्यों में उसी अनुपात से बटा हुआ समझा जायगा जो कि कंडिका २ की उपकंडिका (१) के अधीन इस प्रकार के ऋणों या उन के किसी अंश की प्राप्त पूंजी के आवंटन के सम्बन्ध नियत किया जायेगा ।]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पृष्ठ ३४ पंक्ति ३९ में

'आस्तियों का विभाजन जनसंख्या के अनुसार हो' आदिष्ट करने के लिए संशोधन.. एवं पृष्ठ ३४ पंक्ति ४२ में, पृष्ठ ३५ पंक्ति ८ तथा ९ म, पृष्ठ ३५ पंक्ति २१ में एवं २१ पंक्ति के बाद, तथा पृष्ठ ३५ पर लाइन २२ से ३२ के स्थान पर आदिष्ट होन वाले सभी संशोधन अस्वीकृत हुए ।

पृष्ठ ३५ पंक्ति ३८ से ४० के स्थान में, पृष्ठ ३६ पंक्ति में बढ़ाने पृष्ठ ३६ पंक्ति ५ के बाद जोड़ने, पृष्ठ ३६ पंक्ति २१ से २४ के लिए उस के स्थान पर, पृष्ठ ३६ पर पंक्ति ३१ से ३६ के लिए उस के स्थान पर, पृष्ठ ३६ पर पंक्ति ३७ से ४० के लिए उन के स्थान पर, पृष्ठ ३६ पंक्ति ३९ और ४० के लिए, पृष्ठ ३७ पंक्ति ३० से ३४ के स्थान पर, पृष्ठ ३७ पर पंक्ति ३८ के बाद, पृष्ठ ३८ पर पंक्ति ७ से १२ को समाप्त करने, पृष्ठ ३८ पंक्ति ७ के स्थान पर, पृष्ठ ३७ पंक्ति ४० के बाद बढ़ाने, पृष्ठ ३८ पर पंक्ति ७ के बाद बढ़ाने, पृष्ठ ३८ पर पंक्ति १८ से २३ को निकालने, पृष्ठ ३८ पंक्ति २२ म २३०.४ लाख के स्थान पर १०० लाख करने, पष्ठ ३८ पर पंक्ति २२ में २३०.४ लाख के स्थान पर ४०० लाख करने पृष्ठ ३९ पर पंक्ति ७ से २१ को निकालने, पृष्ठ ३९ में पंक्ति ३८ के बाद तुंगभद्रा परियोजना पर होने वाले खर्चे की वसूली के सम्बन्ध में, किये जान वाले संशोधनों को आदिष्ट करने के प्रस्ताव अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"सातवीं अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सातवीं अनुसूची, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बनी ।

नवीं अनुसूची

पृष्ठ ४० पर, पंक्ति २० से ४१ के सम्बन्ध में जो डा० लंका सुन्दरम्, तथा श्री के० सुब्रह्मण्यम ने जो संशोधन रखे थे एवं डा० रामा राव का पृष्ठ ४० पर पंक्ति ३६ के उपरांत बढ़ाने सम्बन्धी संशोधन अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय प्रश्न यह है :

"कि नवीं अनुसूची विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नवीं अनुसूची विधेयक का अंग बना ली गई ।

खण्ड १ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

श्री राघवय्या ने विधेयक के पूरे नाम के सम्बन्ध में एक संशोधन प्रस्तुत किया जो अनियमित घोषित कर दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नाम और अधिनियम सूत्र विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम और अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बना लिए गए ।

डा० काटजू : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

"विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाय ।"

जब मैं ने विधेयक पर विचार किए जाने का प्रस्ताव किया तो मैं ने कहा था कि वह दिन ऐतिहासिक महत्व का दिन था । वह अगस्त की १३ वीं तारीख थी । और आज यह विधेयक हमारे पास बारह या तेरह दिनों से अधिक से है । इस पर पूरी तौर से वाद विवाद हुआ है और संशोधनों पर भी पूर्ण रूप से विचार विमर्श हुआ है । इस सम्बन्ध में वाद-विवाद के लिए जो समय बढ़ा दिया गया था उस के लिए हम उपाध्यक्ष महोदय के आभारी हैं ।

यह एक महत्वपूर्ण अवसर है क्योंकि जहां तक इस सदन का संबन्ध है, वह आन्ध्र लोगों की चालीस वर्षों से चली आन वाली इच्छा की पूर्ति का अनभव करता है और मुझे विश्वास है कि आन्ध्र प्रदेश का प्रत्यक निवासी आज गौरव और तृप्ति की भाव-नाओं का अनुभव कर रहा होगा । मुझ को, व्यक्तिगत रूप से, और सदन के सभी सदस्यों को इस बात का बहुत संतोष है कि हम ने इस विधेयक के निर्माण एवं आन्ध्र लोगों की इच्छा की पूर्ति करने में कुछ भाग लिया है ।

हम ने यहां पर अनेक भाषण सुने हैं, अनेक भावनाएं व्यक्त की गई हैं और अनेक अवसरों पर बहस हुई हैं । वाद विवाद में ऐसा होता ही है । पर मैं आशा करता हूं कि अब, जब यह विधेयक समाप्ति की दशा पर पहुंचा है, जो कुछ भी वाद विवाद, बहस अथवा विवादस्पद वक्तव्यों के रूप में पक्ष विपक्ष द्वारा कहा गया हो, उस को लोग भूल जायेंगे । आज हम केवल एक ही आशा और प्रार्थना करेंगे कि इतने परिश्रम के बाद बनाया जान वाला यह नया राज्य एक सम्पन्न राज्य सिद्ध हो ।

यह एक महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि, जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा, यह पहला अवसर है कि विभिन्न कारणों से राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा है । यह एक महान प्रयोग है और हम सब इस के परिणामों की ओर अत्यधिक रुचि से देखेंगे । हो सकता है कि इस विषय में राज्य के अन्दर मतभेद हो कि राज्य के एक भाग का प्रबन्ध और उस की देखभाल किस प्रकार हो रही है । किन्तु आज तो सब की यही प्रार्थना होगी कि आन्ध्र में लोगों में एकता हो, और वे लोग उस राज्य की उन्नति के लिए बहुत ईमानदारी से काम करें और यह कि वहां के किसी भी स्थान के समाज के किसी भी अंग को यह निराशा न हो कि नए राज्य ने उन को वह सुख नहीं दिया जिस की वे आशा कर रहे थे ।

मुझे विश्वास है कि हमारे तामिल भाई आन्ध्र लोगों की प्रसन्नता में पूर्ण सहयोग देंगे । जहां तक इस सदन का सम्बन्ध है सारी चीज़

समाप्त हो गई है। मद्रास नगर तामिलनाड और आन्ध्र देश के लोगों के संयुक्त रूप से किए गए प्रयत्नों का परिणाम है। मद्रास दो सौ या तीन सौ वर्षों में बनाया गया था। उस में ऐसी महत्वपूण संस्थाएं हैं जिन्हों ने लोगों की अच्छी सेवा की है। नवीं अनुसूची के सम्बन्ध में डा० लंका सुन्दरम् ने ऐसी अनेक संस्थाओं का उल्लेख किया है। मैं उस के विस्तृत विवरणों में नहीं जाना चाहता। पर मैं यह आशा अवश्य करता हूं कि इस बंटवारे के बाद भी सैकड़ों वर्षों से साथ साथ रहने वाले और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की लड़ाई में साथ साथ काम करने वाले तामिल और आंध्र लोग आपस में मैत्री-भाव बनाए रखेंगे। अब जब कि विवाद के मूल कारण को हटा दिया गया है, मैं आशा करता हूं कि दोनों ओर की जनता में परस्पर निकट सम्पर्क स्थापित होगा। इन संयुक्त संस्थाओं के उपभोग के लिये औपचारिक रूप से कुछ वर्षों के लिये हम ने इस विधेयक में उपबन्धों का निर्माण किया है। किन्तु मेरी आशा है कि मद्रास शहर की प्रत्येक संस्था—मद्रास नगर ही क्यों, भले ही वह तामिलनाद में हो अथवा आंध्र देश में, विगतवर्षों की भांति ही वह दोनों राज्यों की जनता के लिये प्रेरणा एवं सेवा का केन्द्र होगी।

श्री सारंगधर दास (ढेनकनाल—पश्चिम कटक): मलाबार के विषय में क्या है?

डा० काटजू: हम मलाबार को भी लेंगे। हम अभी मलाबार और मद्रास के कार्यों पर विचार नहीं कर रहे हैं।

अन्त में, मैं यही कहना चाहता था कि हमें सन्देह और अविश्वास दूर कर देना चाहिये। सेवाओं के विषय में यह विशेष रूप से स्मरणीय है। आप जानते हैं कि गृह-मंत्री की स्थिति में मेरा कुछ कर्त्तव्य है और एक बात अत्यन्त आवश्यक है। हम चाहते हैं कि सेवाएं एक ओर तो देशभक्त, निपुण, लग्नशील हों, उन के व्यक्ति ईमानदार तथा उच्च आचरण से युक्त हों और वे जनता के सच्चे सेवक हों। किन्तु यह भी हमारा कर्तव्य है वे सुरक्षित अवस्था में रहें तथा उन के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाय। अन्त में, मेरा कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति को भले ही वह पंजाब में रहता हो अथवा तामिलनाद में, देश के किसी भी भाग में जाने और काम करने के लिये प्रस्तुत रहना चाहिये। यह पुरान राज्यों पर भी समान रूप से व्यवहृत है। सेवा के प्रत्येक वर्ग तामिलनाद अथवा आन्ध्र अथवा अन्यत्र उन के साथ समुचित व्यवहार होना चाहिये। मैं यह बात इसलिये कह रहा हूं कि यहां कुछ ऐसे संकेत व्यक्त किये गये थे कि आन्ध्र देश में तामिल सेवि-वर्ग का स्वागत नहीं होगा। मेरी आशा है कि वर्तमान विधेयक के साथ ही उद्विग्नता का अंत हो जायगा और उन में स्नह, परस्पर विश्वास और आदर की भावना बढ़ेगी। और जो सरकारी नौकर वहां जायगे उन के साथ अच्छा व्यवहार किया जायगा। ये भी आन्ध्र को प्रेम करेंगे और उसे भारत का ही एक भाग मान कर काम करेंगे। मैं इस सदन को अधिक समय तक नहीं रोके रखना चाहता हूं। मैं एक बार प्रार्थना करता हूं कि कठोर परिश्रम और दीर्घ कामना के पश्चात् निर्मित आन्ध्र राज्य अपने यहां के निवासियों के लिये ही नहीं किन्तु समग्र भारत के लिये गर्वपूर्ण एवं प्रेरणात्मक सिद्ध हो।

उपाध्यक्ष महोदय: "विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाय।"

श्री ए० के० गोपालन (कन्नानूर): कुछ घंटों में आन्ध्र निर्माण के लिये यह विधेयक इस सदन द्वारा स्वीकृत हो जायगा। यह हमारे देश के इतिहास में एक नवीन अध्याय का सूत्रपात करेगा। मैं भारत सरकार को इस कार्य के लिये बधाई देता हूं। माननीय गृहमंत्री मुझे उस पद्धति का कड़ा विरोध

[श्री ए० के० गोपालन]

करने के लिये क्षमा करेंगे जिस के अनुसार यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है ।

कारणों और उद्देश्यों के वक्तव्य में कहा गया है : "दिनांक १९ दिसम्बर, १९५२, प्रधान मंत्री ने संसद् को सूचना दी कि भारत सरकार ने आंध्र राज्य स्थापित करने का निश्चय कर लिया है जिस में....."

किन सिद्धान्तों पर यह विधेयक आश्रित है ? यदि भाषावार प्रान्तों की रचना के समय हम कतिपय सिद्धान्तों को विस्मरण कर देंगे तो इस के निर्माण का मूल उद्देश्य ही विदित हो जायगा । प्रधान मंत्री के प्रति पूर्ण आदर प्रकट करने के साथ ही क्या म कह सकता हूं कि क्या प्रधान मंत्री की अभिलाषा और सद्कामना ही इस नवीन राज्य की रचना का कारण है । क्या यह इसलिये है कि कांग्रेस न १९२८ अथवा १९१७ के बाद भाषा के आधार पर प्रान्तों को पुनर्विभाजित करने का सिद्धान्त स्वीकार किया था । माननीय गृहमंत्री असहमति प्रकट कर रहे हैं । मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता किन्तु मैं यह अवश्य ही सिद्ध करूंगा कि कांग्रेस ने एक दो बार नहीं किन्तु अनेक बार भाषा के आधार पर प्रान्तों के पुनर्विभाजन के सिद्धान्त को स्वीकार किया है । कांग्रेस ने १९२८ में ही नहीं, १९३८ में ही नहीं, किन्तु १९४५, १९४६ और १९४७ में भी इसी निर्णय की आवृत्ति की है ।

पण्डित मोती लाल नेहरू ने १९२८ के प्रतिवेदन में उन सिद्धान्तों का उल्लेख किया है जिन के अनुसार पुनर्विभाजन होना चाहिये :

"किन सिद्धान्तों पर प्रान्तों का पुनर्विभाजन होना चाहिये । आंशिक रूप में भौगोलिक, आंशिक रूप में आर्थिक और वित्तीय किन्तु जनता की इच्छाओं और सम्बन्धित क्षेत्र की भाषावार एकता पर ही मुख्यतः ध्यान दिया जान चाहिये । यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि शिक्षा एवं संस्कृति की उन्नति भाषा पर ही निर्भर है । विदेशी भाषा को विद्यमान रखते हुए जनतंत्र का अस्तित्व संभव नहीं है । जन-जन की भाषा में ही देश के राजनैतिक कार्य तथा व्यापार संचालन किये जाने आवश्यक हैं । प्रान्तों के सम्बन्ध में प्रान्तीय भाषा ही उपयुक्त है । प्रान्तव्यापी कार्य प्रान्तीय भाषा में करने के लिये यह अनिवार्य है कि प्रान्तों की रचना भाषा पर आधारित हो । भाषागत क्षेत्र में संस्कृति, परम्पराएं और साहित्य सब की अभिवृद्धि सन्निहित है । कांग्रेस स्वयं भाषागत प्रान्तों में विभाजित है । भले ही जनता के पास ऐसा करने के लिये ऐतिहासिक अथवा सांस्कृतिक धरातल पर्याप्त परिमाण में न हो किन्तु केवल यही एक विचार यथेष्ट है कि उस क्षेत्र के निवासी यह अनुभव करते हैं कि वे एकांगी है तथा अपनी संस्कृति को प्रगतिपथ पर ले जाने के लिये उन के हृदय में बलवती इच्छा है । इन मामलों में तथ्य से अधिक महत्व भावना का है ।"

प्रान्तों के पुनर्विभाजन के सम्बन्ध में १९३८ में कांग्रेस कार्यकारिणी ने वर्धा में कहा था.....

उपाध्यक्ष महोदय : क्या हम भाषावार प्रान्तों के सम्बन्ध में साधारण बहस कर रहे हैं ?

श्री ए० के० गोपालन: मैं यह कहना चाहता हूं कि आन्ध्र राज्य के निर्माण में उद्देश्य एवं कारण अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं । यदि आन्ध्र राज्य की रचना किन्हीं सिद्धान्तों पर की गई है तो निस्सन्देह ही उस का प्रभाव पड़ेगा । मैं कर्नाटक आन्दोलन के विषय में पूछना चाहता हूं । मैं उच्चसत्ता युक्त आयोग के विषय में पूछना चाहता हूं । यदि सरकार जनता को इस तथ्य से परिचित कर देती है

कि उस ने इसे सिद्धान्त रूप में मान लिया है तो अवश्य ही यह महत्वपूर्ण घोषणा होगी। किन्तु इस विधेयक की पृष्ठभूमि में कोई सिद्धान्त नहीं हैं। केवल प्रधान मंत्री की घोषणा ही इस की उद्गम स्थली है। किन्तु प्रधान मंत्री ने यह घोषणा किन सिद्धान्तों पर की है। यदि भाषावार प्रान्तों जैसी कोई वस्तु नहीं है और केवल आंध्र राज्य की ही रचना की जा रही है तब मैं कह सकता हूं कि यदि गृहमंत्री एक वर्ष तक अपने वर्तमान पद पर रहे तो उन्हें अनेक विधेयक इसी तरह के प्रस्तुत करने पड़ेंगे। वह अपनी इच्छा से ऐसा नहीं करेंगे किन्तु परिस्थितियां उन्हें ऐसा करने के लिये विवश कर देंगी।

१९३८ में कांग्रेस कार्यकारिणी ने वर्धा में एक संकल्प स्वीकृत किया था जिस के अनुसार आंध्र, कर्नाटक और करेला क्षेत्रों की जनता को यह आश्वासन दिया गया था कि सत्ता प्राप्त करते ही इस प्रश्न को भारत सरकार की योजना का अंग मान लिया जायगा।

हम ने पहले इस की मांग नहीं की क्यों कि हम देश की स्वतन्त्रता के लिये लड़ रहे थे। पराधीन भारत में हम ने ऐक्य करेला अथवा विशाल आंध्र की मांग नहीं की किन्तु हमारी मांग थी स्वतन्त्र भारत।

आज देश स्वतन्त्र है। क्या हम आप से उन वस्तुओं की मांग कर सकते हैं जिस के लिये आप ने वायदे किये थे। हम स्वतन्त्र भारत में प्रतिज्ञा पूर्ति के लिये कह रहे हैं।

मैं भी कांग्रेस कार्यकर्ता था। मैं ने उस समय जनता से कहा था, 'पहले देश की आजादी की मांग करो, उस के बाद भाषा के आधार पर प्रान्तों के निर्माण की बात करना।' आज सरकार जनता को उत्तर देने के स्थान पर कहती है कि उच्च सत्ता आयोग के सम्पूर्ण प्रश्न के अध्ययन कर लेने के लिये तीन वर्षों तक प्रतीक्षा करो। आंध्र राज्य बन जाने पर आप दूसरे व्यक्तियों से शान्त रहने के लिये कह रहे हैं। वे शान्त क्यों रहें। हमें कारण मालूम होना चाहिये कि हम खामोश क्यों रहें। आप ने एक बार कर्नाटक, ऐक्य करेला और महाराष्ट्र के पुनर्गठन के वायदे कर लिये हैं और यह असंदिग्ध है कि अब आप इस आन्दोलन को नहीं रोक सकते। क्या माननीय मंत्री केवल लाठी चार्ज अथवा नजरबन्दी केम्पों में ही विश्वास रखते हैं अथवा वह सदन में इस आशय की घोषणा करेंगे कि वह भाषा के आधार पर प्रान्तनिर्माण के सिद्धान्तों से सहमत हैं। यद्यपि मैं यह मानता हूं कि भाषा का आधार ही एक मात्र आधार नहीं है।

यदि कोई एक ऐसा विषय है जिस के सम्बन्ध में सदस्य एकमत हैं तो यह हैदराबाद को बांटने के विषय में है। जन साधारण की यही मांग है। बहुमत की यही इच्छा है। मैं विशाल आंध्र के बारे में इतना चिन्तित नहीं हूं। क्योंकि मुझे विश्वास है आंध्र के वीर पुरुष जिन्हों ने आंध्र राज्य का निर्माण करवा लिया है वे विशाल आंध्र का निर्माण करा लेने में भी समर्थ हैं। किन्तु कर्नाटक, ऐक्य करेला और महाराष्ट्र के सम्बन्ध में क्या कहा जायेगा? सरकार उन के साथ क्या कर रही है? उद्देश्यों और कारणों के वक्तव्य में कुछ नहीं कहा गया है। यदि वक्तव्य में यह उल्लेख किया जाता तो विशाल आंध्र की सृष्टि निश्चित है और हैदराबाद राज्य का विघटन भी अवश्यम्भावी है।

माननीय गृहमंत्री ने कहा कि उन की इच्छा देश के प्रत्येक ग्राम में जा कर जनता से उन की अपनी—जन साधारण की भाषा में बातचीत करने की है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता है। मैं भी यह कहता हूं कि देश में एक ही भाषा होनी चाहिये। हम हिन्दी के विरुद्ध नहीं हैं। हमारा केवल यह आग्रह है कि हमें हिन्दी सीखने और समझने के लिये

[श्री ए० के० गोपालन]

कुछ समय दीजिये । मुझे आप के सामने वह भाषा बोलने में लज्जा आती है जो न आप की है और न मेरी है अपितु विदेशी है!

भाषावार प्रान्तों के निर्माण के सम्बन्ध में आप मुझे बम्बई और मद्रास की विधान-परिषदों के संकल्प उद्धृत करने के लिये क्षमा करेंगे । दिनांक एक अप्रैल १९४७ को बम्बई विधान सभा द्वारा स्वीकृत संकल्प यह था ।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे उस में कोई आपत्ति नहीं है । किन्तु माननीय सदस्य विषय से परे जा रहे हैं ।

श्री ए० के० गोपालन : मैं विषयान्तर नहीं हो रहा हूं । मैं केवल सिद्धान्तों के विषय में कहना चाहता हूं । मैं ने दायित्व और आस्तियों के विषय में कुछ नहीं कहा है, मैं ने आंध्र राज्य की राजधानी के विषय को स्पर्श नहीं किया है किन्तु मेरा सम्बन्ध मुख्य विषय से है--उस सिद्धान्त से है जिस पर नवीन राज्य आधारित है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह अवसर इसलिये है कि जब माननीय सदस्य को नवीन राज्य के प्रति शुभकामनाएं प्रदर्शित कर आशीर्वाद प्रदान करें ।

श्री ए० के० गोपालन : मेरा आशीर्वाद उन के साथ है। मैं नवीन राज्य को आशीर्वाद देता हूं किन्तु मैं कर्नाटक की जनता को भी उन के कर्नाटक प्रान्त के आन्दोलन की सफलता के लिये आशीर्वाद देता हूं ।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या आंध्र राज्य के निर्माण के साथ ही यह नवीन अध्याय समाप्त हो जायगा ? यदि सरकार का उद्देश्य केवल आंध्र राज्य के निर्माण तक ही सीमित है तो यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है । इस के बाद वे नियम और व्यवस्था की दुहाई देंगे; गृहमंत्री के प्रत्येक वक्तव्य की प्रस्तावना नियम और व्यवस्था से ही उद्धृत होगी । वस्तुतः यह बड़े सुन्दर शब्द हैं किन्तु वे भ्रम में हैं ।

मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता । मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इस विपदा का अंत नहीं हुआ है ।

भारत की एकता इस कार्य से अधिक शक्तिशाली होती है । भाषावार प्रान्तों से देश की एकता को आघात नहीं पहुंचता है । यदि आप मुझे कुछ मिनिट और दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, मैं स्वयं भी इस में रुचि रखता हुं । मेरा नाम "अनंथ पद्मनाभ" है । किन्तु मैं ने माननीय सदस्य को काफ़ी समय दिया है ।

श्री ए० के० गोपालन : मैं भाषा के आधार पर प्रान्तों के पुनर्विभाजन की सम्भावना .....

उपाध्यक्ष महोदय : उन का प्रस्तुत विषय से सम्बन्ध नहीं है । इस स्थिति में जब कि हम तृतीय वाचन कर रहे हैं हम ऐसी स्थिति में नहीं जा सकते । मेरा विचार है उन्हों ने यथेष्ट कह दिया है ।

श्री ए० के० गोपालन : सम्पूर्ण वाचन आज समाप्त नहीं हो रहा है । यदि आप की इच्छा है कि मैं कुछ न कहूं तो मैं नहीं कहूंगा । मैं ने यह इसलिये कहा कि माननीय गृहमंत्री 'करेल' शब्द से भी परिचित नहीं हैं । जब मैं 'मलयालम' के सम्बन्ध में कुछ कह रहा था तो उन का अनुमान था कि मैं 'मलाया' के विषय में कह रहा हूं । मैं उन से यह कहना चाहता हूं कि मैं ने सरकार से अब केवल एक प्रार्थना करनी है । सरकार ने कहा है कि एक उच्चाधिकार आयोग नियुक्त किया जायेगा । मेरा निवेदन यह है कि प्रान्तों तथा सीमाओं के पुनर्विभाजन के प्रश्न की जांच करने के लिए एक सीमा आयोग बनाना चाहिए ।

यदि देश के किसी भाग में अधिकांश लोग एक ही भाषा बोलते हैं और उस भाग को अपना घर समझते हैं, तो हमें उन का विरोध नहीं करना चाहिए ।

उच्चाधिकार आयोग के बारे में भी सरकार यह कहती है कि वह आयोग की राय पर विचार करेगी कि क्या ऐसे राज्य बनाना वांछनीय है । मैं सरकार को कहता हूं कि यदि उस की यह नीति है, तो आंध्र राज्य बनने के बाद उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा । भाषाई आधार पर प्रान्तों के पुनः-विभाजन का आन्दोलन शुरू हो जायेगा । इसी लिए मैं गृहमंत्री से कहता हूं कि इस विधेयक को पारित होने से पहले उन्हें यह घोषणा कर देनी चाहिए कि तीन या छः मासों के अन्दर एक सीमा आयोग नियुक्त कर दिया जायेगा । ऐसा करने से आन्दोलन नहीं होगा ।

पंडित एस० सी० मिश्र : हमारे पहले शासक सदा यह कहते थे कि पृथक् प्रान्तों के लिए जो आन्दोलन होते हैं, वे उन लोगों की ओर से होते हैं, जो कि असंतुष्ट हैं और जो कोई ऐसी चीज़ चाहते हैं, जिस का वे शोषण कर सकें । राजनीतिज्ञ निजी स्वार्थ के लिए नये प्रान्तों की मांग करते हैं । हमारी वर्तमान सरकार और नेता भी यही कहते हैं । मैं इस बात को मानता हूं । यह सत्य है कि दिल्ली में हमें किसी पद लाभ की आशा नहीं, इसी लिए हम चाहते हैं कि नये प्रान्त बनाये जायें, जिन में हम मुख्य मंत्री या मंत्री बन सकें । किन्तु मैं कहता हुं कि यह मुख्य कारण नहीं है । वास्तव में प्रेरणा इस बात से मिलती है कि जनता की यह प्रबल इच्छा है कि वह अपना शोषण न होने देगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं ।

इस के पश्चात् सदन की बैठक बृहस्पतिवार, २७ अगस्त, १९५३ के सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित हो गई ।